‘महिला शेतकरी सक्षमीकरणा’चे पहिले पाऊल

शेतीचा कणा मजबूत करायचा असेल, तर त्या कण्याला बळ देणाऱ्या महिलांना केवळ सहकारी नव्हे, तर स्वतंत्र शेतकरी म्हणून मान्यता देणे ही काळाची गरज होती. ‘महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक, २०२६’च्या रूपाने महाराष्ट्राने त्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले आहे.

वर्षा फडके - आंधळे
उपसंचालक (वृत्त)
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय

पहिली बाजू

महाराष्ट्रातील शेतीचा इतिहास लिहायचा झाला तर त्यात महिलांच्या श्रमांची नोंद अपरिहार्य आहे. पेरणी, निंदणी (खुरपणी), कापणी, पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, बीजसंवर्धन, भाजीपाला उत्पादन, शेतीमालाची प्रक्रिया अशा जवळपास प्रत्येक टप्प्यावर महिला वर्षानुवर्षे पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत आल्या आहेत. तरीही शेतकरी ही ओळख मात्र बहुतेक वेळा जमिनीच्या सातबाऱ्यावर नाव असलेल्या व्यक्तीपुरतीच मर्यादित राहिली. त्यामुळे प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या लाखो महिलांचे योगदान मान्य असूनही त्यांना कायदेशीर दर्जा, आर्थिक हक्क आणि शासकीय योजनांमध्ये समान प्रवेश मिळत नव्हता. परिणामी पीक कर्ज, पीक विमा, कृषी अनुदान आणि इतर अनेक शासकीय योजनांपासून त्या वंचित राहत होत्या. ही दरी भरून काढण्यासाठी राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक, २०२६’ आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे विधेयक राज्यातील महिला शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि त्यांच्या आर्थिक व सामाजिक सक्षमीकरणाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयकातून राज्य शासनाने शेतीत अहोरात्र काम करणाऱ्या महिलांना एक ओळख दिली आहे. यापुढील काळात कृषी क्षेत्रात यामुळे महिलांचा सहभाग वाढणार आहे. महाराष्ट्र विधान परिषदेत आणि विधानसभेत ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक, २०२६’ हे केवळ नवीन कायदेविषयक पाऊल नाही, तर ग्रामीण समाजरचनेतील एका दीर्घकालीन विसंगतीला उत्तर देण्याचा प्रयत्न आहे. महिलांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता देण्याची ही संकल्पना कृषी क्षेत्रातील लिंगसमतेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरू शकते.

महाराष्ट्राने या विधेयकाच्या माध्यमातून एक महत्त्वपूर्ण दिशा दाखविली आहे. पुढील काळात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यावर लाखो महिला शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात प्रत्यक्ष बदल घडणार आहेत. त्यांच्या श्रमांना सन्मान, हक्कांना कायदेशीर आधार आणि विकास प्रक्रियेत समान सहभाग मिळवून देण्याची क्षमता या विधेयकात आहे. महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता, समान हक्क आणि शासनाच्या सर्व कृषी योजनांचा लाभ मिळवून देणारे ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक, २०२६’ विधान परिषदेत आणि विधानसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. हे विधेयक राज्यातील महिलांसाठी एक ऐतिहासिक पाऊल ठरणार आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून महिला शेतकऱ्यांना प्रथमच स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर ओळख मिळणार असून, शेतकरी म्हणून कायदेशीर बहुमान देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली कृषी विभागाने हे विधेयक तयार केले आहे.

या विधेयकाची सर्वांत मोठी जमेची बाजू म्हणजे ‘शेतकरी’ या संकल्पनेचा विस्तार. शेती केवळ पिकांच्या उत्पादनापुरती मर्यादित नसून पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मधमाशीपालन, रेशीम उद्योग, कृषी वानिकी, सेंद्रिय शेती, मशरूम उत्पादन, वनोपज संकलन आणि इतर पूरक व्यवसाय यांचाही त्यात समावेश आहे, ही वस्तुस्थिती या विधेयकाने स्वीकारली आहे. यामुळे भूमिहीन, भाडेपट्ट्यावर शेती करणाऱ्या किंवा शेतमजूर म्हणून काम करणाऱ्या महिलांनाही प्रथमच स्वतंत्र शेतकरी म्हणून ओळख मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.

आजही ग्रामीण भागात शेतीतील श्रम आणि मालकी यांच्यात मोठी दरी आहे. अनेक महिला दिवसभर शेतात राबतात; परंतु जमिनीची मालकी त्यांच्या नावावर नसल्यामुळे त्यांना पीक कर्ज, पीक विमा, कृषी अनुदाने, बँक कर्ज किंवा शासनाच्या इतर योजनांचा लाभ घेण्यासाठी इतरांवर अवलंबून राहावे लागते. या परिस्थितीत महिला शेतकरी प्रमाणपत्राची संकल्पना महत्त्वाची ठरते. पात्र महिलांना हे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर शासनाच्या विविध कृषी योजनांपर्यंत त्या थेट पोहोचणार आहेत. विशेष म्हणजे महिलांना शेतकरी म्हणून मान्यता मिळण्याने त्यांना केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेता येणे शक्य होईल. या निर्णयामुळे पीक कर्ज, पिकांसाठी अनुदान, पीक विमा, बियाणे, खते आणि इतर शासकीय सुविधांचा लाभ त्यांना मिळणार आहे.

विधेयकात महिला शेतकऱ्यांचा स्वतंत्र डिजिटल डेटाबेस तयार करण्याची तरतूदही महत्त्वाची आहे. आज अनेक योजना लाभार्थ्यांची अचूक माहिती उपलब्ध नसल्यामुळे अपेक्षित परिणाम साधू शकत नाहीत. डिजिटल नोंदणीमुळे योजनांचे नियोजन, अंमलबजावणी आणि लाभांचे वितरण अधिक पारदर्शक व परिणामकारक होण्यास मदत होऊ शकते. त्याचबरोबर महिला शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र निधी, कौशल्य विकास, उद्योजकता, आर्थिक साहाय्य आणि बाजारपेठेपर्यंत पोहोच यांसारख्या उपाययोजनांमुळे महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण अधिक व्यापक स्वरूपात घडणार आहे.

तथापि, कोणत्याही प्रगतिशील कायद्याचे यश त्याच्या तरतुदींमध्ये नसून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत असते. अनेक ग्रामीण कुटुंबांमध्ये महिलांचे निर्णयस्वातंत्र्य मर्यादित असते. त्यामुळे केवळ कायदेशीर मान्यता मिळाल्याने सर्व समस्या सुटणार नाहीत. महिलांना त्यांच्या हक्कांविषयी जागरूक करणे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, कृषी विभाग, सहकारी संस्था आणि बँकांनी संवेदनशीलतेने काम करणे तसेच समाजातील पारंपरिक दृष्टिकोनात बदल घडविणे हीदेखील तितकीच आवश्यक प्रक्रिया आहे. या विधेयकामुळे महिलांच्या श्रमांना प्रथमच संस्थात्मक मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा होत आहे. आजपर्यंत शेतीतील महिलांचे योगदान ‘कुटुंबाला हातभार’ म्हणून पाहिले जात होते; आता त्यांना स्वतंत्र उत्पादक, निर्णयक्षम शेतकरी आणि कृषी अर्थव्यवस्थेतील समान भागीदार म्हणून दर्जा मिळेल. हा बदल केवळ आर्थिक स्थैर्य देण्याचा नसून, सामाजिक बदल आहे.

शेतीचा कणा मजबूत करायचा असेल, तर त्या कण्याला बळ देणाऱ्या महिलांना केवळ सहकारी नव्हे, तर स्वतंत्र शेतकरी म्हणून मान्यता देणे ही काळाची गरज होती. महाराष्ट्राने त्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले आहे. आता त्या पावलाला परिणामकारक अंमलबजावणीची जोड मिळाली, तरच या विधेयकाचे ऐतिहासिक महत्त्व खऱ्या अर्थाने सिद्ध होईल.

लोकमानस

loksatta@expressindia.com

वचपा काढला जाणार नाही कशावरून?

‘केंद्र सरकारचे ‘कोर्स-करेक्शन’’ हा ‘लाल किल्ला’मधील महेश सरलष्कर यांचा लेख (लोकसत्ता- ३ ऑगस्ट) वाचला. या आंदोलनामुळे आपल्यालाही नेपाळ, बांगलादेश वा श्रीलंकेसारख्या परिस्थितीला तोंड द्यावे लागू नये म्हणून मोदी, शहा यांनी माघार घेतली असे वाटते. अर्थात फक्त धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेण्यात आला आहे. आंदोलनकर्त्यांच्या इतर दोन मागण्यांबाबत केंद्र सरकारने काही स्पष्ट आश्वासन दिलेले नाही, कारण सर्व आंदोलकांवरील खटले मागे घेण्यात आलेले नाहीत. उलट काही आंदोलकांना अजूनही पोलीस ठाण्यात फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. आत्महत्या करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक साहाय्य देण्याबाबत सरकार काही हालचाल करताना दिसत नाही. त्यामुळे अनेक गोष्टी अद्याप अस्पष्टच आहेत. पंतप्रधानांनी मध्यरात्री इन्स्टाग्रामवरून दिलेल्या संदेशानुसार त्यांनी युवकांना माफ केले असले तरी खरेच असे होईल का, याविषयी शंका आहे. संसदेने पेपरफुटीबाबत जे नवीन विधेयक संमत केले त्यावरील चर्चेत मोदी आणि शहांनी भाग घेतला नाही. हे नवीन विधेयक म्हणजे २०२४ ला मंजूर केलेल्या विधेयकातील केवळ काही सुधारणा होत्या. एकीकडे संसदेत या विधेयकावर चर्चा होत असताना दुसरीकडे पोलिसांवर झालेल्या दगडफेकीच्या घटनांमधील नातेवाईकांच्या मुलाखती घेणे सुरू होते. यातून सरकार सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न तर करत नाही ना? एकंदरीत केंद्र सरकारने आणि मोदी-शहा जोडगोळीने एक पाऊल मागे घेतले असले, तरी याचा वचपा काढलाच जाणार नाही याची खात्री आहे का?

■ **शुभदा गोवर्धन,** ठाणे

सावधपणे पावले टाकावी लागतील

‘केंद्र सरकारचे ‘कोर्स - करेक्शन’ हा ‘लाल किल्ला’ सदरातील लेख वाचला. वचपा काढल्याशिवाय गप्प बसणारे हे सरकार नाही. खरे युद्ध पुढेच आहे. ही तर रंगीत तालीम आहे. केंद्र सरकारची झालेली मानहानी आणि जिव्हारी लागलेली हार, जेन- झीसाठी धोक्याची घंटा असल्याने त्यांना सावध रहावे लागेल. पेलेट गनमधून गोळीबार केला जात होता, तेव्हा गृहमंत्रालय गप्प बसले होते. त्यानंतर मोदींनी मैदानात उतरून ‘तह’ तर केला पण, पश्चात्ताप कुठेच दिसला नाही. सरकार निगरगट्ट असल्याने, विद्यार्थ्यांनी सावध भूमिका घेऊन, एकजूट कायम ठेवणे गरजेचे आहे. एक लढा अजून शेष आहे. पावला पावलावर संकट उभे आहे, हे ओळखूनच पुढचे पाऊल सावधपणे टाकावे लागेल.

■ **डॉ. नूतनकुमार पाटणी,** चिकलठाणा (छत्रपती संभाजीनगर)

वृक्षतोडीचे काम अधिकच सोपे

‘...सिर्फ कफन बदला है!’ हे संपादकीय (३ ऑगस्ट) वाचले. पर्यावरण खात्याची मंजुरी आणि तीदेखील ‘अपवादात्मक परिस्थिती’ असेल तर; म्हणजे सांप्रत विकासरूपी भुताने झपाटलेल्या परंतु या कथित विकासाला गती असली तरी; दिशा नसलेल्या (उदा. ग्रेट निकोबार प्रकल्प) केंद्र सरकारच्या हाती एका अर्थी आयते कोलीत मिळाल्यासारखे आहे. डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात पर्यावरण खाते हे पर्यावरण रक्षण कायद्याबाबत अतिशय काटेकोर असलेल्या जयराम रमेश यांच्या हाती होते. मोदी सरकारमध्ये असे काही होणे शक्य नाही. दुसरे म्हणजे ही ‘अपवादात्मक परिस्थिती’ ठरवणार कोण; तर सर्वाधिकार सांप्रत केंद्र सरकारच्याच हाती असणार आहेत. अशा अवस्थेत अनेक क्लृप्त्या वापरण्यात हातखंडा असलेल्या सरकारसाठी काम अधिकच सोपे होईल. नुकतीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने २०२० पासून पायाभूत सुविधांना दिलेल्या मंजुरीमध्ये भारताची सुमारे एक लाख हेक्टर वनजमीन नष्ट झाल्याचे लोकसभेत सांगितले.

केंद्र सरकारचीच आकडेवारी सांगते की, भारतात दरवर्षी दीड लाख हेक्टर जंगल नाहीसे होते. नीती आयोगाच्या अहवालानुसार एकूण क्षेत्रफळाच्या ३३ टक्के जंगल असणे आवश्यक आहे आणि आज ते २४ टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे; तेही केंद्र सरकारने केलेल्या ‘जे जे हिरवे ते ते जंगल’ या धारणेनुसार! इंग्लंडमधील ‘युटिलिटी बीडर’ संस्थेच्या अहवालानुसार जंगलतोडीत भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर असून ब्राझील पहिल्या क्रमांकावर आहे.

■ **बाळकृष्ण शिंदे,** पुणे

पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाची गरज

‘...सिर्फ कफन बदला है!’ हा अग्रलेख वाचला. सत्ता कोणाचीही असो, पर्यावरणीय मंजुरी प्रक्रिया सातत्याने शिथिल होत गेली आहे. मात्र महत्त्वाचा प्रश्न अनुत्तरित राहतो: प्रश्न फक्त परवानगीचा आहे की प्रत्यक्ष परिणामांचा?

पर्यावरणीय कायद्याचा उद्देश केवळ परवानग्यांची प्रक्रिया पूर्ण करणे नसून, पर्यावरणाची प्रत्यक्ष हानी रोखणे हा असला पाहिजे. पूर्वपरवानगी हे त्यासाठीचे महत्त्वाचे साधन आहे; पण तेच अंतिम ध्येय नाही. भारताचा अनुभव सांगतो की, अनेक प्रकल्पांना कायदेशीर मंजुरी मिळूनही पर्यावरणीय अटींचे उल्लंघन होत राहते. म्हणजे प्रश्न केवळ परवानगीचा नसून, प्रभावी अंमलबजावणीचा आहे. त्यामुळे कायद्याने आदर्श आणि वास्तव यांच्यात समतोल साधला पाहिजे.

जाणीवपूर्वक फसवणूक, माहिती लपविणे किंवा अपरिवर्तनीय पर्यावरणीय हानी यांना माफी असू नये. मात्र केवळ प्रक्रियेत त्रुटी असेल, पर्यावरणीय परिणाम मर्यादित असतील आणि भरपाईसह सुधारणा शक्य असेल, तर कठोर दंड व सततच्या देखरेखीखाली नियमित करण्याचा पर्याय नाकारता येत नाही. लोकशाहीत कायद्याचे यश प्रक्रियेच्या पावित्र्यावर नव्हे, तर समाज आणि पर्यावरणावर झालेल्या प्रत्यक्ष परिणामांवर मोजले जाते. पर्यावरणीय कायद्यालाही हीच कसोटी लागू झाली पाहिजे. कारण पर्यावरणाचे संरक्षण कागदावरील मंजुरीतून होत नाही; ते कठोर निरीक्षण, पारदर्शक अंमलबजावणी आणि उत्तरदायी राज्यव्यवस्थेतूनच शक्य असते. पर्यावरण वाचवणारा कायदा तो नाही, जो सर्वाधिक परवानग्या मागतो; पर्यावरण वाचवणारा कायदा तो आहे, जो पर्यावरणाची हानी प्रभावीपणे रोखतो.

■ **संदीप देवरे,** मुंबई

विकास आणि पर्यावरणात संतुलन हवे

अमेरिका आणि चीन हे पर्यावरणावर सर्वाधिक प्रभाव टाकणारे देश आहेत. औद्योगिकीकरणाच्या काळात त्यांनी कठोर नियमांकडे दुर्लक्ष केले आणि आर्थिक शक्ती मिळवली. विकसित देशांच्या भूतकाळातील चुकांकडे दुर्लक्ष करून विकसनशील देशांवर कठोर मानके लादणे हा दुटप्पीपणा आहे. भारताने आपल्या विकासाचे प्राधान्यक्रम आणि पर्यावरणीय जबाबदाऱ्या यांच्यात संतुलन साधले पाहिजे. त्यामुळे, मध्यम मार्ग काढणे आवश्यक आहे.

पर्यावरणाची मंजुरी सुरुवातीलाच घेणे अनिवार्य असले पाहिजे, परंतु ही प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक हवी. ऑनलाइन प्रणाली, स्पष्ट कालमर्यादा, स्वतंत्र तज्ज्ञ पुनरावलोकन आणि डिजिटल देखरेख यामुळे विलंब कमी होऊ शकतो. अत्यावश्यक पायाभूत सुविधा, संरक्षण किंवा सार्वजनिक हिताच्या प्रकल्पांसाठी एक विशेष जलदगती यंत्रणा असावी, मात्र त्यासाठी किमान पर्यावरण संरक्षण मानकांची पूर्तता होणे आवश्यक आहे. उल्लंघनांसाठी कठोर दंड असावा, परंतु प्रामाणिक विकासकांना अनावश्यक अडथळ्यांपासून संरक्षण दिले पाहिजे. स्थानिक समुदायाचा सहभाग आणि भरपाई यंत्रणा अधिक मजबूत केली पाहिजे. कठोरता आणि लवचीकता यांचा मिलाफ हा शाश्वत विकासाचा आधार बनेल. पर्यावरण संरक्षण आणि आर्थिक प्रगती या दोन्ही गोष्टी राष्ट्रीय हिताच्या आहेत. त्या परस्परविरोधी न राहता एकमेकांना पूरक ठरल्या पाहिजेत. तरच हा निर्णय केवळ एक कायदेशीर विजय न राहता, व्यावहारिक यशाचा मार्ग बनेल.

■ **संतोष खाडे,** गेवराई

अगतिकतेपेक्षा मोठी दुर्घटना नाही

‘इमारत नाही, कोसळणारी व्यवस्था...’ हा ‘अन्वयार्थ’ (३ ऑगस्ट) वाचला. पावसाबरोबर अशा बातम्यांचे आगमन नित्याचेच झाले आहे. जगण्याचा हक्क मागताना जीवच तारण ठेवावा लागतो. गरिबांच्या स्वप्नांचा पाया नेहमी ढिगाऱ्याखालीच सापडतो. सरकारचे म्हणणे केवळ इतकेच की ढिगाऱ्याखाली सापडून आमच्या जिवाला घोर लावू नका. बाकी तुमचे काहीही होवो. अशा धोकादायक इमारतींमधून आता रहिवाशांना सक्तीने बाहेर काढले जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. जंतर-मंतर वरील न्याय मागणारे विद्यार्थी असोत किंवा इतरत्र जीवनाच्या कचाट्यात सापडलेले नागरिक, ‘सक्ती’ अस्त्र उगारणे सर्वांत सोपे. शाश्वत पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा उपद्व्याप कोण करणार? विरोधकांच्या फोडाफोडीतच किती वेळ खर्ची पडतो? असो, लोक दुर्घटनेला सामोरे जातात ते अगतिकतेतून. अगतिकतेपेक्षा मोठी दुर्घटना नाही.

■ **प्राजक्ता वाढोणकर,** पुणे

कुतूहल

झाडांमध्ये पाणी वर कसं चढतं?

गुरुत्वाकर्षण डावलून पाणी वरच्या दिशेने प्रवास करताना आपण कधी पाहिलं आहे?

आपण एखाद्या पेयामध्ये जेव्हा ‘स्ट्रॉ’ घालतो, तेव्हा स्ट्रॉमध्ये वरच्या टोकापर्यंत पेय येण्यासाठी, आपल्याला तोंडाने स्ट्रॉमधली हवा शोषून घ्यावी लागते. स्ट्रॉमध्ये असलेली हवा निघून गेल्यावर तिथे होणारी रिकामी जागा भरून काढण्यासाठी पेय आपोआपच स्ट्रॉमध्ये वरच्या दिशेने खेचलं जातं. मग झाडांमध्ये पाणी मुळांपासून वरच्या दिशेने कसं प्रवास करतं?

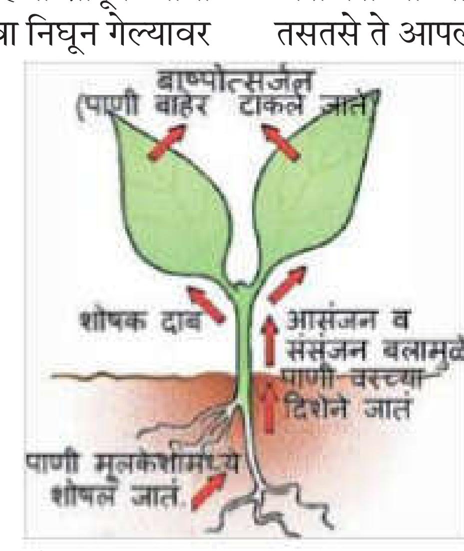

अतिशय उंच झाडांच्या अगदी शेंड्याकडच्या पानांपर्यंत पाणी पोहोचवण्यासाठी, झाड अनेक वैज्ञानिक तत्त्वं वापरत असतं. झाडाच्या जमिनीत पसरलेल्या मुळांवर केसांसारखे अनेक बारीक ‘मूलकेश’ असतात. मातीत असलेलं पाणी या मूलकेशांमध्ये शोषलं जातं. याला ‘परासरण’ क्रिया कारणीभूत असते. मूलकेश आजूबाजूच्या मातीच्या तुलनेत थोडे कोरडे असतात, म्हणून ओल्या जमिनीतलं पाणी, कोरड्या मुळांमध्ये शोषलं जातं. झाडांमध्ये पाणी वाहून नेण्यासाठी ‘झायलेम’ नावाच्या अतिशय बारीक व्यासाच्या जलवाहिन्या असतात. मूलकेशांनी शोषलेलं पाणी या जलवाहिन्यांमध्ये दाखल होतं.

झाडाच्या शेंड्याच्या पानांमध्ये असलेलं पाणी, पानांना असलेल्या छिद्रांतून वाफ होऊन बाहेर हवेत सोडलं जातं. याला आपण ‘बाष्पोत्सर्जन’ असं म्हणतो. हे पाणी बाहेर निघून गेल्यामुळे, झाडाच्या जलवाहिन्यांमध्ये पोकळी निर्माण होते. जशी आपण स्ट्रॉमधून हवा शोषून घेतल्यावर होते तशी! साहजिकच जलवाहिन्यांमधलं पाणी वर खेचलं जातं.

पाण्याच्या दोन रेणूंमध्ये ‘संसंजन’ बल असतं. संसंजन बल म्हणजे पाण्याच्या दोन रेणूंना एकमेकांबद्दल असलेलं आकर्षण! संसंजनामुळे पाण्याचे थेंब एकमेकांना धरून ठेवतात. त्यामुळे जसजसे पाण्याचे वरचे थेंब खेचले जातात, तसतसे ते आपल्या मागे असलेल्या थेंबांनाही वर खेचतात. शिवाय पाण्यामध्ये ‘आसंजन’ बलही कार्यरत असतं. म्हणजेच पाण्याला दुसऱ्या पदार्थांच्या रेणूंबद्दलही आकर्षण असतं. जेव्हा आपण पेल्यातून पाणी पितो तेव्हा पाणी प्यायलेला पेला पूर्णपणे कोरडा कधीच होत नाही, कारण ज्या पदार्थाने तो पेला बनलेला असतो त्या पदार्थाबद्दल पाण्याला असलेलं आसंजन! जलवाहिन्यांबद्दल पाण्याला असलेलं आसंजन बल आणि पाण्याच्या रेणूंना एकमेकांबद्दल असलेलं संसंजन बल, या दोन्हींमुळे जल नलिकांमध्ये पाण्याच्या थेंबांची साखळी वर चढू लागते.

शिवाय मुळांमध्ये काही प्रमाणात ‘मूलदाब’ही असतो. म्हणजे जमिनीतून शोषलेलं पाणी, मुळं थोड्या प्रमाणात जलवाहिन्यांमधून वरच्या दिशेने ढकलत असतात. अर्थात हा दाब क्षीण असतो, पण तो काही अंशी, पाणी वर चढण्याला कारणीभूत होतो.

अशा प्रकारे नैसर्गिकरीत्याच झाड स्वतःचा पंप तयार करतं. माणसासारखी इतर कोणत्याही यांत्रिक पंपांची गरज त्याला भासत नाही.

डॉ. मानसी राजाध्यक्ष
मराठी विज्ञान परिषद
ईमेल : office@mavipa.org
संकेतस्थळ : www.mavipa.org

उलटा चष्मा

दादा, स्वतःच दगड होऊ नका!

*‘**रोज दुपारी** बारा वाजता उठून जगाला ज्ञान पाजणारे ते ठाकरे मला मूर्खात काढतात काय? थांब, आता दाखवतोच त्यांना दगडावरचे फिंगर प्रिंट काढून आधारशी कसे जोडायचे ते’ असे म्हणत चंद्रकांतदादांनी सर्व साहाय्यकांना आवाज दिला. ‘उद्याचे सर्व कार्यक्रम रद्द करा, अभ्यागतांना प्रवेश बंद. सर्वांनी बंगल्याच्या मागच्या हिरवळीवर उद्या सकाळी ९ वाजता जमायचे. आपल्या विचाराचे चार ठसेतज्ज्ञ बोलावून घ्या, एक ट्रॉलीभर दगड हवेत. जेन-झीसारखे दिसणारे दोन-चार पुतळे हवेत. तंत्रशिक्षण खात्याचा मंत्री म्हणन जे बोललो ते वैज्ञानिकदृष्ट्या योग्य कसे हे आता जगाला दाखवून द्यायचेच.’*

आदेश ऐकताच साहाय्यकांची पळापळ सुरू झाली. निरोप दिले गेले. बरोबर नऊच्या ठोक्याला केसातून कंगवा फिरवत दादा हिरवळीवर आले. आजूबाजूला ठेवलेले दगड व मधोमध त्यांची खुर्ची, ही रचना बघून ते खूश झाले. समोर दूर अंतरावर चार पुतळे उभे ठेवण्यात आले होते. त्याच्या पाठीमागे लाकडाची मोठी भिंत. मारलेले दगड शेजाऱ्यांच्या बंगल्यात जाऊ नयेत म्हणून!

पहिला दगड दादांनीच उचलला व जेन झीविषयीचा राग मनात आणत अगदी त्वेषाने पुतळ्यावर भिरकावला. लगेच एक ठसेतज्ज्ञ धावला व त्याने तो दगड उचलून त्यावरच्या बोटांच्या ठशाची पाहणी सुरू केली. तो काय सांगतो याकडे दादांचे लक्ष लागले होते. बराच काळ निरीक्षण केल्यावर त्याने जाहीर केले. ‘यावरचे ठसे एकाच व्यक्तीचे आहेत असा निष्कर्ष काढणे कठीण. सुरुवातीला याला दादांचे हात लागले, मग पुतळ्याचा स्पर्श झाला, नंतर हिरवळीवरील गवताचा.’ हे ऐकताच दादा भडकले. ‘मग तुम्ही आपल्या विचाराचे असून काय फायदा? आम्ही जे बोलतो तेच खरे हे सिद्ध करणे एवढेच तुमचे काम. तेही नीट करता येत नाही.’ हे ऐकून सन्नाटा पसरला. मग दादांनी साहाय्यकांना दगड मारण्याची सूचना केली. त्यांच्याही बाबतीतला निष्कर्ष तसाच निघाला.

जेन झीला घाबरवण्यासाठी आपण बोललो. ते सहज खपून जाईल व ही पिढी भीतीने घरात दडून बसेल असे वाटले पण घडतेय ते उलटेच, असा विचार मनात येताच दादा अस्वस्थ झाले. जंतरमंतरवर भिरकावण्यात आलेले सर्वच दगड लोकांना लागले नाहीत. काही न लागताही खाली पडले असतील. त्यावरचे ठसे तर सुरक्षित असतील असा विचार मनात येताच ते पुन्हा उठले. एक दगड हाती घेऊन त्यांनी तो मुठीत घट्ट पकडला व न भिरकावताच ठसेतज्ज्ञांच्या हातात सोपवला. आता यावरचे ठसे बघ व ते माझ्या आधारच्या लिंकवर असलेल्या ठशांशी पडताळून बघ असे सांगून ते खुर्चीत बसले.

बराच काळ निरीक्षण केल्यावर तज्ज्ञाने निर्वाळा दिला, यावरचे ठसे स्पष्टपणे दिसतात. मग ते दादांच्या आधार लिंकशी जुळतात का याची पडताळणी सुरू झाली. खूप खटपट केल्यावर तज्ज्ञ म्हणाले ‘हे ठसे लिंकवर उपलब्ध असलेल्या दादांच्या ठशांशी अजिबात जुळत नाहीत. लिंकवर असलेले ठसे वयस्क व्यक्तीचे वाटतात तर दगडावरचे एखाद्या बालकाच्या बोटासारखे व अपरिपक्व दिसतात! हे ऐकताच दादांचा चेहरा खाड्कन उतरला.

मागे उभे असलेले साहाय्यक फिदीफिदी हसत असल्याचा भास त्यांना झाला. त्यांच्याकडे रागाने बघत एक दगड त्यांनी उचलला व ‘त्या दिपकेच्या नावाने’ असे पुटपुटत पुतळ्याकडे भिरकावून ते बंगल्यात परतले. मोबाइल हातात घेतल्यावर पहिलाच संदेश त्यांना स्क्रीनवर दिसला. ‘दगडांना बोलके करण्याच्या नादात स्वतः दगड होऊ नका म्हणजे मिळवले.’

राजवाडे विचारविश्व

शहाजीच्या इतिहासाचे चार भाग

मालोजीच्या कारकीर्दीचा अगदी थोडक्यात आढावा घेऊन त्याला मिळालेल्या जहागिरीच्या मुलखाचे ऐतिहासिक महत्त्व राजवाड्यांनी अधोरेखित केले. त्यांनी लिहिले, ‘मालोजीला पुत्रलाभ झाला, त्या सुमारास निजामशहाची व मोंगलांची युद्धे नांदेड, बीड वगैरे प्रांतांत सुरू असून निजामशहाचे ठाणे अवश्यास, जुन्नरास व परिंड्यास हलते होते. मोंगलांशी होणाऱ्या युद्धांत पराक्रम करून निजामशहाची व वरकरणी मलिकंबराचीही इतकी मेहेरनजर मालोजीने संपादिली की शक १५२५ मध्ये पंचहजारी मनसब मिळवून तो तोलदार सरकार बनला. नंतर शहाच्या खास मध्यस्थीने शहाजीचा दुसरा विवाह जाधवरावाची कन्या जिजाबाईशी झाला. त्यावेळी मालोजीचे वय त्रेपन्न वर्षांचे असून शहाजी नऊ वर्षांचा व जिजाबाई आठ वर्षांची होती.’

‘पुढे मलिकंबराच्या कारकीर्दीत शक १५४१पर्यंत अनेक मुलुखगिऱ्या करीत राहिलेल्या मालोजीला रणभूमीवर मृत्यूने गांठिले. मरणसमयी मालोजीचे वय सत्तरीच्या जवळ आले होते... फौजेच्या खर्चाकरिता निजामशहाने मालोजी राजास जी जहागीर दिली, ती बहुतेक निजामशाही, मोंगलाई व आदिलशाही यांच्या सरहद्दीवरील असून कित्येक परगणे मोंगलाच्या राज्यांतील होते. सरहद्दीवरील ते परगणे देण्याचा स्पष्ट हेतू होता की, निजामशाहीची सरहद्द स्वहितार्थ तरी मालोजीने शाबूद ठेवावी. मोंगलांच्या प्रांतांतील परगणे जहागीर देण्यात मतलब होता की, मालोजीने ते प्रांत कायमचे जिंकून घेऊन निजामशाहीस जोडावेत. देणाऱ्याची दूरदृष्टी व घेणाऱ्याची हिंमत सारखीच वाखाणण्यालायक आहे!’

शिवाजीच्या आज्याचा हा त्रोटक इतिहास सांगून संपवताना राजवाड्यांनी जाता जाता एक नोंद मात्र आवर्जून केली; ती अशी की, ‘शिखरशिंगणापूरच्या निर्जल डोंगरावर विस्तीर्ण सरोवर बांधून व वेरुळाच्या घृष्णेश्वराच्या देवालयाचा जीर्णोद्धार करून मालोजीने महाराष्ट्रात सर्वतोमुखी कीर्ति संपादन केली.’

‘मालोजीच्या मृत्यूनंतर त्यावेळच्या दरबारी शिरस्त्याप्रमाणे वर्ष- दीड वर्षाने शक १५४३मध्ये दुर्मतिसंवत्सरात (बृहदीश्वरशिलालेखातील उल्लेखाप्रमाणे) शहाजीला मालोजीची सर्व जहागीर व सर्व सैन्य यांचे आधिपत्य प्राप्त झाले. तेथपासून शक १५८५पर्यंतची जी ४२ वर्षे त्यांचा इतिहास आता कालक्रमानुसार मांडावयाचा आहे’, हा आपला उद्देश स्पष्ट करून राजवाड्यांनी त्या इतिहासाचे मुख्य चार भाग पाडले. ‘शक १५४३पासून शक १५५०मधील फतेखानाच्या कैदेपर्यंतचा पहिला भाग. ह्या सात वर्षांत मलिकंबराचा हस्तक म्हणून काही काळ व फतेखानाचा प्रतिस्पर्धी म्हणून काही काळ शहाजीचा गेला... १५४८मध्ये मलिकंबराचा मुलगा फतेखान निजामशाही कारभारी होऊन शक १५५०मध्ये कैद झाल्यापासून शक १५५८मध्ये निजामशाहीचा अंत होईपर्यंतचा आठ वर्षांचा दुसरा भाग. ह्या अवधीत शहाजीचे प्राबल्य अतोनात वाढून त्याच्याच जोरावर निजामशाही काही वर्षे टिकून राहिली... शक १५५८मध्ये शहाजी आदिलशाही सरदार झाल्यापासून शक १५७०मध्ये त्याला अटक होईपर्यंतच्या बारा वर्षांचा तिसरा भाग. ह्या कालावधीत शहाजीचा कर्नाटकात बस बसता बसता तो बहुतेक स्वतंत्र व मुखत्यार असा महाराजा बनत चालला... शक १५७१पासून शक १५८५पर्यंतच्या पंधरा वर्षांचा चौथा भाग. ह्या अवकाशात कर्नाटकात स्थिरस्थावर करून शहाजी स्वतंत्र राजाप्रमाणे बहुतेक किंवा सर्वस्वी राहू लागला. त्याचा सवाई व पराक्रमी पुत्र जो शिवाजी, त्याने सह्याद्रिखंडातील आनंदवनभुवनात स्वतंत्र राज्याची स्थापना केली...’

शहाजीचरित्राचे असे भाग पाडून झाल्यावर राजवाड्यांनी त्या काळातील एकंदर स्थितीचे थोडक्यात चित्रण केले. त्यांनी लिहिले, ‘शहाजीच्या काळी सैन्यात हजारोंनी सामान्य कुणबी शिपाई भरती होत असत. त्यांना मुत्सद्देगिरी, राजकारण वगैरे बडा व्यवहार करण्याची ऐपत नसे. मोसमात शेतकाम करून बाकीच्या काळात शिपाईगिरीवर पोट चालवण्याची धमक या कुणब्यांत उद्भवली होती. जो जास्त पोटगी देईल त्याची शिपाईगिरी करण्यास, त्याचा पाईक होण्यास हा वर्ग उत्सुक असे, मग तो धनी हिंदू असो की यवन असो, देव फोडणारा असो की जोडणारा असो, जुना असो की नवा असो!’ कशाकरिता लढावयाचे व कदाचित लढून मरावयाचे तर केवळ पोटाकरिता, असे मानणारा हा वर्ग होता...’

– **आनंद हर्डीकर**
anand47.hardikar@gmail.com

प्रकल्प-पूजेची दक्षिणा!

कथित 'कल्याणकारी योजनां'वर दौलतजादा करण्याच्या सवयीचा परिणाम असा की व्यापक हिताच्या व्यवस्थात्मक खर्चासाठी सरकारच्या हाती पैसाच राहत नाही...

आपल्या राज्यकर्त्यांच्या नवनव्या प्रकल्प घोषणांच्या छंदाचे वर्णन करण्यास 'पुढचे पाठ; मागचे सपाट' हा वाक्प्रचार चपखल! मुंबईचे महत्त्वाचे उपनगर असलेल्या ठाणे नगरीत काही अनावश्यक प्रकल्पांचा घाट घातला जात आहे. त्याविरोधात विविध संस्थांनी आवाज उठवला असून त्यांच्या मेळाव्यात मार्गदर्शन करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी ''मोठे प्रकल्प म्हणजे विकास नव्हे'' असे विधान केले. ते अत्यंत महत्त्वाचे. कारण ते करणाऱ्या व्यक्तीची नैतिक-निष्ठा. आपल्याकडे वरिष्ठ नोकरशहा, न्यायाधीश यांस अधिकारपदांवरून पायउतार झाल्यावरच कंठ फुटतो आणि सरकारने काय करणे गरजेचे यावर अनेक निवृत्त आदरणीय गावगन्ना मार्गदर्शन करत हिंडत असतात. न्या. अभय ओक हे यास अत्यंत सन्माननीय अपवाद. न्यायाधीशपदावर असतानाही ते जनहिताची भूमिका घेण्यास कचरले नाहीत. सेवेत असताना आणि निवृत्तीनंतर त्यांचे विचार-सातत्य दिसते ही बाब महत्त्वाची. म्हणून त्यांच्या प्रतिपादनावर भाष्य आवश्यक.

त्यासाठी सत्ताधीशांचे वर्गीकरण दोन गटांत करावे लागेल. पहिला गट प्रक्रियांस महत्त्व देतो. दुसरा प्रकल्पांस. पं. नेहरू ते अटलबिहारी वाजपेयी आणि मनमोहन सिंग हे पहिल्या गटात मोडतात. प्रक्रिया सुधारणा चिरस्थायी असतात. पण त्या करणाऱ्यांस प्रसिद्धीच्या झोतात राहता येतेच असे नाही. बऱ्याचदा या प्रक्रिया सुधारणांचे परिणाम लगेच दिसतही नाहीत. त्यामुळे आज वृक्ष लागवड आणि आजच त्यांची फळे हवी अशी मानसिकता असणारे प्रक्रिया सुधार मार्गाच्या वाट्यास जात नाहीत. त्यातून आवश्यक मत-पेरणी होत नाही, हे कारण. त्या मानाने दुसरा 'प्रकल्प-ग्रस्त' राजकारण्यांचा गट अधिक लोकप्रिय. त्यात हौशे, नवशे अशा अनेकांची भाऊगर्दी दिसून येते. या गटातील सत्ताधीश नुसत्या चमकदार, चमचमीत आणि चटपटीत घोषणा करण्यात धन्यता मानतात. या प्रकल्पांची खरोखरच गरज आहे किंवा काय, त्याची उपयुक्तता किती जणांस, त्यावरील खर्च आणि त्याचे फायदे-तोटे आदी कोणतेही प्रश्न या गटातील राजकारण्यांस पडत नाहीत. या गटातील हे 'मान्यवर' पूर्वी नव्हते; आताच तयार झाले असे नाही. पूर्वीही असे 'प्रकल्प-ग्रस्त' राजकारणी होते. तथापि त्यांच्यावर शहाण्या वरिष्ठांचे नियंत्रण असे आणि सरकारी यंत्रणांनी आपले इमान सांभाळण्याची प्रथा तेव्हा असल्याने या अशा घोषणा-वेड्यांस काही प्रमाणात आळा घातला जात असे. तथापि हे प्रक्रिया आणि प्रकल्प यांचे संतुलन गेल्या काही वर्षांपासून पार बिघडले आणि दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत नवनव्या प्रकल्पांच्या घोषणांचा सुळसुळाट झाला. बरे; यातील प्रकल्पांच्या यशापयशाचा हिशेब मांडण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. देशभर स्मार्टसिटी उभारणी, सामान्यांच्या रेल्वे प्रवासात सुधारणा न करता 'वंदे भारत' आदी गाड्या, मंद गतीने चालणारी 'बुलेट ट्रेन', एकही विमान सेवा नसलेल्या विमानतळांची उभारणी इत्यादी अनेक दाखले या संदर्भात देता येतील. अलीकडच्या काळात असे 'प्रकल्प-ग्रस्त' राजकारणी पैशाला पासरीभर मिळतील. पण प्रक्रिया सुधारणांवर भर देणारा सत्ताधीश 'दिसतो कसा आननी' हे पाहावयाचे असेल तर माजी रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्यासारखा एखादाच. प्रभू यांनी आपल्या रेल्वेमंत्रीपदाच्या काळात एकही नव्या सेवेची घोषणा केली नाही; तो मोह त्यांनी टाळला आणि उलट आहे त्या सेवा कशा सुधारता येतील याचे प्रयत्न केले. हा झाला एक भाग.

दुसरा मुद्दा अशा घोषणा-चक्रात सत्ताधीश मुळात अडकतात का, हा. यामागे या घोषणांची पूर्ती आपण करू शकणार नाही, काही घोषणा वास्तवात येणे अशक्य इत्यादी बाबी या सत्ताधीशांस कळत नसतात असे अजिबातच नाही. तरीही त्यांच्याकडून या घोषणांची बरसात केली जाते. यावर असे का होते असा प्रश्न अनेकांस पडेल. त्याचे उत्तर

...म्हणून मग, अव्याहत निविदा मागवत राहायचे आणि मूळ निविदेतले जेमतेम शंभरभर रुपयांचे काम हजारभर रुपयांवर नेऊन सरकारच्या गळ्यात मारायचे अशी ही आजच्या कार्यसम्राट राजकारण्यांची शैली...

आर्थिक वास्तवात दडलेले आहे. केंद्रात असो वा राज्यांत. एकाही ठिकाणी सरकार आपल्या महसुलाचा विनियोग कसा करते; असा प्रश्न उपस्थित केला जात नाही. आपल्याकडील एकंदरच अत्यंत बेताची आर्थिक जाण हे यामागील कारण. आपले सरकार त्यांनी जे करणे अपेक्षित आहे त्यासाठी हवा तितका खर्च करत नाही. करू शकत नाही. कारण निवडणुका जिंकण्याच्या ईर्षेत एकापेक्षा एक बेजबाबदार आश्वासने त्यांनी दिलेली असतात आणि सत्ता मिळाल्यावर ती पाळावी लागतात. सरकारचा मोठा खर्च होतो तो या घोषणांची पूर्ती करण्यात. निवडणुकांच्या आधी प्रत्येक बिहारी महिलेस दहा हजार रु. देणे, 'लाडकी बहीण', देशातील कथित ८२ कोटी 'गरीब' (?) नागरिकांस महिन्याचा किराणा मोफत इत्यादी अनेक घोषणांचे दाखले या संदर्भात देता येतील. सरकार यांस 'कल्याणकारी' योजना मानते. सरकारचेच प्रमुख या अशा योजनांस एके काळी 'रेवडी वाटप' म्हणाले होते हा मुद्दा अलाहिदा. सरकारी तिजोरीतील मोठा महसूल या अशा योजनांवरच खर्च होतो हे आपले वास्तव. पण त्या वास्तवाचा हिशेब मागण्याची प्रथा सांप्रत काळी नसल्याने चोरीचा मामला, हळूहळू बोंबला या सत्याची येथे प्रचीती येते. खरे तर या संदर्भात हळूहळूही कोणी बोलत नाही. या कथित कल्याणकारी योजनांवर दौलतजादा करण्याची सवय लागल्याचा परिणाम असा की व्यापक हिताच्या व्यवस्थात्मक खर्चासाठी सत्ताधीशांच्या हाती पैसाच राहत नाही. लाडक्या बहिणींवर दौलतजादा केल्यानंतर शिक्षणाच्या वा समाजकल्याणाच्या अर्थसंकल्पास कात्री लागणार हे उघड.

म्हणून मग हा प्रकल्पांचा घाट. जनतेस आवश्यकता असो किंवा नसो; प्रकल्पांच्या घोषणा करत राहायचे, अव्याहत निविदा मागवत राहायचे आणि कामाची कंत्राटे देत राहायचे, ही नवी रीत. हे प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होणार नसतातच. मग त्यांचा प्रकल्प खर्च वाढता राहील याची खातरजमा करायची आणि ती करत असताना मूळचे जेमतेम शंभरभर रुपयांचे काम हजारभर रुपयांवर नेऊन सरकारच्या गळ्यात मारायचे अशी ही आजच्या कार्यसम्राट राजकारण्यांची शैली. तीत सर्वपक्षीय कार्यसम्राट जसे सहभागी असतात तसेच स्थानिक प्रशासनही यातून मिळणाऱ्या 'तीर्थप्रसादासाठी' रांगेत उभे असते. सरकारचे काम म्हणजे जनतेचे दाम! म्हणजे नक्की कोणाचेच नाही. ती कामे करणारे कंत्राटदार मात्र सर्व सत्ताधीशांचे. त्यातून हा कामे करणारा कोणी लाडका 'अ'द्योगपती असेल तर पाहायलाच नको. त्याच्या पदरी कामेच कामे! या सगळ्याचा अर्थ असा की ही कामे मायबाप, जनता-जनार्दन वगैरे उपाध्यांनी ज्यांस गौरवले जाते, निवडणुका आल्या की ज्यास 'मतदार राजा' असे संबोधले जाते त्या सामान्य भारतीय नागरिकासाठी अजिबात काढली जात नाहीत. या कामांचे लाभार्थी फक्त आणि फक्त दोनच.

सत्ताधीश आणि मोजके 'अ'द्योगपती वा कंत्राटदार. प्रकल्प जितका निरुपयोगी तितके त्याचे कंत्राट मोठे. आणि जितके कंत्राट मोठे तितक्या विकासाच्या बाता मोठ्या. वस्तुतः त्या करणारे आणि कंत्राटांचे लाभार्थी या दोघांसही सत्य ठाऊक असते. आपण जे करतो आहोत त्याचा विकासाशी काडीचाही संबंध नाही हे सत्य हे उभयता जाणतात. पण तरीही या विकासाच्या बाता आणि बतावण्या केल्या जातात. पूजेचा घाट घालणारे यजमान आणि पूजा सांगणारे भिक्षुक यांच्यात साटेलोटे असावे आणि उपाध्यायांस मिळणाऱ्या दक्षिणेत यजमानाचा वाटा असावा; तसे हे आहे. प्रकल्प पूजा आयोजित करणारे सत्ताधीश आणि कंत्राटदार भिक्षुक या दोघांचे हितसंबंध प्रकल्प-पूजेच्या 'दक्षिणेत' आहेत. म्हणून मोठे प्रकल्प म्हणजे विकास नव्हे हे कळत असूनही प्रकल्प लादले जातात आणि हे अर्थशास्त्र न कळणारे नागरिक ते सहन करतात.

वैद्यकीय आस्थापनांसाठीचा कायदा निरोगी हवा!

लेख

डॉ. राजेंद्र कुलकर्णी
drrajakulkarni@gmail. com

'महाराष्ट्र वैद्यकीय आस्थापना (नोंदणी आणि नियमन) विधेयक' या प्रस्तावित कायद्याला डॉक्टरांचा विरोध नसून, आजवरचे कायदे आणि त्यांची अंमलबजावणी यांतील दोष या कायद्याने तरी टाळावेत, अशी अपेक्षा आहे...

महाराष्ट्र शासनाने नुकत्याच संपन्न झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात, वैद्यकीय आस्थापनांच्या नोंदणी आणि नियमनासाठी 'महाराष्ट्र क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट्स बिल, २०२६' हे विधेयक राज्याचे सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत मांडले असून, त्यावर व्यापक चर्चा आणि सर्व संबंधित घटकांकडून सूचना व अभिप्राय मिळावेत यासाठी ते विधिमंडळाच्या संयुक्त समितीकडे पाठविण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारच्या २०१० च्या क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट्स ॲक्ट या कायद्यावर हे विधेयक आधारित आहे. तसेच महाराष्ट्रात 'बॉम्बे नर्सिंग होम्स ॲक्ट १९४९' नंतर याविषयी कुठलाही कायदा झालेला नाही. नवा कायदा होणार हे स्वागतार्हच, पण नवे विधेयक समाजाच्या आरोग्य व्यवस्थेवर दीर्घकालीन परिणाम करणारे असल्याने सर्व स्तरांवर याची चर्चा झाली पाहिजे. अनेक सहकारी डॉक्टर एक साधा प्रश्न विचारत आहेत : हा कायदा आरोग्य सेवा अधिक चांगली करण्यासाठी आहे की तो दैनंदिन वैद्यकीय व्यवसाय अधिक कठीण करणार आहे? म्हणूनच या येऊ घातलेल्या कायद्याची चर्चा होणे गरजेचे आहे.

सर्वप्रथम एक गोष्ट स्पष्ट करू इच्छितो की, कोणीही सुज्ञ डॉक्टर या विधेयकाला विरोध करीत नाही. उलट, रुग्णसुरक्षा, दर्जेदार सेवा, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व लक्षात घेणाऱ्या नियमनाला आम्ही पाठिंबा देतो. आमची खरी चिंता वेगळी आहे : कायदा व्यवहार्य, डॉक्टर आणि रुग्णस्नेही, सहज अमलात आणता येण्याजोगा असावा आणि अनावश्यक प्रशासकीय दडपण किंवा नोकरशाहीचा अवाजवी हस्तक्षेप निर्माण करणारा नसावा. इतकीच आम्हा वैद्यकीय व्यावसायिकांची अपेक्षा आहे. विधेयकात क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट्सची नोंदणी करण्याची तरतूद आहे, तिथपासूनच ही चर्चा सुरू होते.

समस्या व्यवहार्यतेत आहे

प्रत्येक व्यवसाय काही ना काही नियामक चौकटीत कार्य करतो. वैद्यकीय व्यवसाय त्याला अपवाद नाही. रुग्णालये आणि दवाखान्यांनी योग्य दर्जा राखणे, आवश्यक नोंदी ठेवणे आणि सुरक्षित उपचार देणे अपेक्षितच आहे. किंबहुना अशा नोंदणी आणि नियमनामुळे बोगस डॉक्टर आणि भोंदू लोकांपासून समाजाची सुटका होण्यास मदतच होईल. परंतु वैद्यकीय व्यवसायाच्या वास्तव परिस्थितीची जाण न ठेवता बनवलेले नियम सततच्या त्रासाचे कारण ठरू शकते. एकट्या डॉक्टरचा दवाखाना, लहान नर्सिंग होम, डे-केअर सेंटर, निदान प्रयोगशाळा आणि सुपर-स्पेशालिटी रुग्णालय हे एकसारखे नसतात. तरीही तपासणी, पायाभूत सुविधा, आपत्कालीन जबाबदाऱ्या आणि कागदपत्रांची पूर्तता याबाबत त्यांच्यावर समान निकष लादले, तर गोंधळ आणि अन्याय निर्माण होईल. तसे प्रस्तावित आहे.

त्याऐवजी, नोंदणी आणि नियमन यांचे निकष हे संस्थेच्या प्रकारानुसार असावेत. एका डॉक्टरच्या छोट्या दवाखान्याकडून २०० खाटांच्या रुग्णालयाइतक्या पायाभूत सुविधांची अपेक्षा करता कामा नये. त्याचप्रमाणे पॅथॉलॉजी प्रयोगशाळा, इमेजिंग सेंटर, डे-केअर शस्त्रक्रिया केंद्र, प्रसूतिगृह आणि बहुविशेषज्ञ रुग्णालय यांची कार्ये वेगवेगळी असल्यामुळे त्यांच्या अनुपालनाच्या अटीदेखील वेगवेगळ्या असाव्यात. शिवाय, नोंदणीची प्रक्रिया पारदर्शक आणि कालबद्ध असावी. नाही तर नोंदणीचे अर्ज अनंत काळापर्यंत पडून राहू शकतात!

महत्त्वाचे म्हणजे, सार्वजनिक आरोग्य विभागाने स्वतःच्या अखत्यारीतील, गोरगरीब जनता जिथून वैद्यकीय सेवा घेते, ती ठिकाणे या विधेयकातून वगळली आहेत. हे अनाकलनीय आहे. गरिबांना प्रमाणित, नोंदणीकृत, दर्जेदार आणि पारदर्शी आरोग्य सेवेची गरज नाही का? की त्यांना तशी सेवा देणे सरकारला आवश्यक वाटत नाही? नोंदणीच्या तरतुदींत खासगी आस्थापनांचे सरसकटीकरण आणि खासगी- सरकारी भेदभाव असा दुहेरी दोष आहे.

नियमांत स्पष्टता हवी

सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा क्लिनिकल स्वायत्तता अबाधित राखण्याचा. वैद्यकीय निर्णय अखेरीस पात्र आणि नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांनीच घ्यायला हवेत. तो त्यांचा अनेक वर्षांच्या खडतर प्रशिक्षणानंतर कमावलेला अधिकार आहे. प्रशासकीय यंत्रणेने निकषांचे पालन होत आहे की नाही, हे पाहावे; परंतु उपचाराच्या वैद्यकीय निर्णयात हस्तक्षेप करू नये. ही स्पष्टता रुग्णसुरक्षेसाठीही अत्यावश्यक आहे.

विधेयकानुसार 'प्रत्येक' वैद्यकीय आस्थापनांनी आपत्कालीन (इमर्जन्सी) रुग्णांना तातडीचे उपचार आणि सेवा देणे बंधनकारक आहे. सर्व डॉक्टर याबाबत सहमत आहेत की कोणताही आपत्कालीन रुग्ण उपचाराविना सोडला जाऊ नये. परंतु इमर्जन्सी रुग्ण याची व्याख्या कोणी आणि कशी करावी? तशी केली तरीसुद्धा शासनाने तितकीच महत्त्वाची एक दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे, ती म्हणजे, आपत्कालीन उपचाराची जबाबदारी उपलब्ध सुविधांच्या प्रमाणात असावी. 'आयसीयू' नसलेल्या छोट्या दवाखान्याकडून तृतीय स्तरावरील (टर्शिअरी केअर) रुग्णालयाइतक्या पातळीची आपत्कालीन सेवा अपेक्षित ठेवता येणार नाही. किंवा डोळ्यांच्या दवाखान्यात प्रसूती कशी होऊ शकेल?

या सेवा-सक्तीऐवजी छोट्या आस्थापनांसाठी रुग्णाचे मूल्यांकन, उपलब्ध सुविधांमध्ये प्रथमोपचार किंवा मूलभूत जीवनरक्षक उपचार देणे, रुग्णाला शक्य तितके स्थिर करणे, आणि योग्य केंद्रात रेफर किंवा स्थलांतराची व्यवस्था करण्यात मदत करणे हा दृष्टिकोन वास्तववादी आहे.

दुसरी महत्त्वाची चिंता म्हणजे आर्थिक बाब. आपत्कालीन उपचारामध्ये औषधे, वापरायची वैद्यकीय सामग्री, तपासण्या, कर्मचारी आणि वाहतूक व्यवस्था यांचा खर्च येतो. हा अमर्यादित खर्च छोट्या संस्थांनी स्वतःच उचलावा, अशी अपेक्षा न्याय्य, व्यवहार्य आणि म्हणूनच शाश्वत नाही. जर कायद्याने रुग्णाच्या पैसे देण्याच्या क्षमतेकडे दुर्लक्ष करून आपत्कालीन उपचार देणे बंधनकारक केले, तर शासनाने त्यासाठी स्पष्ट खर्च परतावा (रीएम्बर्समेन्ट) यंत्रणा निर्माण करावी.

डॉक्टरांना संरक्षण कुठे आहे?

आपत्कालीन परिस्थितीत प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या डॉक्टर आणि रुग्णालयांना कायदेशीर संरक्षण मिळावे. वैद्यकशास्त्र हे गणित नाही. योग्य उपचार करूनही रुग्णाची प्रकृती बिघडू शकते. एकाच आजाराला, एकच उपचार देऊनही, प्रत्येक वेळी एकसारखा चांगला परिणाम दिसेलच असे नाही. म्हणून अशा वेळी डॉक्टरने योग्य व्यावसायिक दक्षता आणि प्रामाणिक हेतूने आपत्कालीन परिस्थितीत तब्येतीचे नीट आकलन करून, रुग्ण स्थिरीकरण करण्याचा रास्त प्रयत्न केला असेल आणि आवश्यक उपचार किंवा रेफरल केले असेल, तर केवळ परिणाम प्रतिकूल झाला म्हणून त्याच्यावर आपोआप ग्राहक संरक्षण, दिवाणी, फौजदारी किंवा प्रशासकीय कायदेभंगाची कारवाई होऊ नये. किंबहुना अशा वेळी सदर कारवाईपासून संरक्षण मिळायला हवे.

हे संरक्षण गंभीर निष्काळजीपणा किंवा जाणीवपूर्वक गैरवर्तनाच्या बाबतीत लागू होता कामा नये. परंतु जीव वाचवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करणाऱ्या डॉक्टरांना त्यांच्या नियंत्रणाबाहेरील प्रतिकूल परिणामांसाठी शिक्षा होऊ नये. तसेच प्रयोगशाळांना क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट्समध्ये समाविष्ट करायचे असल्यास, जिथे विद्यमान कायद्यानुसार आवश्यक आहे, तिथे निदान आणि अहवाल देण्याचे काम योग्य पात्रता असलेल्या वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या देखरेखीखालीच राहिले पाहिजे.

या विधेयकातच, रेफरलपूर्वी रुग्णाला स्थिर करण्याची संकल्पना वापरली आहे. पण 'स्थिरीकरण' याचा अर्थ अंतिम किंवा निश्चित उपचार करणे असा लावू नये. उदाहरणार्थ, श्वसनमार्ग खुला ठेवणे, रक्तस्राव नियंत्रणात आणणे, ऑक्सिजन देणे, शक्य असल्यास आवश्यक सलाईन सुरू करणे, उपलब्ध आपत्कालीन औषधे देणे आणि वाहतुकीची व्यवस्था करणे या गोष्टी एखादा छोटा दवाखाना शक्य असेल तरच करू शकतो. परंतु तो आपत्कालीन न्यूरोसर्जरी, हृदयविकारावरील हस्तक्षेप किंवा प्रगत अतिदक्षता उपचार करू शकेलच असे नाही. म्हणून 'स्थिरीकरण' म्हणजे रुग्णाला सुरक्षित स्थलांतरासाठी शक्य तितके तयार करणे; पण अशा स्थिरीकरणाची 'व्याख्या' कोणीही करू शकत नाही.

'इन्स्पेक्टर राज' नको!

नियमनासाठी प्रत्येक ठिकाणी तपासण्या आवश्यक असतात; परंतु त्या न्याय्य, वस्तुनिष्ठ आणि पारदर्शक असाव्यात. इन्स्पेक्टर राज येऊ नये यासाठी पूर्वनिश्चित तपासणी निकष, संस्थावार तपासणी याद्या, किरकोळ त्रुटी दुरुस्त करण्याची संधी आणि प्रभावी अपील प्रक्रिया हे आवश्यक आहे. कागदपत्रांतील किरकोळ चुकांसाठी अवाजवी दंड होऊ नये. तपासणीचा उद्देश, आरोग्य सेवेचा दर्जा सुधारणे हा असावा; डॉक्टरांमध्ये भीती निर्माण करणे नव्हे. आणखी एक व्यवहार्य सूचना म्हणजे नियामक अधिकाऱ्यांनाही कठोर कालमर्यादा लागू असाव्यात. नोंदणी, नूतनीकरण, हरकती आणि अपील यासंबंधीचे अर्ज अनिश्चित काळ प्रलंबित राहू नयेत. उत्तरदायित्व हे केवळ संस्थांवरच नव्हे तर नियामक यंत्रणेवरही लागू झाले पाहिजे.

नियम अधिक व्यवहार्य व्हावेत आणि अवास्तव अनुपालनाचा बोजा टळावा, यासाठी नोंदणीकृत वैद्यकीय आस्थापनांसाठीच्या प्रस्तावित नियामक परिषदेत शासकीय अधिकाऱ्यांसह विविध वैद्यकीय पद्धती, विविध शाखा आणि विविध प्रकारच्या वैद्यकीय व्यवसायाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या डॉक्टरांना पुरेसे स्थान मिळाले पाहिजे.

विधेयकात रुग्णांच्या हक्कांचा उल्लेख आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे; परंतु ज्यांच्या कष्टावर ही आरोग्य सेवा उभी आहे त्या डॉक्टर आणि रुग्णालय कर्मचारी यांच्याबाबत कुठलाही हक्क प्रस्तावित नाही. वास्तविक त्यांनाही सुरक्षिततेचा तसेच व्यावसायिक सन्मानाचा हक्क, दिलेल्या सेवांचे योग्य मानधन मिळण्याचा हक्क आणि अवाजवी प्रशासकीय कारवाईपासून संरक्षण एवढे हक्क असले पाहिजेत. मुळात, आधुनिक आरोग्यविषयक कायद्यात रुग्ण आणि डॉक्टर हे परस्परविरोधी पक्ष नसून आरोग्य सेवेतील भागीदार आहेत, हे मान्य केले गेले पाहिजे.

क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट्स विधेयकाभोवती सुरू असलेली चर्चा ही सुधारणांना विरोध म्हणून पाहू नये. उलट, अधिक दर्जेदार आरोग्य सेवा, रुग्णसुरक्षा, पारदर्शक निकष, नीतिमान वैद्यकीय व्यवसाय आणि उत्तरदायी आरोग्य संस्था या आधुनिक काळात अत्यंत आवश्यक गोष्टी आहेत. ही उद्दिष्टे संघर्षाऐवजी सहकार्याच्या मार्गाने साध्य झाली पाहिजेत.

अन्वयार्थ

आकांक्षांच्या झगड्याचा काँग्रेसला झटका?

पंजाब विधानसभा निवडणूक सहा महिन्यांवर येऊन ठेपली असल्याने सत्ताधारी आम आदमी पार्टी सरकारच्या विरोधातील नाराजी दूर करण्याचा आटापिटा करत असतानाच, सत्तास्वप्ने पाहाणाऱ्या काँग्रेसमधील पक्षांतर्गत वाद कमालीचा उफाळून आला आहे. तो किती, ते राज्याचे काँग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल यांच्या समक्ष दोन गटांच्या कार्यकर्त्यांत झालेल्या हाणामारीतून दिसले. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्षाने संघटनात्मक काही फेरबदल केले. पण ते करताना प्रदेशाध्यक्षपदी राहुल गांधी यांचे विश्वासू सहकारी अमरिंदरसिंग राजा वारिंग यांना पदावर कायम ठेवले. ही बाब माजी मुख्यमंत्री चरणजितसिंग चन्नी यांना चांगलीच झोंबली. कारण निवडणुकीनंतर पक्षाला सत्ता मिळालीच तर मुख्यमंत्रीपदावर वारिंग दावा करतील ही चन्नी यांना भीती. त्यातून चन्नी व त्यांच्या समर्थकांनी पक्ष नेतृत्वाला आव्हान देण्यास सुरुवात केली. पक्ष-बैठकांवर चन्नी व त्यांच्या समर्थकांनी बहिष्कार घातला. चन्नी हे दलित शीख समाजातील नेते. पंजाबात दलित मतदारांचे संख्याबळ ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याने, चन्नींची नाराजी पक्षाला परवडणारी नाही. यामुळेच चन्नी यांच्या मनधरणीचे सर्व प्रयत्न पक्षाकडून सुरू आहेत. चन्नी यांची नाराजी दूर करण्यासाठीच 'पक्षाला सत्ता मिळाल्यास मुख्यमंत्रीपदाचा निर्णय निवडणुकीनंतरच घेतला जाईल आणि प्रचार काळात कोणालाही मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा म्हणून जाहीर केला जाणार नाही,' असे पक्षाच्या वतीने जाहीर करण्यात आले. तरीही पक्षांतर्गत वाद आटोक्यात आलेला नाही. संगरूरमध्ये पक्षाचे प्रभारी भूपेश बघेल यांच्या समक्षच वारिंग व चन्नी गटाचे कार्यकर्ते परस्परांना भिडले. पतियाळामध्येही अशीच परिस्थिती उद्भवली. पक्षाने कितीही आश्वासने दिली तरी चन्नी माघार घेण्यास तयार नाहीत. प्रदेशाध्यक्षपद द्या व मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा म्हणून जाहीर करा ही त्यांची मागणी कायम आहे.

पाच वर्षांपूर्वी काँग्रेसने निवडणुकीच्या तोंडावर अमरिंदरसिंग यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याला हटवून चन्नी यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड केली होती. चन्नी यांच्यामुळे दलित मतदार काँग्रेसकडे आकर्षित होतील, असे तेव्हा पक्षाचे गणित होते. पण आम आदमी पार्टीला तीन चतुर्थांश एवढे घवघवीत संख्याबळ मिळाले. तेव्हा तुलनेत नवख्या चन्नी यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड करण्याचा काँग्रेसचा प्रयोग फसला होता. यामुळेच यंदा काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी सावध पावले टाकली आहेत. चन्नी यांच्याकडे सूत्रे सोपवून फारसा फरक पडणार नाही, असे पक्षाचे गणित असावे. यामुळेच बहुधा त्यांची प्रदेशाध्यक्षपदी व पर्यायाने मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा म्हणून संधी देण्याचे पक्षाने टाळले असावे.

आम आदमी पार्टी सरकारबाबत जनमत तेवढे चांगले नाही. पक्षाने निवडणुकीपूर्वी दिलेली काही आश्वासने पूर्ण करणे शक्य झाले नाही. स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या तुलनेत देशात पंजाबवर सर्वाधिक कर्जाचा बोजा आहे. राज्याची आर्थिक परिस्थिती गंभीर आहे. रिझर्व्ह बँकेने पंजाब सरकारला यापूर्वीची धोक्याचा इशारा दिला होता. तरीही महिला मतदारांना खूश करण्याकरिता गेल्या महिन्यापासून 'लाडकी बहीण योजने'च्या धर्तीवर सर्वसाधारण गटातील महिलांना दरमहा १,००० रुपये तर अनुसूचित जातीच्या महिलांना दरमहा १,५०० रु. देण्यास पंजाबमधील 'आप'सरकारने सुरुवात केली. अलीकडेच पार पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत शहरी, निमशहरी तसेच ग्रामीण भागांत आम आदमी पार्टीचा वरचष्मा राहिला. पक्षाला सर्वत्र चांगले यश मिळाले. शीख पंथ व धर्मगुरूंची निंदानालस्ती करणाऱ्यांच्या विरोधात कठोर शिक्षेची तरतूद असलेला कायदा पंजाब विधानसभेने गेल्या एप्रिलमध्ये एकमताने मंजूर केला होता व त्याला राज्यपालांची संमतीही मिळाली होती. पण शीख धर्माच्या अकाल तख्त या सर्वोच्च धर्म परिषदेने या कायद्याला आक्षेप घेऊन नव्याने कायदा करण्याचा आदेश आप सरकारला दिला. त्यानुसार कायद्याचा नवीन मसुदा तयार करण्यात आला आहे. यातच अकाल तख्तने मुख्यमंत्री भगवंत मान यांना 'गुरुधोकी' म्हणजे विश्वासघातकी जाहीर केल्याने त्याचा 'आप'ला किती फटका बसतो का यावरही पक्षाच्या यशाची गणिते अवलंबून आहेत. एकेकाळी राज्याची सूत्रे असणारा अकाली दल पूर्णपणे निष्प्रभ झाला आहे. भाजप शेतकऱ्यांना हमीभावाचे आश्वासन देत विस्तार करण्याच्या प्रयत्नात आहे. भाजपने प्रथमच जाट शीख समाजाकडे प्रदेशाध्यक्षपद सोपवले आहे. पंजाबची निवडणूक चुरशीची होणार हे उघड आहेच; पण आकांक्षांच्या झगड्याने काँग्रेसला झटका कितपत बसणार, हा प्रश्न आहे.

पीकविमा योजनेकडे शेतकऱ्यांनी पाठ का फिरवली ?

विश्लेषण

दत्ता जाधव
dattatray.jadhav@expressindia.com

हवामान बदलामुळे नैसर्गिक आपत्तींचा धोका वाढला असूनही यंदा पीकविमा योजनेसाठी नोंदणी करण्याचा उत्साह शेतकऱ्यांमध्ये दिसून येत नाही; यामागे 'पीक कर्जाशी जोडणी' हे एकच कारण आहे?

पीकविम्यासाठी नोंदणी किती शेतकऱ्यांची?

केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेची राज्यात अंमलबजावणी सुरू आहे. नोंदणीची अंतिम मुदत जुलैअखेर होती, पण काही शेतकरी तांत्रिक अडचणी, कागदपत्रांची पूर्तता अथवा इतर वैयक्तिक कारणांमुळे अर्ज दाखल करू शकलेले नाहीत. या बाबींचा विचार करून अंतिम मुदत ३१ जुलै २०२६ वरून आता १० ऑगस्ट २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. राज्यातील आठ कृषी विभागांच्या आकडेवारीनुसार छत्रपती संभाजीनगर (मराठवाडा) विभागातून सर्वाधिक १३,२५,०००, अमरावती विभागातून ६,९१,९७३, पुणे विभागातून ६,०७,६६३, कोल्हापूर विभागातून २,४०,२५३, नागपूर विभागातून ४,५३,३८३, नाशिक विभागातून ३,३३,३८५, लातूर विभागातून २,४२,८२६, आणि कोकण विभागातून सर्वांत कमी १,०२,३३५, असे एकंदर ६१,८२,२१८ शेतकरी या योजनेत सहभागी झाले आहेत. गतवर्षीची नोंदणी ९५ लाख होती.

केंद्राच्या योजनेचा कारभार कसा?

एक रुपयात पीकविमा म्हणजे शेतकरी हिश्शाची रक्कम राज्य सरकार भरेल, या योजनेपायी राज्य सरकारवरील आर्थिक भार वाढतो, बोगस अर्जदारांची संख्या वाढली म्हणून राज्य सरकारने ही पीकविमा योजना रद्द करून गेल्या वर्षीपासून केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेची राज्यात अंमलबजावणी सुरू केली. मात्र, या केंद्रीय योजनेतून शेतकऱ्यांना अपेक्षित भरपाई रक्कम मिळाली नाही. जून, जुलै २०२५ मध्ये नुकसान झाले तरीही मदत मिळण्यासाठी एप्रिल, मे २०२६ ची वाट पाहावी लागली. अद्यापही धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना विमा भरपाई रक्कम मिळाली नाही.

पीक कर्ज खात्याशी पीकविम्याची जोडणी का?

यंदा प्रथमच केंद्र सरकारने पीकविमा नोंदणी करताना संबंधित शेतकऱ्यांच्या पीक कर्ज खात्याची माहिती अनिवार्य केली आहे. पीकविमा मंजूर झाला तर तो थेट कर्ज खात्यात जाणार आहे. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्याच्या कर्जाची रक्कम अगोदर भरून उर्वरित रक्कम शेतकऱ्याला दिली जाईल. आजवर अनेक शेतकरी पीकविम्याला बचत खाते जोडत, त्यामुळे पीक विम्याची रक्कम कर्ज खात्यात न जाता बचत खात्यात जाई. शेतकऱ्यांना कर्ज परतफेड करण्याची सवय लागावी. आर्थिक शिस्त लागावी, म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय त्रयस्थ संस्थेकडून शेतकऱ्याच्या पिकाचा डिजिटल क्रॉप सर्व्हे केला जाणार आहे. अर्जातील माहिती आणि या सर्व्हेतील माहितीत तफावत असेल तर अर्ज बाद होणारच पण अशा बोगस अर्जदाराची विमा रक्कम जप्त करून, अर्जदारावर गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. पीकविमा नोंदणी करण्यासाठी दहा गुंठे क्षेत्र अनिवार्य केले आहे, या अटींमुळे यंदा कमी नोंदणी झाली आहे.

शेतकरी संघटना, शेतकऱ्यांची मागणी काय ?

शेतकरी पूर्ण हप्ता भरण्यासाठी तयार आहेत. पण, सध्याच्या योजनेत पीक कापणी प्रयोग हाच एकमेव निकष आहे. हंगामात कधीही नुकसान झाले तरीही पीक कापणी प्रयोग पूर्ण होऊन अहवाल केंद्र सरकारकडे जात नाही, तोवर शेतकऱ्यांना मदत मिळत नाही. एक रुपयात पीकविमा योजना असताना प्रतिकूल हवामान घटकामुळे पेरणी, लावणी, उगवण न होणे, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे झालेले नुकसान, पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंत होणारे नुकसान, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि काढणी पश्चात नुकसान, असे निकष होते, ते सर्व निकष रद्द करून पीक कापणी प्रयोग हा एकमेव निकष ठेवला.

रद्द केलेल्या निकषांचा पुन्हा समावेश करावा, अशी केलेली मागणी राज्य सरकारने फेटाळून लावली आहे. पण या निकषांचा समावेश केल्याशिवाय शेतकऱ्यांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळणार नाही, अशी स्थिती आहे.

संपादकीय

धर्मस्वातंत्र्य आणि सक्तीच्या सीमारेषा

'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा २०२६' राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळून राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर आता प्रत्यक्ष अंमलात आला आहे. त्यामुळे बळजबरी, फसवणूक, आमिष अथवा लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन घडवल्या जाणाऱ्या धर्मांतरासाठी आता सात ते दहा वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. हा कायदा लागू होताक्षणीच विरोधाचे तीव्र स्वर उमटले आहेत. वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी या कायद्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची घोषणा केली आहे. या पार्श्वभूमीवर या कायद्याकडे घटनात्मक आणि सामाजिक दृष्टिकोनातूनही पाहणे आवश्यक ठरते. धर्मांतरविरोधी कायद्यांचा वैचारिक पाया सर्वोच्च न्यायालयाने १९७७ साली रेव्ह. स्टॅनिस्लॉस विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य या खटल्यात घातला. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २५ अन्वये धर्म आचरण्याचा, पाळण्याचा आणि प्रसार करण्याचा अधिकार मिळतो, परंतु 'प्रसार' या शब्दात दुसऱ्याला आपल्या धर्मात 'परिवर्तित' करण्याचा अधिकार अंतर्भूत नसल्याचा निर्वाळा देत न्यायालयाने मध्य प्रदेश आणि ओडिशाच्या धर्मस्वातंत्र्य कायद्यांची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली होती. गत पाच दशकांत ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड आणि हरयाणा या राज्यांनी अशा स्वरूपाचे कायदे केले. महाराष्ट्र त्या यादीतील ताजे राज्य असून, भाजपच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारांचा हा एक समान धोरणात्मक धागा असल्याचे स्पष्ट होते. या कायद्याचे समर्थक याला 'संरक्षणात्मक' उपाय मानतात. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे, की स्वेच्छेने होणारे धर्मांतर किंवा आंतरधर्मीय विवाह हे या कायद्याचे लक्ष्य नसून, बळजबरी व फसवणुकीला आळा घालणे हाच त्याचा हेतू आहे. जवळच्या नातेवाइकांना तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार आणि साठ दिवस आधी पूर्वसूचना देण्याची तरतूद ही पारदर्शकता वाढवणारी पावले असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यावरील टीकाकारांचा आक्षेप मूलभूत आहे. धर्मांतर स्वेच्छेने झाल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी थेट संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थेवर टाकल्याने, फौजदारी न्यायशास्त्रातील 'निर्दोषत्वाचे गृहीतक' हे मूलभूत तत्त्वच उलटे फिरते, असे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. अशा कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांमध्ये असा युक्तिवाद केला गेला आहे, की 'लव्ह जिहाद'सारख्या वादग्रस्त संकल्पनांना कायदेशीर आधार दिल्याने सज्ञान व्यक्तींच्या खासगी आयुष्यात, जोडीदार निवडीत आणि स्वायत्ततेत राज्ययंत्रणेचा हस्तक्षेप वाढतो, तसेच सामाजिक पहारेकरी वृत्तीला बळ मिळते. हे कायदे प्रामुख्याने अल्पसंख्याक समुदायांना लक्ष्य करतात, अशी भावनाही वारंवार व्यक्त होते. बळजबरी किंवा फसवणुकीने होणाऱ्या धर्मांतराला कोणाचा विरोध असण्याचे कारणच नाही; प्रश्न आहे तो अंमलबजावणीच्या पद्धतीचा आणि व्याख्यांच्या व्यापकतेचा! 'आमिष' किंवा 'दिशाभूल' यांसारख्या शब्दांची व्याप्ती किती व्यापक ठेवली जाते, यावरच या कायद्याचा प्रत्यक्ष परिणाम अवलंबून राहील. साठ दिवसांची पूर्वसूचना प्रक्रिया प्रशासकीय अडथळ्यात रूपांतरित होऊ नये आणि तक्रार करण्याचा अधिकार कौटुंबिक दबावाचे हत्यार बनू नये, याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. इतर राज्यांतील अनुभव या दृष्टीने बोलके आहेत. अनेक प्रकरणांत सज्ञान जोडप्यांच्या स्वेच्छापूर्वक आंतरधर्मीय विवाहांनाही या कायद्यांच्या कक्षेत ओढल्याचे निदर्शनास आले आहे. एकीकडे भाजपशासित राज्यांनी एकामागोमाग एक असे कायदे करण्याचा सपाटा लावला असताना, केंद्र सरकारने मात्र देशव्यापी धर्मांतरविरोधी कायद्याची कोणतीही योजना नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. अशा स्थितीत महाराष्ट्रासारख्या सामाजिकदृष्ट्या वैविध्यपूर्ण, पुरोगामी राज्यात या कायद्याची अंमलबजावणी किती संयमाने व पुराव्यांच्या आधारे होते, यावरच त्याची स्वीकारार्हता अवलंबून राहील. हा कायदा आणखी एक सखोल प्रश्न उपस्थित करतो. व्यक्तीचे धार्मिक स्वातंत्र्य आणि राज्याची सामाजिक व्यवस्था राखण्याची जबाबदारी, यांच्यातील समतोल नेमका कुठे असावा? रेव्ह. स्टॅनिस्लॉस खटल्यानंतरच्या पाच दशकांत भारतीय समाज, कुटुंबसंस्था आणि आंतरधर्मीय संबंधांचे स्वरूप मोठ्या प्रमाणात बदलले असून, त्या बदलत्या वास्तवाला जुन्या न्यायिक चौकटीत किती काळ बसवता येईल, हा प्रश्नही अनुत्तरित आहे. मुंबई उच्च न्यायालयातील आव्हानाच्या निमित्ताने या प्रश्नाला पुन्हा एकदा घटनात्मक चिकित्सेला सामोरे जावे लागेल. कायद्याचा हेतू कितीही उदात्त असला तरी त्याची अंमलबजावणी पारदर्शक, पुराव्याधारित आणि निष्पक्ष नसेल, तर तो संरक्षणाऐवजी संशयाचे साधन बनण्याचा धोका नाकारता येत नाही. त्यामुळे या कायद्याचे खरे मूल्यमापन विधिमंडळातील बहुमताने नव्हे, तर त्याच्या प्रत्यक्ष वापरातूनच होईल!

भारतावर प्रेम की राग? - ट्रम्प यांची 'मर्जी'!

भारत रशियाकडून तेल, तर युरोप वायू घेतो; तरीही ट्रम्प यांनी भारतालाच लक्ष्य केले आहे. दबावाचे राजकारण कायमस्वरूपी धोरणात बदलले आहे.

प्रभू चावला
ज्येष्ठ पत्रकार

लोकशाहीचा इतिहास पाहिला, तर जगातील सर्वांत श्रीमंत लोकशाही जगातील सर्वांत मोठ्या आणि सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या लोकशाहीला सातत्याने लक्ष्य करीत आहे. प्रभावी नेतृत्व आणि दबावाचे राजकारण यांतील सीमारेषाच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुसून टाकली आहे. ट्रम्प यांच्या दबावतंत्राचा सर्वाधिक फटका भारताला बसला आहे. व्यापार आणि वाणिज्य यांचा उपयोग परस्पर विश्वास वाढविण्यासाठी नव्हे, आपल्या अटी मान्य करून घेण्यासाठी आणि दबाव टाकण्यासाठी केला जात आहे. यातून मुत्सद्देगिरीऐवजी आर्थिक अस्थिरता निर्माण केली जात आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंधांमधील मूलभूत तत्त्वालाच त्यामुळे धक्का बसतो आहे.

गेल्या आठवड्यातले ताजे उदाहरण. वॉशिंग्टन येथे सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांच्या अंत्यसंस्कारानंतर अवघ्या काही तासांत अमेरिकेने 'रशिया आणि इराण निर्बंध कायदा २०२६'ला मंजुरी दिली. या कायद्यानुसार रशियाकडून तेल किंवा नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवर शंभर टक्क्यांपर्यंत दुय्यम जकात लावण्याचा अधिकार अमेरिकेला मिळतो. सुरुवातीच्या मसुद्यात भारत, चीन, स्लोव्हाकिया, हंगेरी आणि अझरबैजान या देशांचा स्पष्ट उल्लेख होता. ट्रम्प यांची 'मर्जी' आणि 'नाराजी' या दोन्ही गोष्टी या कायद्यात स्पष्ट दिसतात. रशियन वायूची आयात अद्याप सुरू ठेवणाऱ्या १५ युरोपीय देशांना या कारवाईतून सूट देण्यात आली. त्यामागचे कारण म्हणजे त्यांच्या आयातीचे प्रमाण कमी होत असल्याचा दावा. भारत रशियाकडून तेल घेतो, तर युरोप रशियाकडून वायू घेतो. तरीही सर्वाधिक दबावासाठी भारतासारख्या देशांनाच लक्ष्य करण्यात आले. दबावाचे राजकारण तात्पुरत्या निर्णयातून आता कायमस्वरूपी धोरणात रूपांतरित झाले आहे. गेल्या पंधरा महिन्यांत अमेरिकेने भारतावरील आयात शुल्क तब्बल पाच वेळा बदलले. या बदलांचा उद्देश स्थिर व्यापार व्यवस्था नव्हता; प्रत्येक वेळी भारताकडून आणखी सवलती मिळवणे हाच होता.

एप्रिल २०२५ मध्ये अमेरिकेने २६ टक्के जकातीची धमकी दिली. ऑगस्टपर्यंत हा दर ५० टक्क्यांवर गेला. त्यातील अतिरिक्त २५ टक्के केवळ भारताने रशियन तेलाची खरेदी सुरू ठेवल्यामुळे होता.

याच काळात ट्रम्प आणि नरेंद्र मोदी यांनी एका अंतरिम कराराची घोषणा केली. त्यानुसार भारताने अमेरिकेकडून ऊर्जा, तंत्रज्ञान आणि इतर वस्तूंची ५०० अब्ज डॉलरची खरेदी करण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर जकातीचा दर १८ टक्क्यांवर आणण्यात आला. मात्र अवघ्या अठरा दिवसांनी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने हे शुल्कच बेकायदेशीर ठरवले.

त्यामुळे भारतासोबत झालेला करारही निष्प्रभ ठरला. या धक्क्यानंतर ट्रम्प यांनी तत्काळ १९७४ च्या व्यापार कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेत दहा टक्के अधिभार लागू केला. तो संपताच त्याच रात्री सेक्शन ३०१ अंतर्गत आणखी दहा टक्के शुल्क लागू करण्यात आले. पंधरा महिन्यांत पाच वेळा बदललेले शुल्क, तेही एका देशावरच! अमेरिकेच्या २५० वर्षांच्या इतिहासात एखाद्या राष्ट्राध्यक्षाने इतके विसंगत व्यापार धोरण राबविल्याचे उदाहरण क्वचितच सापडेल. जगाच्या नजरेत अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांची प्रतिमा आता मुत्सद्देगिरीपेक्षा दादागिरी करणाऱ्या नेत्याची बनत चालली आहे.

रशियन तेलाची भारताइतकीच आयात करणाऱ्या चीनला अशी वागणूक देण्यात आली नाही. उलट चीनबरोबर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न दिसतो. सहकार्याची भूमिका घेतलेल्या भारतालाच वारंवार शिक्षा करण्यात आली आहे. सामरिक भागीदारीचे महत्त्व लक्षात घेऊन भारताने अनेक तडजोडी केल्या. भारताने रशियन तेलावरील अवलंबित्व कमी केले, अमेरिकेकडून ऊर्जा खरेदी वाढवली आणि चर्चेचे सर्व मार्ग खुले ठेवले. भारतीय कंपन्यांनी अमेरिकेत मोठ्या गुंतवणुकीची घोषणाही केली.

वॉशिंग्टन आणि नवी दिल्लीदरम्यान वरिष्ठ पातळीवरील डझनभर चर्चा आणि परस्पर दौरे झाले. मात्र त्यातून ठोस काहीच हाती आले नाही. इतक्या सवलती देऊनही भारताला स्थिर शुल्कदर, कायमस्वरूपी सूट किंवा विद्यमान शुल्कांचा ठोस कायदेशीर आधार यांपैकी काहीही मिळालेले नाही. भारताच्या सहकार्याचा अर्थ परस्पर विश्वास असा न घेता, त्याच्या सहनशक्तीची वारंवार परीक्षा घेण्याचा प्रयत्न झाला. विशेष म्हणजे, ट्रम्प सार्वजनिकपणे नरेंद्र मोदी यांना 'मित्र' म्हणतात; पण त्याच वेळी उपलब्ध कायदेशीर तरतुदींचा वापर करून मोदींच्या प्रतिमेला धक्काही पोहोचवतात. निवडणुका पुढे ढकलणारे किंवा टाळणारे नेतन्याहू आणि झेलेन्स्की यांना अमेरिकेचा पाठिंबा मिळतो; पण जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या लोकशाहीकडे मात्र जकातींच्या नव्या थरांमधून दबाव टाकला जातो. परंतु दबावाचा हा खेळ जितका लांबेल, तितके त्याचे दुष्परिणाम ट्रम्प आणि अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवरही होतील.

भारत उत्पादनक्षमता वाढवत आहे, ग्लोबल साऊथमधील भागीदारी अधिक मजबूत करत आहे आणि आशियात चीनला तोलू शकणारी विश्वासार्ह शक्ती म्हणून पुढे येत आहे. अशा देशाला लक्ष्य करून अमेरिका आपल्याच हितसंबंधांना धक्का पोहोचवत आहे. ज्या महासत्तेला छळवणूक हीच मुत्सद्देगिरी वाटू लागते, तिने एक गोष्ट लक्षात ठेवावी- ज्यांना ती वाकवू पाहते, त्या देशांकडेही पर्याय असतात. भारताने आजवर एका उदयोन्मुख शक्तीला साजेसा संयम दाखवला आहे. मात्र अमेरिकेने हेही लक्षात ठेवायला हवे की, संयम म्हणजे कायमस्वरूपी माघार नव्हे..

अन्वयार्थ

शाळकरी मुलांच्या तोंडचा घास काढून घेणारे महाभाग कोण?

सद्य:स्थितीत शालेय पोषण आहार योजना अनेक गडबडींनी व्यापली आहे. विद्यार्थ्यांच्या डब्यात हात घालणाऱ्यांना शिक्षा सुनावण्याची वेळ आली आहे.

धर्मराज हल्लाळे
वृत्तसंपादक, लोकमत, लातूर

विद्यार्थ्यांचे पोषण उत्तम व्हावे, त्यांना सकस आहार मिळावा, या उदात्त भावनेने शासनाने सुरू केलेली योजना नेमके कोणाचे पोषण करत आहे, याचा शोध घेतला पाहिजे. योजना चांगलीच आहे. हेतूबद्दलही शंका नाही. परंतु, पोषणाचे धान्य वेळेवर पोहोचत नसेल अन् जबाबदारी असलेल्या मुख्याध्यापक, शिक्षकांना उसनवारी करावी लागत असेल, प्रसंगी पदरमोड होत असेल, तर योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्न उभा राहतो. पोषण आहार शिजविण्याचे मानधन, बिले घोंगडीसारखी अडकलेली असतात. त्यामुळे तक्रारीची सोय नाही. अर्थात, हे सर्वत्र नसले तरी सद्य:स्थितीत शालेय पोषण आहार योजना अनेक गडबडींनी व्यापली आहे.

जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका आणि अनुदानित, अंशतः अनुदानित खासगी शाळांमधील पहिली ते आठवीच्या शंभर टक्के विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ होतो. शाळास्तरावर ही जबाबदारी व्यवस्थापन समितीची आहे. प्रत्यक्षात त्या समितीचे सचिव मुख्याध्यापक असल्याने काही विपरीत घडले तर जबाबदारी आणि कायदेशीर टांगती तलवार ही मुख्याध्यापक, शिक्षकांवरच राहते.

शासकीय नियमांच्या कचाट्यात अडकलेले हात झटकणे सोपे नसते. कुंभकोनम येथे एका शाळेच्या किचनमधील आगीची घटना आणि अस्वच्छतेच्या काही घटना यावर सर्वोच्च न्यायालयाने विधायक हस्तक्षेप केल्यामुळे शाळा, मुख्याध्यापकांच्या जबाबदारींमध्ये वाढ झाली आहे. किचन स्वच्छ असणे, अन्नधान्य सुरक्षा ही मोठी जबाबदारी आहे. शिक्षक, मुख्याध्यापकांचा प्रशासन आणि अध्यापनातील वेळ यावर खर्च होतो, याविषयी अनेकदा बोलले जाते. धान्याचे प्रमाण, मानधनाचे दर, स्वयंपाकी नेमण्याच्या अटी आणि शर्ती याबाबत स्वतंत्र परिपत्रके आहेत. दररोज माहिती भरल्यानंतरही ताळमेळ बसत नाही. महागाई आणि मिळणारी रक्कम याचे सूत्र जुळत नाही.

कोरडे धान्य, तांदूळ, तेल, मिरची मसाला, हळद हे सर्व ठरवलेल्या पुरवठादाराकडून येते. पुरवठादार

माल बदलून देत नाही. शाळेच्या वेळेव्यतिरिक्त पुरवठा होतो. अनेकदा त्याचे वजन करून दिले जात नाही. मात्र, मुख्याध्यापकांची वजनावर सही असते. दुसरीकडे मानधन, मालाचा हिशेब, अभिलेखे यात शिक्षण अडकलेले आहेच. आता धान्याचा पुरवठा झाला नाही तर तो उसनवारीवर मुख्याध्यापकांनी विकत आणायचा, कारण आहारात खंड पाडता येत नाही. तांदूळ आणि धान्याचा काळाबाजार हा आणखी स्वतंत्र विषय आहे. शहरांत काही शाळांमध्ये ५० टक्के विद्यार्थी स्वतःच्या जेवणाचे डबे घरून आणतात. याचा लेखाजोखा नसतो. त्यामुळे सर्वच विद्यार्थ्यांसाठी आलेल्या धान्याच्या गैरव्यवहाराची प्रकरणे राज्यभरात समोर आलेली आहेत.

प्रश्न अनंत आहेत, उत्तरे शोधण्याची गरज आहे. ग्रामीण भागात काही ठिकाणी सेंट्रल किचनची मागणी होत आहे. ते शक्य नसेल तर प्रत्येकी ५० ते ७५ विद्यार्थ्यांमागे एक मदतनीस किंवा स्वयंपाकी असावा. प्रत्येक महिन्याला वेळेवर तांदूळ, धान्य पोहोचले पाहिजे. सर्वात महत्त्वाचे, त्याची गुणवत्ता उत्तम असावी. महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये जो आहार आहे तोच योजनेत समाविष्ट असावा.

विद्यार्थ्यांना योग्य प्रथिने, जीवनसत्त्वे मिळावीत, यासाठी नाचणीची बिस्किटे, प्रोटीन बार, चिक्की असे प्रयोग का केले जात नाहीत? साधे सिलिंडरही वेळेवर मिळत नाही, तिथे दूध, खीर कोण देणार? ज्या भागात शाळा आहे तिथे मिळणाऱ्या फळांवर प्रक्रिया उद्योगातून तयार होणारी, सुकविलेली फळे दिली तर परिसरातील शेतकऱ्यांनाही मोबदला मिळेल. शासन आदर्श आचारसंहिता समोर ठेवते. परंतु, अंमलबजावणीत गडबड होते. त्यावर अंकुश ठेवणारी यंत्रणा, समिती चौकशीच्या फेऱ्यात अडकते. विद्यार्थ्यांना शुद्ध पाणी, स्वच्छ जागा, सकस आहार मिळाला पाहिजे, हे पाहणारी यंत्रणा उसनवारीवर येऊन थांबली आहे. वेळेवर धान्यही पोहोचत नाही. मिळाले तर त्याच्या गुणवत्तेवर बोलण्याची सोय नाही. एका चांगल्या योजनेचे तीन तेरा होण्यापूर्वी सरकारी यंत्रणेला सुरळीत करण्याची गरज आहे. विद्यार्थ्यांच्या डब्यात हात घालणारे, त्यांच्या तोंडचा घास काढून घेणारे महाभाग कोण, हे शोधण्याची आणि त्यांना शिक्षा सुनावण्याची वेळ आली आहे.

dharmraj.hallale@lokmat.com

जगभर

भंगार विमान की जगातलं सर्वात मोठं अंडरवॉटर थीम पार्क?

ज्या वस्तूंचा आपल्याला काहीच उपयोग नसतो, त्यांची फारशी 'किंमत'ही नसते, त्या वस्तू आपण भंगारात टाकतो किंवा चक्क कचऱ्यात फेकून देतो. अनेक जण या कचऱ्यातूनच किंवा भंगारातून सोनं कमावतात हा भाग वेगळा. भंगारात जाणाऱ्या या वस्तूंचा योग्य वापर केला तर त्यातूनही मोठी कमाई करता येतेच, पण जरा कल्पकता वापरली तर त्यातून एक 'देखणं शिल्प'ही उभारता येऊ शकतं, हे नुकतंच बहारीन या देशानं दाखवून दिलं आहे.

काय करावं त्यांनी? बहारीननं जुनं आणि वापरातून निवृत्त झालेलं एक भंगार 'बोईंग ७४७' विमान अवघ्या ९५ लाख रुपयांत विकत घेतलं. विकत घेतलेलं हे विमान त्यांनी चक्क अरबी समुद्रात बुडवून टाकलं! पण नियोजनबद्ध पद्धतीनं! याच विमानात त्यांनी आता जगातलं सर्वात मोठं अंडरवॉटर थीम पार्क उभारलं आहे! हजारो पर्यटक आणि स्कुबा डायव्हर्ससाठी हे विमान आता आकर्षणाचं केंद्र बनलं असून त्यातून बहारीनला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे.

हे अंडरवॉटर थीम पार्क सुमारे १ लाख चौरस मीटर क्षेत्रात पसरलेलं आहे. या प्रकल्पात केवळ जुनं विमानच नाही, तर बहारीनच्या सांस्कृतिक वारशाची ओळखही करून देण्यात आली आहे. पारंपरिक मोती व्यापाऱ्याचं घर, कृत्रिम प्रवाळभित्ती आणि विविध सागरी जीवांसाठी अनुकूल अधिवासही त्यात तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे हे ठिकाण पर्यटनाबरोबरच सागरी पर्यावरण संवर्धनासाठीही महत्त्वाचं मानलं जात आहे.

या प्रकल्पामुळं स्कुबा डायव्हिंग आणि अंडरवॉटर फोटोग्राफीची आवड असलेल्या पर्यटकांना समुद्राच्या तळाशी जाऊन विमानाचं अनोखं दर्शन घेण्याची संधी मिळते. विमानाच्या आत आणि आसपास तयार झालेलं सागरी जैवविश्व पाहणं हा पर्यटकांसाठी एक वेगळाच अनुभव ठरतो आहे.

कृत्रिम प्रवाळभित्तींमुळे विविध प्रकारचे मासे, सागरी वनस्पती आणि इतर जलचर इथे आकर्षित होत आहेत. त्यामुळे हा परिसर हळूहळू नैसर्गिक सागरी अधिवासात रूपांतरित होत आहे.

बहारीन सरकारचा उद्देश केवळ पर्यटन वाढवणं नाही, तर देशाची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत करणं हादेखील आहे. अनेक दशकांपासून तेल उद्योगावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या बहारीननं आता इको-टुरिझम आणि साहसी पर्यटनाला प्राधान्य द्यायला सुरुवात केली आहे. परकीय चलन मिळवणं, रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करणं आणि जगभरातील पर्यटकांना आकर्षित करणं, हे या प्रकल्पामागचं प्रमुख ध्येय आहे.

हे विमान समुद्रात बुडवण्यापूर्वी त्यामधील इंधन, रसायनं आणि पर्यावरणाला हानी पोहोचवणारे सर्व घटक पूर्णपणे काढून टाकण्यात आले. सागरी पर्यावरणावर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही, याची काळजी घेण्यात आली. उलट या कृत्रिम रचनेमुळे प्रवाळ आणि सागरी जीवांना सुरक्षित अधिवास मिळत असून, समुद्री जैवविविधतेलाही चालना मिळाली आहे.

आज जगभरातील अनेक देश पर्यटनासाठी वेगवेगळ्या संकल्पना राबवत आहेत. मात्र भंगारात जाणारं विमान अशा अभिनव पद्धतीनं वापरून त्याला पर्यटनकेंद्र बनवण्याची कल्पना बहारीनसाठी मोठी यशोगाथा ठरली आहे. पर्यावरण संवर्धन, साहसी पर्यटन आणि आर्थिक विकास यांचा सुंदर संगम या प्रकल्पातून पाहायला मिळतो. असाच प्रयत्न आता इतर अनेक देशांतही सुरू झाला आहे.

जनमन

पीओपी मूर्ती - अर्थकारण आणि राजकारण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेली दहा वर्षे मातीच्या मूर्तींसाठी आवाहन करत आहेत. मात्र महाराष्ट्रात अद्यापही पीओपी मूर्तीबंदीला पळवाट कशी शोधता येईल यासाठी अनेकजण आटापिटा करीत आहेत. पंतप्रधानांनी 'मन की बात'मधून प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती, परदेशातील मूर्ती आणू नका तर 'देश की मिट्टी' अर्थात शाडू मातीपासून बनवलेल्या मूर्ती स्थापित कराव्यात असे आवाहन केले.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) मूर्तींवर २०२० मध्ये बंदी घातली होती. मात्र विविध कारणांमुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी लांबणीवर पडली. महाराष्ट्रात पीओपीच्या मूर्तीचे वेगळेच अर्थकारण आणि राजकारण आहे. अनेक ठिकाणी उंच मूर्तीची चढाओढ असते. त्यातून मंडळांमध्ये स्पर्धा असते. अनेक मंडळे राजकीय नेत्यांचीही असतात. उंच मूर्ती शाडूच्या मातीमध्ये बनवता येत नसल्यामुळे पीओपीबंदीच्या निर्णयाला फाटा कसा देता येईल यासाठी अनेकांचा आटापिटा असतो. २०२० पासून विविध निवडणुकांमुळे मूर्तिकारांचा, मंडळांचा रोष ओढवून घेणे राज्यकर्त्यांना परवडणारे नव्हते. त्यामुळे पीओपीबंदीचा निर्णय विविध प्रकारे लांबणीवर टाकण्यात आला.

पीओपीच्या एका उंच मूर्तीची किंमत लाखो रुपये असते. मुंबईत तब्बल ११ ते १२ हजार सार्वजनिक मंडळे आहेत. घरगुती आणि सार्वजनिक मूर्ती मिळून सुमारे दोन लाख मूर्तीचे विसर्जन दरवर्षी होत असते. त्यामुळे पीओपीच्या मूर्ती बनविणाऱ्या गणेश चित्रशाळांची उलाढाल मोठी आहे. मोठ्या आर्थिक उलाढालीपुढे सरकार झुकते.

- रमेश वडणगेकर, कोल्हापूर

समकालीन महत्त्वाचे मुद्दे मांडणारी, नवी चर्चा सुरू करणारी वाचक-पत्रे या स्तंभामध्ये प्रसिद्ध केली जातील. आपली पत्रे येथे पाठवा : **janman@lokmat.com**

तिरकस आणि चौकस

गजानन घोंगडे

शहर नोंदी

शहराचा गुदमरलेला श्वास मोकळा करणारे चौकातले विसावे...

गाव, शहरांमधील सार्वजनिक जागा अत्यंत महत्त्वाच्या असतात, कुकरच्या व्हॉल्व्हप्रमाणे समाजावरच्या ताणाचा त्या निचरा करतात.

मेघना भुस्कुटे
ब्लॉगर, भाषांतरकार

सार्वजनिक जागा गावांमध्ये आणि सेमीशहरांमध्येही असतात. मैदानं आणि बागा असतात, रेल्वे स्टेशनं आणि वाहनतळ असतात, मोठे बाजार असतात, देखणे चौक, फुटपाथ असतात. पण, महानगरांमधल्या सार्वजनिक स्थळांची शान काही वेगळीच असते. तिथे या सगळ्याला भव्यतेचं, देखणेपणाचं, रुबाबाचं - एक अधिकचं कोंदण चढवलेलं असतं. एरवी वेगानं धावणारं शहर या सार्वजनिक स्थळांपाशी आरशात पाहिल्यागत किंचित रेंगाळतं, स्वतःवर खूश होतं आणि ऐटीत पुन्हा धावू लागतं, असा भास होतो!

कुठून येते ही ऐट? - पाश्चात्त्य देशांमधले फरसबंदी, विस्तीर्ण चौक पाहिले आहेत तुम्ही कधी?, त्या फक्त दोन रस्ते मिळण्याच्या जागा नसतात. अनेक लोकांनी जमावं, विसावावं, भेटावं, अशा उद्देशानं तर त्या घडवलेल्या असतातच, पण लोकांनी हे स्थळ वाखाणावं, या उद्देशानंही घडवलेल्या असतात. त्यांना स्वतःचं असं व्यक्तिमत्त्व असतं. तेच व्यक्तिमत्त्व आधुनिक शहरांच्या सार्वजनिक स्थळांमध्ये प्रतिबिंबित झालेलं दिसतं. वॉशरूमसारख्या सोयी असतातच, पण त्याहून जास्तही काही असतं. उन्हापावसापासून, थंडीवाऱ्यापासून आडोसा असतो. पण, छत बहुतकरून या आडोशाच्या प्रॅक्टिकल गरजेहून पुष्कळ उंच, मान वर करून बघायला लावणाऱ्याची टोपी पाडेलसं असतं!

म्यूरल वा चित्र वा पुतळा यांसारखी एखादी कला विराजमान असते. भूतकाळातल्या कुणा कर्तृत्ववान व्यक्तीचं स्मरण त्या जागेशी जोडलेलं असतं. इतिहासाच्या खुणा असतात, अशा जागी रोज ये-जा करताना शहरातले लोक या स्थळांचं रसग्रहण करत नसले, तरी परगावच्या पाहुण्याला त्या आवर्जून दाखवतात; कारण त्यात त्यांना त्यांच्या मनातलं, स्वतःचं शहर दिसत असतं.

सार्वजनिक स्थळं इतकी छापपाडू नसतील, तरीही त्यांची भूमिका किती महत्त्वाची असते, हे आपण कोविडकाळात अनुभवलंच आहे. आजही घरातले ज्येष्ठ नागरिक, अडनिड्या वेळी कामाच्या गरजांमुळे शहरातल्या मध्यवर्ती भागात विसावू बघणारे कष्टकरी लोक, खेळणारी मुलं, भेटीगाठी करणारी तरुण मुलंमुली, आंदोलनं-मोर्चे-धरणी यांत सामील होणारे लोक. या सगळ्यांना घराबाहेरच्या अवकाशात सामावून घेणाऱ्या सार्वजनिक जागा कुकरच्या व्हॉल्व्हनं करावं तसं समाजातला ताण हलका करण्याचं अत्यावश्यक काम करत असतात.

नागराज मंजुळेंच्या 'झुंड'मधला वस्तीनं राखलेला नि जोपासलेला मैदानासारखा अवकाश तिथल्या मुलांसाठी किती मोलाचा ठरतो, ते आठवतं का? आपल्या शहरांमध्येही अशा जागा अर्थातच आहेत. पण, गेल्या काही वर्षांत त्यांनी इतर आक्रमणांसमोर गुडघे टेकल्याचं लक्षात येतं. अंदाधुंद आणि अंतहीन पार्किंग, फेरीवाले, मोठे राजकीय फ्लेक्स, धार्मिक वा राजकीय शक्तिप्रदर्शनं. या साऱ्या धबडग्यात या जागा गुदमरून गेल्या आहेत, बकालीनं व्यापल्या आहेत.

कोणत्याही प्रकारच्या बकालीवर, अस्वच्छतेवर, अव्यवस्थेवर, अकार्यक्षमतेवर आपल्याकडे सोप्पी उत्तरं काढली जातात. भिंतींवर जमतील तितके आडवेतिडवे-भडक रंग फासणे. एका पावसात उखडतील असे पेव्हर ब्लॉक्स चेपणे. दिसेल त्या जागेत काँक्रीट ओतणे. यांतल्या कशानंच जमण्यासारखं नसेल, तेव्हा खासगीकरणाचा रामबाण उपाय असतोच. खासगीकरण होतं, तेव्हा ती जागा सार्वजनिक वापरातून अंतर्धान पावते. काही मोजक्या लोकांची तुंबडी भरते, पण अनेकांची हक्काची जागा हिरावून घेतली जाते. शहर आणि आपलं नागरी आयुष्यही - अजून थोडं गुदमरतं. बस...

meghana.bhuskute@gmail.com

हे पत्र लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेडच्या वतीने मुद्रक व प्रकाशक **बालाजी मुळे** यांनी प्लॉट नं. ए - ८१८ इंडस्ट्रियल एरिया, एम.आय.डी.सी., महापे, नवी मुंबई येथे मुद्रित करून 'लोकमत', पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई कार्यालय - ४००७०५ येथून प्रसिद्ध केले. ● दूरध्वनी क्र : ०२२ ४६०४१७८४
● **मुंबई कार्यालय :** लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेड, तिसरा मजला, पारिजात हाउस, प्लॉट नं. १०७६, आपटे इंडस्ट्रियल इस्टेट, लक्ष्मीनरसिंग पपन मार्ग, डॉ. ई मोझेस रोडसमोर, गांधीनगर, वरळी, मुंबई, ४०००१८. ● दूरध्वनी क्र : ०२२- ४६०३५९३०, ०२२- ४७५०७९४६ ● **ठाणे कार्यालय :** वेस्टर्न व्ह्यू, श्री गजानन महाराज चौक, वारकरी भवनाजवळ, ठाणे, फोन : २५४४१९०५, २५३८१७७४ ● **नवी मुंबई कार्यालय :** पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई ४००७०५. फोन : ०२२ ४६०४१७८४ ● संस्थापक संपादक : **स्व. जवाहरलाल दर्डा** ● मानद संपादिका : **श्रीमती उषाताई दर्डा** ● चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड : **डॉ. विजय दर्डा** ● एडिटर इन चिफ : **राजेंद्र दर्डा** ● समूह संपादक : **विजय बाविस्कर**
● संपादक : **अतुल कुलकर्णी*** (*पी. आर. बी. कायद्यानुसार संपादकीय जबाबदारी यांची आहे.) 'लोकमत'मधील लेखांचे हक्क राखून ठेवले आहेत. लोकमत ® हे चिन्ह लोकमत मीडिया प्रायव्हेट लि. चे. व्यापारचिन्ह आहे.

दैनिक जागरण

आत्मविश्लेषण ही सुधार का आधार तैयार करता है

उपचुनाव नतीजों का संदेश

तीन राज्यों की तीन विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में से दो में भाजपा की हार यह संदेश देने वाली है कि उसकी चुनौतियां बढ़ भी सकती हैं। इनमें से बिहार की बांकीपुर सीट के परिणाम ने इसलिए सबसे अधिक ध्यान खींचा, क्योंकि 1995 से यह भाजपा के पास थी। इसके अलावा यह भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने से रिक्त हुई थी। भाजपा केवल अपने अध्यक्ष की सीट बचाने में ही नाकाम नहीं, बल्कि उसे पराजय का स्वाद बिहार में भाजपा के मुख्यमंत्री रहते हुए चखना पड़ा। चूंकि मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट कांग्रेस के पास थी और यह क्षेत्र उसका ही गढ़ है, इसलिए भाजपा यहां अपनी पराजय को हल्के में ले सकती है। इसके बाद भी वह इसकी अनदेखी नहीं कर सकती कि आम तौर पर उपचुनावों में सत्ताधारी दल जीत हासिल करते हैं, जैसे गुजरात की मांजलपुर सीट भाजपा ने आसानी से जीत ली। निःसंदेह उपचुनाव नतीजों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि वे सदैव किसी बड़ी लहर का सूचक होते हैं। इतना अवश्य है कि कई बार वे बदलते राजनीतिक माहौल का परिचायक बन जाते हैं। यह समय बताएगा कि बांकीपुर और दतिया के नतीजे भाजपा के लिए स्थायी झटका हैं या अस्थायी, क्योंकि एक समय यह उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य की ओर से छोड़ी गईं लोकसभा सीटें हार गई थी।

बांकीपुर से जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर का चुनाव जीतना इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो वे प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों पर सवाल उठा रहे थे और दूसरे, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सीधे तौर पर चुनौती दे रहे थे। यह भी उल्लेखनीय है कि वे मुख्य विपक्षी दल राजद को तीसरे स्थान पर धकेलने में सफल रहे। स्पष्ट है कि बांकीपुर का नतीजा राजद के लिए भी चिंता का कारण बनना चाहिए। कहना कठिन है कि बांकीपुर से जीत हासिल कर पहली बार विधायक बने प्रशांत किशोर बिहार में तीसरी राजनीतिक शक्ति खड़ी कर पाएंगे या नहीं, लेकिन उनकी जीत कहीं न कहीं जनता के असंतोष को बयान करती है। इस असंतोष के कारणों में राज्य के साथ केंद्र सरकार की रीति-नीति भी हो सकती है और स्थानीय समीकरण भी। यह ध्यान रहे कि उपचुनाव एक ऐसे माहौल में हुए, जब नीट पेपर लीक को लेकर युवाओं के आक्रोश को भुनाया जा रहा था। इसके पहले उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने वाले यूजीसी के नियमों ने सामान्य वर्ग के लोगों को नाराज किया था। इसके अतिरिक्त बिहार में भरत तिवारी एनकाउंटर जैसे मामले भी चर्चा में थे। यह भी न भूला जाए कि बांकीपुर से भाजपा ने अपना प्रत्याशी बदलकर अपने लिए मुसीबतें बढ़ाईं। दतिया में भी उसने पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र को हाशिए पर किया।

शिकायतों का दुरुपयोग

उत्तर प्रदेश में एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (आइजीआरएस) इस उद्देश्य से लागू की गई थी कि आम नागरिकों को बाबुओं के भ्रष्टाचार और सुविधा शुल्क जैसी वसूली से छुटकारा मिलेगा, लेकिन भ्रष्ट तंत्र ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अवर अभियंता, सुपरवाइजर की रिश्वत लेते गिरफ्तारी बताती है कि भ्रष्ट कर्मचारियों ने शिकायत निवारण प्रणाली की खामी को हथियार बना लिया। दोनों कर्मचारियों के साथ एक दलाल भी गिरफ्तार किया गया है। यह दलाल आइजीआरएस में शिकायत करता था, जिस पर एलडीए कर्मचारी निर्धारित 15 दिन में जांच कर रिपोर्ट लगा देता था। जांच के बाद शिकायतकर्ता आपत्ति प्रकट करता और पुनः जांच होती। इनकी आपस में मिलीभगत होती। जिसके विरुद्ध शिकायत होती, उससे यह शिकायतकर्ता दलाल मामला दबाने के नाम पर पैसे वसूलता। यह रकम कर्मचारी और दलाल आपस में बांट लेते। यह एक नई प्रवृत्ति है। यह प्रवृत्ति यदि विकास प्राधिकरण में है तो अन्य विभागों में भी यह विष घुल रहा होगा। इसे मात्र एक मामला न समझा जाए। सभी विभागों में शिकायतकर्ताओं की एक सूची तैयार करके उनकी गोपनीय जांच करानी चाहिए जो लगातार शिकायतें करते हैं। अनुचित शिकायतकर्ताओं को प्रतिबंधित करके उन्हें दंडित भी किया जाना चाहिए। यह व्यवस्था भी संभव है कि तीन से अधिक शिकायतें करने वालों की एक अलग श्रेणी बनाकर अंकुश लगाया जाए। एक अच्छी व्यवस्था का दुरुपयोग रोकने और साख बचाए रखने के लिए सख्त कदम जरूरी हैं।

> एक अच्छी व्यवस्था का दुरुपयोग रोकने और साख बचाए रखने के लिए सख्त कदम जरूरी हैं

जिहादियों को आतंकी समझने की भूल

शंकर शरण

भारतीय नेताओं ने जिहाद को आतंक कहकर असली समस्या यानी जिहादी मनोवृत्ति को यथावत छोड़ दिया है

पिछले साल अप्रैल में जिहादियों द्वारा पहलगाम में पर्यटकों से उनका मजहब पूछकर उनकी हत्या करने के बाद भारत ने 'आपरेशन सिंदूर' की कार्रवाई की थी। उन जिहादियों में पाकिस्तानियों के साथ हिंदुस्तानी भी थे। इनका क्या हुआ, पता नहीं चला। बीते दिनों कश्मीर के कुलगाम में पहलगाम की तरह मजहब पूछकर दो हिंदू मजदूरों की हत्या कर दी गई। अब भारतीय नेता क्या करेंगे? क्या पुनः पाकिस्तान पर हमला करेंगे, यदि जिहादी पाकिस्तानी निकले? यदि वे भारतीय हुए, तब क्या सामान्य पुलिस कार्रवाई होगी? यह प्रश्न पिछले साल भी अनुत्तरित रह गया था। इसके फलस्वरूप पुनः वैसी हत्याएं हुईं। उन हत्याओं का मूल कारण जिहाद का मतवाद था। उसे कुछ न कहने से ही वह यथावत रहता है।

भारतीय नेताओं ने असली समस्या से नजर बचाकर जिहादी मनोवृत्ति को यथावत छोड़ दिया है। कभी 'निष्पक्ष चुनाव', कभी 'कश्मीरियत', कभी 'हीलिंग टच', कभी 'विकास' आदि की गौण बातें करते चार दशक हो गए, किंतु कश्मीर में इक्के-दुक्के बचे हिंदुओं का भी सफाया होना बंद नहीं हुआ। क्यों? इस पर भारतीय नेताओं ने कभी खुलकर ईमानदारी से विचार नहीं किया। यदि किया होता तो अब तक जिहाद को ठंडा या निर्बल किया जा सकता था। इसकी उपेक्षा इसलिए भी विचित्र है कि वैसी हत्याएं करने वाले खुलकर अपना जिहाद उद्देश्य बताते रहे हैं, फिर भी उसे अनदेखा किया जाता है, जिससे उनका अपने मतवाद पर अंधविश्वास बना रहता है। जिहादी के बदले 'आतंकी' कहा गया, उनके हिंदुस्तानी ठिकानों पर क्या हो? इस पर हिंदू नेता सदा से दिग्भ्रमित रहे हैं। वे सदैव 'विदेशियों' को ही दोष देते हैं, ताकि अंदरूनी जिहाद से आंख न मिलानी पड़े। इसका सामना पुलिस या फौज नहीं, अपितु साफ नजर और मनोबल को करना है। इसके अभाव में ही गत दशकों में कश्मीर में हिंदुओं का सामूहिक संहार करने, उन्हें आरे से चीर देने वाले क्षेत्रों पर उलटी कार्रवाई हुई। उन्हें तो जैसे भारी पुरस्कार मिले। कभी कहा गया कि उस 'क्षेत्र का विकास' करना है और कभी यह कि 'आतंक छोड़ने वालों को रोजगार देना' है। तदनुसार राष्ट्रीय कोष से उसी क्षेत्र को सालाना विशेष सौगातें दी गईं, जहां से चुन-चुन कर लाखों हिंदुओं को मार भगाया गया। यानी उन 'ठिकानों' जहां वैसे जिहादी हत्यारे और उनके सहयोगी रहते हैं, जिन्होंने अपने मोहल्ले, शहर और गांव से हिंदुओं को चुन-चुन कर उजाड़ दिया और उनकी संपत्ति, खेत, घर, दुकान हड़प लिए, उन्हें ही थोक भाव 'विकास' का स्पेशल पैकेज मिलता रहा। क्या यह सब आतंकी ठिकानों को पुरस्कार नहीं है?

अवधेश राजपूत

अंग्रेज शासक उलटा करते थे। जिस क्षेत्र में बार-बार गर्हित अपराध हो रहे हों, उन पर वे सामूहिक जुर्माना लगाते थे, ताकि पूरे क्षेत्र के लोगों की चिंता उन अपराधों को रोकने में हो। उस नीति का सही परिणाम भी आता था। इसलिए भी पूरे ब्रिटिश शासन काल में जिहाद ने सिर नहीं उठाया, लेकिन हमारे शासकों ने उलटे उन्हीं क्षेत्रों को विशेष सुविधा, अनुदान आदि देने की नीति बनाई, जहां हिंसा, अलगाव तथा दूसरे समुदाय पर उत्पीड़न आदि होता हो। बंगाल, कश्मीर, केरल, असम आदि अनगिन जगहों पर हिंदुओं को पहचान-पहचान कर मारने या अपमानित करने वाली घटनाओं पर पहली कार्रवाई यह होती है कि मामले की लीपापोती की जाए। फिर जैसे-तैसे कुछ कार्रवाई। नतीजतन भारत के अनेक इलाकों में घर, मोहल्ले, गांव हिंदुओं से धीरे-धीरे खाली होते जाते हैं। यह सिलसिला दशकों से जारी है। हर आकलन इसकी पुष्टि करेगा कि ब्रिटिश राज में हिंदू अधिक सुरक्षित थे।

आपरेशन सिंदूर में यह भी नहीं देखा गया कि अमेरिका-यूरोप तो वैसे सैकड़ों 'विदेशी आतंकी ठिकानों' पर सैकड़ों बार, लाखों बम बरसा चुके हैं। पाकिस्तान पर ही अमेरिका ने सैकड़ों ड्रोन हमले किए, ठीक आतंकियों को ठिकाने लगाने के नाम पर। इसका परिणाम क्या निकला? एक हिंदुस्तानी मौलाना ने दिल्ली में ही फख्र से कहा थाः 'एक ओसामा मरेगा, तो सौ पैदा होंगे।' उन मौलाना ने सही कहा था। ओसामा के बाद भी कश्मीर से केरल तक छोटे-छोटे ओसामाओं ने काफिरों को खत्म किया है। परिणाम भी वही होता रहा, जो वे चाहते हैं। वे हजारों जिहादी मरवा कर भी एक छोटी बस्ती अपने मतवाद के कब्जे में लेना फायदे का सौदा समझते हैं। इसी कीमत पर उन्होंने दुनिया भर में सैकड़ों छोटे-बड़े स्थानों को काफिरों से खाली कराया है, जैसे कश्मीर को कराया। अपनी बड़ी जनसंख्या, फौज, धन और भरपूर विकास के बावजूद हिंदू असहाय है। वह जिहादियों के नजरिये से मामले को समझने में असमर्थ है। उसके नेता 'विकास' से, 'टेररिज्म को टूरिज्म से' खत्म करने का प्रचार करते हैं, पर नतीजा वही ढाक के तीन पात। मिसाइलों, बमों से ऐसे 'आतंकी' खत्म नहीं होते, क्योंकि वे जिहादी हैं। दुनिया को काफिरों से खाली कराने के विचार से भरे मतांध मिशनरी। उन्हें आतंकी कहना अपने को भ्रमित करना है। जिहाद एक विचार है और विचार तोपों से खत्म नहीं होते। उस विचार का पालन दर्जनों तरह के शांतिपूर्ण तरीकों से भी होता रहा है। आतंक फैलाकर भी और बेवकूफ बनाकर भी। दोनों का उद्देश्य और नतीजा काफिरों का खात्मा या उन्हें छल-बल से अपने पंथ में मिलाना रहा है। जिहाद को नजर नतीजे पर है। तरीके पर नहीं।

बुद्धिजीवी उसे पहचानने से भी इन्कार करते हैं। वे जिहाद को 'आतंक' कहते हैं। इस तरह रोग को गलत नाम देकर गलत इलाज करते हैं। नतीजतन रोग लाइलाज बना रहता है। वे जिहाद को विचारणीय विषय ही नहीं मानते। इसीलिए गैर-मुस्लिम और खासकर हिंदू जिहाद नहीं देखते, उस पर नहीं बोलते और उसका अर्थ नहीं समझते। वे 'आतंक' देखते हैं, जिहाद नहीं। इसीलिए जिहाद सहजता से इंच-इंच बढ़ रहा है। प्रायः शांतिपूर्वक और काफिरों के सहयोग से, क्योंकि काफिर एक विचार को तोप या रिश्वत से खत्म करना चाहता है। इसी कारण जिहाद सैकड़ों छोटी-बड़ी बस्तियां निःशब्द रूप से क्रमशः अपने कब्जे में ले रहा है।

(लेखक राजनीतिशास्त्र के प्रोफेसर एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

कट्टरता से लड़ने वाला निडर चेहरा

क्षमा शर्मा

अफसोस की बात है कि स्त्री अधिकारों की बात करने वालों ने भी तसलीमा की मुश्किलों को अपने विमर्श से बाहर रखा

बेबाक लेखिका तसलीमा नसरीन आखिरकार 19 साल बाद कोलकाता जा पाईं। वे अनेक बार ऐसी इच्छा प्रकट कर चुकी थीं कि बंगाल में ही रहना चाहती हैं, क्योंकि बांग्लादेश की होने के नाते बंगाल उन्हें अपना दूसरा घर लगता है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि तसलीमा को बंगाल से जाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के जमाने में कहा गया था। बुद्धदेव मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सरकार के नेता थे। यह दल अपने को सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने वालों में अव्वल कहता है। तो भला क्यों तसलीमा को वहां से हटाया गया, जबकि उनसे ज्यादा कट्टरपंथियों से लड़ाई किसने की और इसमें बड़ा दंड क्या होगा कि रातोंरात उन्हें बांग्लादेश छोड़कर आना पड़ा था? पेशे से डाक्टर, लेकिन लेखिका तसलीमा का कुसूर क्या था? यही कि उन्होंने लज्जा और दो भागों में द्विखंडित जैसी पुस्तकें लिखीं। लज्जा में उन्होंने अयोध्या ढांचे के ध्वंस के बाद की घटनाओं का उल्लेख किया कि कैसे बांग्लादेश में वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया गया। उन पर हमले हुए। सैकड़ों की संख्या में मंदिर तोड़ दिए गए। हत्याएं भी की गईं। इस सबको लिखने को वहां के कट्टरपंथियों ने अपराध की तरह देखा। सरकार कट्टरपंथियों के आगे झुक गई। उन दिनों वहां बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की नेता खालिदा जिया की सरकार थी। खालिदा अपने भारत विरोधी रुख के लिए जानी जाती थीं। तसलीमा को उनके कुछ मित्रों ने वहां से निकलने में मदद की, अन्यथा आज शायद वे जिंदा भी न होतीं।

19 साल बाद कोलकाता लौट सकीं तसलीमा। प्रेट्र

अपनी आत्मकथा द्विखंडित में भी उन्होंने बांग्लादेश के एक बहुत बड़े वामपंथी लेखक से अपने निजी संबंधों को उजागर किया था। इस पर वे लेखक महोदय इतने नाराज हुए कि कट्टरपंथियों की उस मुहिम में शामिल हो गए, जो तसलीमा की हत्या, इस्लाम के कथित अपमान के कारण करना चाहते थे। एक लेखक का ऐसा करना शर्मनाक था, लेकिन शायद ही किसी ने इस लेखक की इस बात के लिए निंदा की कि तसलीमा से बदला लेने के लिए वे उनका साथ देने लगे, जिनका अब तक विरोध करते आए थे। तब तसलीमा न लेखिका रहीं, न ही स्त्री, न ही उनके कोई अधिकार रहे। चूंकि तसलीमा ने अल्पसंख्यकों का पक्ष लिया, इसलिए इसकी सजा उन्हें बंगाल सरकार ने भी दी। तब कोलकाता छोड़कर उन्हें दिल्ली में शरण लेनी पड़ी। उनकी चुनौतियां देखी जानी चाहिए कि 1994 से अब तक वे लगातार सुरक्षा के साए में ही जी रही हैं। उनकी इसके लिए तारीफ करनी होगी कि वे अपने रुख से कभी पलटी नहीं। जब मौका मिला, कट्टरपंथियों पर हमलावर रहीं।

पिछले कुछ दशकों में तसलीमा और रुश्दी को छोड़कर किस और लेखक ने अपने विचारों के कारण इतनी आफतें झेली हैं। वे कट्टरपंथियों से अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। हमारे देश में जो लोग अक्सर अल्पसंख्यकों की रक्षा के नाम पर दोहरे झूठ जाते हैं, वे इन दोनों लेखकों का नाम कभी भी नहीं लेते। शायद तसलीमा का अपराध यही है कि उन्होंने अपने देश के उन अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की बात की, जो कट्टरपंथियों के निशाने पर रहते हैं। चूंकि अल्पसंख्यक कहलाने वाले ये लोग हिंदू हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि न बाहर के किसी देश में और न भारत में उनका कोई पक्ष लेने वाला है। उनके लिए बोलने वाले भी तत्काल ब्लैकलिस्ट कर दिए जाते हैं। हाल में कश्मीर में कुलगाम के एक ईंट-भट्ठे में काम करने वाले दो गरीब हिंदू होने के कारण मारे गए, लेकिन मजदूरों के लिए काम करने वाली किसी पार्टी को भी उनकी याद नहीं आई। कश्मीर में जो कुछ हिंदुओं के साथ हुआ या पंजाब में, वह सब हमारी पीढ़ी ने अपनी आंखों से देखा है। अफसोस यह है कि बात तो हम धार्मिक भेदभाव भूलने की करते हैं, पर अपने विचारों को बहुत बच-बचकर प्रकट करते हैं। तभी तो किसी के लिए हमारे पास आंसू हैं और किसी की जान जाने पर एक मौन पसरा रहता है। आखिर आंसू भी तब क्यों आएं, जब पता चले कि कौन मरा?

यदि कट्टरपन से लड़ना है, तो हर तरह के पिछड़े विचार पर सवाल उठाना होगा। यह जो चुनी हुई चुप्पियां और चुना हुआ शोर है, मजहबी कट्टरता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के हनन का सबसे बड़ा कारण है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी जान गंवाए, उसकी निंदा की जानी चाहिए। किसी भी निर्दोष की जान जाए, वह दुखद, शोक और निंदा के योग्य है। ऐसा क्यों है कि हिंदुओं को मारने पर किसी प्रकार के दुख का अहसास तक न हो। एकपक्षीय सोच ज्यादातर लेखकों में भी दिखाई देता है। वे भी नेताओं की तरह कभी चुप लगाते हैं, कभी आसमान फाड़ शोर मचाते हैं। दलों को तो चुनाव लड़ना है, लेकिन लेखकों को कौन सा चुनाव लड़ना है, जो किसी घटना पर बोलते हैं और किसी पर चुप्पी साध लेते हैं। तसलीमा न केवल लेखिका हैं, एक स्त्री भी हैं, लेकिन सब जानते हैं कि उनकी त्रासदी को स्त्री अधिकारों की बात करने वाले लोगों ने भी अपने-अपने विमर्श से बाहर ही रखा।

(लेखिका साहित्यकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

शिक्षा का अर्थ

शिक्षा जीवन का आरंभिक अलंकार है, जिसके लिए पुस्तकों की पढ़ाई जरूरी तो है, परंतु वह केवल शब्दों की स्मृति मात्र तक सीमित है। वास्तविक शिक्षा का अर्थ मात्र किताबी ज्ञान या डिग्री प्राप्त करना और आजीविका कमाने तक ही सीमित नहीं। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य बेहतर, संवेदनशील, सभ्य और आत्मनिर्भर एवं जिम्मेदार नागरिक बनाना है। चरित्र निर्माण, अंतर्निहित शक्तियों का विकास और व्यावहारिक जीवन कौशल सिखाना है। सभी कलुषित कामनाओं का नाश करना भी शिक्षा का व्यापक उद्देश्य है।

कुछ शिक्षा गुरु से ली जाती है तो कुछ सत्य स्वयं अपने अथक प्रयास से ही खोजे जाते हैं। महर्षि परशुराम एवं उनके शिष्य गुरु द्रोणाचार्य में ज्ञान की सीमा किताबी ज्ञान से कहीं अधिक उनके शोध एवं आचरण पर आधारित थी। शिक्षा ही वह प्रथम एवं अंतिम सोपान है, जो हमारे भीतर छिपी हुई सर्वोत्तम संभावनाओं, गुणों, चारित्रिक, नैतिक, आध्यात्मिक और क्षमताओं का सर्वांगीण विकास करके सांस्कृतिक मूल्यों को आचरण में लाने को प्रेरित करती है। इसलिए एक ओर जहां शिक्षा-तंत्र का संस्कृति, संस्कारों पर आधारित, पूर्ण निष्पक्ष और पारदर्शी होना अनिवार्य है, वहीं शिक्षा को आधार बनाकर या उसके नाम पर हिंसक गतिविधि, सार्वजनिक रूप से अभद्र, अपमानजनक भाषा का प्रयोग, अश्लील प्रदर्शन कभी भी क्षम्य नहीं हैं।

पशु-पक्षी केवल अपने भरण-पोषण और शरीर सुरक्षा के उपायों तक ही सीखते हैं, परंतु मानव की कलाओं का विस्तार उससे बहुत आगे होता है। वह शरीर से ऊपर मन तथा उससे भी आगे चेतना की गहराइयों में पहुंच पूर्ण निरपेक्ष एवं अथाह अनंतानंद पाना चाहता है। अपने साथ सभी को सुखी और सुविधापूर्वक रखना उसकी आकांक्षा होती है। यह समझ शिक्षा के माध्यम से ही विकसित होती है।

डा. निर्मल जैन

चुस्त-दुरुस्त हों स्वास्थ्य सेवाएं

रोहित कौशिक

> चिकित्सा सेवा को चुस्त-दुरुस्त बनाकर ही हम बड़ी आबादी को बेहतर चिकित्सा सेवा मुहैया करा सकते हैं

नीति आयोग ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए खर्च बढ़ाने की जरूरत बताई थी। आयोग ने कहा था कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और उन्हें देश के हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर स्वास्थ्य सेवाओं की मद में खर्च को बढ़ाना होगा। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में जीडीपी का मात्र डेढ़ या दो प्रतिशत ही खर्च होता है। दुनिया के कई देश स्वास्थ्य सेवाओं की मद में आठ से नौ प्रतिशत तक खर्च कर रहे हैं। हमारे देश में व्यवस्था की नाकामी और विभिन्न वातावरणीय कारकों के कारण बीमारियों का प्रकोप ज्यादा होता है। हमारे देश में डाक्टरों की कमी के कारण ग्रामीण लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने में देरी होती है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर गठित संसदीय समिति ने पिछले दिनों जारी अपनी रिपोर्ट में यह माना है कि हमारे देश में आम लोगों को समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं न मिलने के अनेक कारण हैं। इसलिए स्वास्थ्य सुविधाओं को और तीव्र बनाने की जरूरत है। दरअसल स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर भारत अनेक चुनौतियों से जूझ रहा है। हालात यह हैं कि जनसंख्या वृद्धि के कारण बीमार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। गरीबी और गंदगी के कारण विभिन्न संक्रामक रोगों से पीड़ित लोग इलाज के लिए तरस रहे हैं। गौरतलब है कि ब्राजील, श्रीलंका जैसे देश भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमसे ज्यादा खर्च करते हैं। पिछले दिनों योजना आयोग की एक विशेषज्ञ समिति ने भी यह सिफारिश की थी कि सार्वजनिक चिकित्सा सेवाओं के लिए आवंटन बढ़ाया जाए।

विडंबना यह है कि भारत में दूसरी सरकारी योजनाओं की तरह स्वास्थ्य योजनाएं भी लूट-खसोट की शिकार हैं। दूसरी ओर निजी अस्पताल और डाक्टर भी चांदी काट रहे हैं। पिछले दिनों भारतीय चिकित्सा परिषद ने डाक्टरों द्वारा दवा कंपनियों से लेने वाली विभिन्न सुविधाओं को देखते हुए एक आचार संहिता के तहत डाक्टरों को दिए जाने वाली सजा की रूपरेखा तय की थी। लेकिन अभी भी डाक्टर दवा कंपनियों से विभिन्न सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं और इसका बोझ रोगियों पर पड़ रहा है। आज यह किसी से छिपा नहीं है कि दवा कंपनियां अपनी दवाइयां लिखवाने के लिए डाक्टरों को महंगे-महंगे उपहार देती हैं। इसलिए डाक्टर इन कंपनियों की दवाइयां बिकवाने की जी-तोड़ कोशिश करते हैं।

हालांकि इन सभी बातों का अर्थ डाक्टरों को खलनायक सिद्ध करना नहीं है, बल्कि व्यावसायिक हो चुके इस पेशे की विसंगतियों पर प्रकाश डालना है। जो डाक्टर सेवाभाव से मरीजों के हितों के लिए रात-दिन एक कर रहे हैं, उन पर भला कौन उंगली उठाएगा? इस दौर में भी अनेक डाक्टर बिना किसी लालच के सेवा भाव से मरीजों की सेवा कर रहे हैं। ऐसे लोगों की वजह से ही चिकित्सा के पेशे की गरिमा बची हुई है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

सफल बने नशा मुक्ति अभियान

'नशा मुक्त भारत' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में एक सामाजिक समस्या का ही विश्लेषण नहीं, अपितु राष्ट्र के भविष्य के प्रति चेतावनी का भी बखूबी उल्लेख किया गया है। नशा आज किसी एक व्यक्ति की कमजोरी नहीं, बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र की सामूहिक चुनौती बन चुका है। जिस देश की युवा शक्ति उसकी सबसे बड़ी पूंजी हो, वहां यदि वही शक्ति नशे की गिरफ्त में चली जाए, तो यह केवल स्वास्थ्य का संकट नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास पर सीधा प्रहार है। नशे के विरुद्ध केवल कानून, पुलिस कार्रवाई या जागरूकता अभियान पर्याप्त नहीं होंगे। जब तक समाज यह स्वीकार नहीं करेगा कि नशे का पहला शिकार व्यक्ति नहीं, उसका पूरा परिवार होता है, तब तक लड़ाई अधूरी रहेगी। इसलिए नशे के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार केवल कानून नहीं, बल्कि संवाद, संवेदना और संस्कार हैं। यदि भारत को वास्तव में विश्वगुरु बनाना है, तो हमें अपने युवाओं को नशे से नहीं, नवाचार, राष्ट्रनिर्माण और आत्मविश्वास से जोड़ना होगा। इतिहास साक्षी है कि जिन राष्ट्रों ने अपनी युवा शक्ति को बचाया, वही विश्व का नेतृत्व कर सके। इसलिए, 'नशा मुक्त भारत' कोई सरकारी अभियान भर नहीं, बल्कि हर भारतीय का राष्ट्रीय संकल्प बने।

बिमलेश कुमार सिंह चौहान, लखनऊ

बांकीपुर की जनता का संदेश

बिहार के बांकीपुर विधानसभा उप चुनाव का परिणाम केवल एक सीट का फैसला नहीं, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति का महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। लंबे समय से भाजपा का गढ़ रही इस सीट पर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की जीत ने राजनीतिक समीकरणों को नई दिशा दी है। इस परिणाम ने यह संदेश दिया है कि बिहार का मतदाता अब पारंपरिक राजनीतिक ध्रुवीकरण से आगे बढ़कर नए विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। देखा जाए, तो बांकीपुर भारतीय जनता पार्टी की सबसे सुरक्षित शहरी सीटों में गिनी जाती रही है। ऐसे में इस सीट पर हार केवल एक चुनावी पराजय नहीं, बल्कि संगठन और नेतृत्व के लिए गंभीर आत्ममंथन का विषय है। विशेष महत्व इसलिए भी है, क्योंकि यह चुनाव मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की पहली बड़ी राजनीतिक परीक्षा माना जा रहा था। यदि सरकार बनने के कुछ ही समय बाद पार्टी अपने मजबूत गढ़ को नहीं बचा सकी, तो विपक्ष इसे सरकार के प्रति घटते विश्वास के रूप में प्रचारित करेगा। इस चुनाव का एक दूसरा पहलू भी है। हाल के महीनों में परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक और रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर छात्रों और युवाओं में व्यापक असंतोष देखने को मिला। कई विश्लेषकों का मानना है कि बांकीपुर का परिणाम इस नाराजगी की आंशिक राजनीतिक अभिव्यक्ति भी हो सकता है। हालांकि, केवल छात्र आंदोलन को हार का कारण मानना उचित नहीं होगा। स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवार की स्वीकार्यता, कम मतदान और प्रशांत किशोर की व्यक्तिगत छवि ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रशांत किशोर के लिए यह जीत राजनीतिक दृष्टि से ऐतिहासिक है। वर्षों तक चुनावी रणनीतिकार की भूमिका निभाने के बाद उन्होंने पहली बार स्वयं चुनाव लड़ा और भाजपा के मजबूत गढ़ में विजय प्राप्त की। इससे जन सुराज को न केवल राजनीतिक वैधता मिली है, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी का मनोबल भी काफी बढ़ा है। भाजपा के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती अपने पारंपरिक शहरी मतदाताओं का विश्वास दोबारा मजबूत करना है। पार्टी को उम्मीदवार चयन, बूथ प्रबंधन, युवाओं से संवाद और स्थानीय जन सरोकारों पर अधिक गंभीरता से काम करना होगा। दूसरी ओर, विपक्ष और जन सुराज इस जीत को व्यापक जनसमर्थन का प्रतीक बताकर राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव ही यह तय करेंगे कि यह हार क्षणिक थी या बिहार की राजनीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत।

युगल किशोर राही, छपरा

मेलबाक्स

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :

दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेलः response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी* दूरभाषः नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

95 करोड़ मासिक सक्रिय यूजर हैं गूगल के अनुसार जेमिनी के। इतनी व्यापक यूजर संख्या के बावजूद प्रत्यक्ष आय अब तक बहुत ही सीमित है। यानी विज्ञापन-आधारित एआइ माडल पूरी तरह विकसित नहीं हो पाए हैं।

डा. संजय वर्मा
एसोसिएट प्रोफेसर, बेनेट यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा

एआइ

तकनीक से अधिक अर्थशास्त्र की चिंता

विश्व में आज सबसे अधिक चर्चा किसी एक तकनीक की सर्वाधिक हो रही है तो वह एआइ है। परंतु आज का परिदृश्य यह बताता है कि एआइ की पहली लड़ाई तकनीक की नहीं, अर्थशास्त्र की है। करोड़ों यूजर होना ही काफी नहीं है, कमाई का स्थायी माडल होना भी जरूरी है। यही कारण है कि निवेशक केवल नई घोषणाओं से प्रभावित नहीं होते। वे यह देखना चाहते हैं कि कौन-सी कंपनी अपने एआइ निवेश को वास्तविक आय, उत्पादकता और व्यावसायिक सफलता में बदल पा रही है। बहुत संभव है कि आने वाले पांच वर्षों में एआइ का परिदृश्य बदल जाए

प्रतीकात्मक

मानव सभ्यता के विकास-क्रम पर नजर दौड़ाएं, तो पता चलता है कि आग, पहिए, बिजली और इंटरनेट के आविष्कार के बाद जिस ऐतिहासिक क्रांति ने सबसे ज्यादा चौंकाया है, वह कृत्रिम बुद्धिमता (एआइ) का दूसरा सक्रिय दौर है जो अब से लगभग चार साल पहले ही शुरू हुआ है। वर्ष 2022 के अंत में जब चैटजीपीटी नामक एआइ-माडल दुनिया के सामने आया, तब यह केवल एक नया डिजिटल उत्पाद नहीं था। यह उस तकनीकी दौड़ का उद्घोष था, जिसकी तुलना अनेक विशेषज्ञ सभ्यता को बदलने वाली ऐतिहासिक क्रांतियों से करने लगे। इस छोटे से अरसे में ही ऐसा प्रतीत होने लगा है कि अब हर सवाल का जवाब एआइ से मिलेगा, हर उद्योग की कार्यशैली बदल जाएगी और नई अर्थव्यवस्था के केंद्र में एआइ होगी।

लेकिन करीब चार साल के इसी अरसे में एक विचित्र विरोधाभास सामने आ गया है। जिन एआइ उपकरणों और चैटबाट्स पर सैकड़ों अरब डालर खर्च किए जा रहे हैं, वे अभी तक अपने निर्माताओं के लिए अपेक्षित मुनाफा या आर्थिक लाभ नहीं कमा पा रहे हैं। निवेश बढ़ता जा रहा है, उपयोगकर्ता (यूजर्स) बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बैलेंस शीट पर लाभ-हानि का ग्राफ बुरी तरह गड़बड़ाया हुआ है। सवाल केवल तकनीक का नहीं है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, निवेश और भविष्य की प्रतिस्पर्धा का भी है। अगर ये सभी वैश्विक कंपनियां इसी तरह निवेश के कारण घाटा उठाती रहीं, तो वह दिन दूर नहीं लगता जब एआइ की सरपट दौड़ती गाड़ी पटरी से उतर जाए। ये हालात वर्ष 2000 के डाट काम बुलबुले की याद दिलाते हैं। तब भी शेयर बाजार में इंटरनेट कंपनियों की कीमतें (मूल्यांकन) आसमान छू रही थीं, जबकि ज्यादातर कंपनियां लाभ नहीं कमा पा रही थीं। अंतर यह है कि आज एआइ के पीछे दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे संपन्न कंपनियां खड़ी हैं, जिनके पास घाटा सहने की क्षमता भी है और दीर्घकालिक रणनीति भी। लेकिन वे भी आखिर कब तक घाटा सहेंगी। यूजर्स को कब तक अपनी शुरुआती सेवाओं का मुफ्त में इस्तेमाल करने देंगी।

निवेश बढ़ा पर लाभ नहीं : कुछ हालिया रिपोर्टें बताती हैं कि गूगल की मूल कंपनी- अल्फाबेट ने एआइ इंफ्रास्ट्रक्चर (अवसंरचना) पर इतना अधिक निवेश किया कि सार्वजनिक कंपनी बनने के बाद पहली बार उसका मुक्त नकदी प्रवाह (फ्री कैश फ्लो) नकारात्मक हो गया। इसका मतलब यह है कि कंपनी ने संचालन और निवेश पर अपनी कुल कमाई से ज्यादा धन खर्च कर दिया। फेसबुक की संस्थापक कंपनी- मेटा की स्थिति भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। उसके रियलिटी लैब्स डिवीजन ने केवल छह महीनों में लगभग नौ अरब डालर का नुकसान दर्ज किया। दूसरी ओर अमेजन और माइक्रोसाफ्ट भी एआइ पर अभूतपूर्व खर्च कर रहे हैं। स्पष्ट है कि फिलहाल एआइ कमाई का नहीं, बल्कि निवेश का खेल बना हुआ है। सबसे रोचक तथ्य यह है कि इन कंपनियों के चैटबाट चाहे चैटजीपीटी हो, जेमिनी, मेटा एआइ- करोड़ों लोगों द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं। गूगल के अनुसार जेमिनी के लगभग 95 करोड़ मासिक सक्रिय यूजर हैं। इतनी विशाल यूजर संख्या के बावजूद प्रत्यक्ष आय सीमित है। कारण बिल्कुल साफ है। इनमें से ज्यादातर एआइ सेवाओं का इस्तेमाल करने वालों का अधिकांश उपभोक्ता-वर्ग एआइ के मुफ्त संस्करणों का उपयोग करते हैं। एआइ सेवाओं के बदले भुगतान करने वाले ग्राहकों की संख्या अभी भी नगण्य या अपेक्षाकृत काफी कम बनी हुई है। यदि कमाई को विज्ञापनों से जोड़ें, तो अभी विज्ञापन-आधारित एआइ माडल पूरी तरह विकसित नहीं हो पाए हैं।

दरअसल एआइ का सबसे बड़ा आर्थिक संकट यही है कि इसकी लागत अत्यधिक है। एक आधुनिक बड़े भाषा माडल को प्रशिक्षित करने के लिए लाखों उच्च क्षमता वाले ग्राफिक्स प्रोसेसर (जीपीयू), विशाल डाटा सेंटर, बिजली की भारी खपत, अत्यधिक कूलिंग के इंतजाम और विशेषज्ञ इंजीनियरों की टीम की जरूरत होती है। इसके बावजूद हर दिन करोड़ों-अरबों सवालों का जवाब देने में कंप्यूटिंग संसाधन खर्च होते हैं। दूसरे शब्दों में, जितना अधिक उपयोगकर्ता एआइ का उपयोग करते हैं, लागत भी उतनी ही अधिक होती जाती है। यह पारंपरिक साफ्टवेयर कारोबार से बिल्कुल भिन्न स्थिति है। यहीं से कारोबारियों और शेयर बाजारों की चिंता शुरू होती है।

निवेशक अब केवल भविष्य के सपनों से संतुष्ट नहीं हैं। वे यह जानना चाहते हैं कि अरबों डालर का यह निवेश आखिर वास्तविक आय में कब बदलेगा। मेटा के मुख्य कार्यकारी मार्क जुकरबर्ग ने हाल में एआइ एजेंट और एंटरप्राइज एआइ प्लेटफार्म की योजनाओं की घोषणा की, लेकिन समयसीमा स्पष्ट नहीं की। परिणामस्वरूप निवेशकों ने नकारात्मक प्रतिक्रिया दी और कंपनी के शेयरों में गिरावट देखी गई। हालांकि उम्मीद की एक किरण माइक्रोसाफ्ट ने दिखाई है। उसने हाल में दावा किया है कि उसका एआइ निवेश धीरे-धीरे व्यावसायिक आय में बदल रहा है। माइक्रोसाफ्ट 365, को-पायलट और क्लाउड सेवाओं के माध्यम से वह एआइ को सीधे अपने मौजूदा व्यवसाय से जोड़ने में सफल दिखाई दे रहा है। इसलिए निवेशकों का विश्वास भी बना हुआ है।

भारत को सबक : इस पूरे घटनाक्रम से एक महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत सामने आता है। वह यह है कि नई तकनीक का वास्तविक मूल्य उसके आविष्कार में नहीं, बल्कि उसके सफल कारोबारी माडल में छिपा होता है। इंटरनेट की शुरुआत भी मुफ्त सेवाओं से हुई थी। लेकिन बाद में ई-कामर्स, डिजिटल विज्ञापन, क्लाउड कंप्यूटिंग और आनलाइन भुगतान ने उसे लाभकारी बना दिया। संभव है कि एआइ भी इसी रास्ते से गुजरे। अभी हम उस संक्रमणकाल में हैं, जहां तकनीक तेजी से विकसित हो रही है, लेकिन उसका टिकाऊ राजस्व माडल अभी पूरी तरह परिपक्व नहीं हुआ है। भारत के लिए यह स्थिति विशेष महत्व रखती है। हमारे यहां एआइ को लेकर उत्साह तेजी से बढ़ रहा है। सरकारी सेवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, न्याय, मीडिया और बैंकिंग में एआइ के प्रयोग बढ़ रहे हैं। किंतु यदि वैश्विक कंपनियां स्वयं अभी तक लाभ का स्पष्ट माडल नहीं खोज पाई हैं, तो भारतीय उद्यमों को केवल चैटबाट बनाकर सफलता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उन्हें ऐसे एआइ माडल विकसित करने होंगे जो किसी विशिष्ट समस्या का समाधान करें और ग्राहक भुगतान करने को तैयार हो।

बढ़त और प्रभुत्व का सवाल : इस पूरी प्रतिस्पर्धा का एक भू-राजनीतिक आयाम भी है। अमेरिका, चीन और यूरोप एआइ में केवल आर्थिक लाभ के लिए निवेश नहीं कर रहे। यह तकनीकी संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक प्रभाव का भी प्रश्न है। जिस देश के पास सर्वश्रेष्ठ एआइ माडल, चिप निर्माण क्षमता, डाटा केंद्र और प्रतिभा होगी, वही डिजिटल अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करेगा। इसलिए आज होने वाला निवेश तात्कालिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की रणनीतिक बढ़त के लिए भी है। इसी संदर्भ में चिप निर्माण का महत्व बढ़ गया है। एपल ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसके उत्पादों की मांग इतनी अधिक है कि आवश्यक माइक्रोचिप्स की उपलब्धता चुनौती बन रही है। एआइ की प्रतिस्पर्धा केवल साफ्टवेयर में नहीं, हार्डवेयर, ऊर्जा, डाटा सेंटर और सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में भी है। भविष्य का डिजिटल नेतृत्व केवल अच्छे एल्गोरिद्म से नहीं, मजबूत औद्योगिक अवसंरचना से तय होगा।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े अवसर और चुनौतियां

एआइ के विकास और कमाई के द्वंद्व को देखें, तो इसमें भारत के लिए अवसर और चेतावनियां, दोनों नजर आते हैं। चेतावनी इसे लेकर है कि यदि हम केवल विदेशी चैटबाट्स के उपभोक्ता बनकर रह गए, तो हमारी उन पर डिजिटल निर्भरता बढ़ेगी, जो अच्छी बात नहीं है। लेकिन यदि हम भारतीय भाषाओं, स्थानीय उद्योगों, कृषि, स्वास्थ्य, न्याय और प्रशासन की समस्याओं के समाधान विकसित करते हैं, तो एआइ भारत की उत्पादकता और आर्थिक विकास का बड़ा साधन बन सकता है। इसके लिए केवल स्टार्टअप संस्कृति पर्याप्त नहीं होगी। उच्च क्षमता वाले डाटा सेंटर, स्वदेशी भाषा माडल, सेमीकंडक्टर निर्माण, अनुसंधान संस्थानों और उद्योग के बीच मजबूत सहयोग तथा एआइ नीति की जरूरत होगी। एक सवाल ऊर्जा की खपत का है। एआइ माडल जितने बड़े होते जा रहे हैं, उनकी बिजली की जरूरतें भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही हैं। अनेक देशों में नए डाटा सेंटर्स के लिए बिजली उत्पादन बढ़ाने की योजनाएं बन रही हैं। इसलिए भविष्य में एआइ की सफलता केवल एल्गोरिद्म पर नहीं, बल्कि हरित ऊर्जा, जल संसाधन और पर्यावरणीय स्थिरता पर भी निर्भर करेगी। यदि एआइ मानवता की सहायता के लिए है, तो उसका विकास भी टिकाऊ होना चाहिए।

इसलिए वर्तमान समय में एआइ को लेकर सबसे संतुलित दृष्टिकोण यही है कि न तो इसे असीमित चमत्कार मान लिया जाए और न ही असफल प्रयोग। यह एक लंबी आर्थिक यात्रा की शुरुआती अवस्था है। अभी तकनीक दौड़ रही है, लेकिन व्यवसाय का माडल उसके पीछे चल रहा है। अंततः वही कंपनियां विजेता बनेंगी जो केवल बेहतर चैटबाट नहीं, बल्कि ऐसा आर्थिक माडल तैयार करेंगी जिसमें नवाचार, विश्वास, उपयोगिता और लाभ- चारों का संतुलन हो। तकनीकी इतिहास बार-बार यही सिखाता है कि अंततः बाजार उन आविष्कारों को नहीं, उन समाधानों को स्वीकार करता है जो समाज के लिए उपयोगी होने के साथ आर्थिक रूप से भी टिकाऊ हों।

(डा. संजय वर्मा)

खरी-खरी

फिक्रमंद हैं सरकार

ऋषभ जैन

कहते हैं आंदोलन के बिना लोकतंत्र अधूरा है। सरकारें अधूरे लोकतंत्र की पक्षधर नहीं हो सकतीं। उनकी जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र फलता-फूलता रहे। सोचिये, यदि देश से बेरोजगारी खत्म हो जाए, संविदा कर्मी नियमित हो जाएं, सड़कें चकाचक हो जाएं, बिजली का बिल चौथाई हो जाए, पेपर लीक न हों, यदि हों तो इनके लीक होने की खबर लीक न हो, यदि हो जाए तो ऐसा होते ही मंत्री महोदय इस्तीफा दे दें, नल घुमाते ही पानी आ जाए, पेट्रोल शुद्ध हो जाए, राज्य वालों को केंद्र के समान वेतन-भत्ते मिलने लगें और केंद्र वालों को कर्मचारियों की मांग अनुसार और भी सब काम कायदे से होने लगें तो आंदोलनों की गुंजाइश खत्म नहीं हो जाएगी?

आंदोलन के कुछ प्रोटोकाल होते हैं। इन्हें प्रारंभ करने के पूर्व लोग सरकार के सामने अपनी मांगें रखते हैं, सरकार इन पर ध्यान नहीं देती। वे धरने पर बैठ जाते हैं, सरकार धरनास्थल मुहैया करा देती है। वे कहते हैं सरकार को बात करनी चाहिए। सरकार की दृष्टि बड़ी व्यापक है। बात करने में मांग स्वीकार करने की मांग का खतरा है। एक मांग माने जाते ही दूसरी का खड़ा होना अवश्यंभावी है। बिना आंदोलन मांगें पूरी होती रहीं तो आंदोलनों की भूमि ही नहीं बचेगी। इससे कालांतर में लोकतंत्र और फिर सरकार के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा हो सकता है। मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इसे कुचलने की कार्रवाई का विरोध करते आम से लेकर खास जनों के एक्स पोस्ट, रील और विचारों से आच्छादित हो उठते हैं। इन आवाजों को सुनकर बड़ी राहत मिलती है। एक सफल लोकतंत्र को और क्या चाहिए भला?

एक बार एक आंदोलन में सारी मांगें मान ली गईं। मैंने नेताजी से पूछा कि सरकार ने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या उन्हें लोकतंत्र की चिंता नहीं है? उन्होंने कहा उसके लिए सरकार को पहले अपनी चिंता करनी पड़ती है। सरकार लोकतंत्र की चिंता कर सके, इसके लिए जरूरी है कि वह बनी रहे। उनकी बात बिल्कुल ठीक है। यह सरकार का विशेषाधिकार है कि वह लोकतंत्र की चिंता किस विधि से करती है। इसमें कोई दूसरा दखल नहीं दे सकता है।

X पोस्ट

दतिया से नरोत्तम हारे थे और वही जीत भी सकते थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को यह बात समझ आ गई होगी और उन्हें भी, जिन्होंने नरोत्तम का टिकट काटा था।
हर्ष वर्धन त्रिपाठी@MediaHarshVT

बांकीपुर एक उपचुनाव के नतीजे से कहीं अधिक है। भाजपा अध्यक्ष की सीट पर पहले प्रत्याशी चुनाव में गफलत और फिर सवर्ण वोट बैंक के रुझान ने दर्शाया कि कोई सीट किसी दल की बपौती नहीं। तेजस्वी के लिए भी स्पष्ट संदेश कि राजद स्वाभाविक विपक्षी या प्रतिद्वंद्वी दल नहीं। बिहार के लिए यही संदेश है कि राज्य में एक नई राजनीतिक शक्ति का उदय होता दिख रहा है।
मारिया शकील@maryashakil

गोरखपुर और फूलपुर उपचुनाव में भी सत्तारूढ़ पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इन परिणामों का असर अगले चुनाव पर होता हुआ दिखाई नहीं दिया। ऐसे में उपचुनाव के परिणाम के आधार पर राजनीतिक बयान या एक खास नैरेटिव बनाने की कोशिश करना आसान है, लेकिन ऐसे नैरेटिव के समर्थन में तथ्य देना मुश्किल है।
शिव मिश्रा@shivkmishr

जयकृष्ण वाजपेयी
राज्य ब्यूरो प्रमुख, बंगाल

बंगाल डायरी

विचार, राजनीति और 'आजादी' की नई बहस

लगभग दो दशकों के लंबे अंतराल के बाद कोलकाता की सांस्कृतिक धड़कनों में एक ऐसा नाम फिर गूंजा, जो केवल साहित्य का नहीं, बल्कि विचारों की स्वतंत्रता, असहमति के अधिकार और कट्टरता के प्रतिरोध का प्रतीक बन चुका है- तसलीमा नसरीन। वस्तुतः उनकी वापसी महज एक साहित्यिक घटना नहीं, बल्कि बंगाल की राजनीति, समाज और वैचारिक विमर्श के बदलते परिदृश्य का जीवंत दस्तावेज है। यह वापसी जितनी व्यक्तिगत है, उससे कहीं अधिक यह उस ऐतिहासिक प्रश्न का पुनर्जागरण है- क्या बंगाल फिर से विचारों की खुली धरती बन रहा है?

रवींद्र सदन में आयोजित कार्यक्रम में तसलीमा का वक्तव्य इस बात का स्पष्ट संकेत था कि उनका संघर्ष आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 1990-2007 के बीच था। चार दशकों से मानवता, पंथनिरपेक्षता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत करने वाली इस लेखिका ने कहा- 'परिस्थितियां चाहे जितनी कठिन रही हों, उनके विश्वास में कोई दरार नहीं आई।' उनका यह कहना कि 'मानचित्र नहीं, लोगों का प्यार ही मेरा देश है' एक गहरी भावनात्मक और वैचारिक स्थिति को दर्शाता है।

तसलीमा का जीवन निर्वासन, विरोध और संघर्ष का पर्याय रहा है। वर्ष 1994 में बांग्लादेश से उन्हें इसलिए निकलना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कट्टरपंथ के खिलाफ लिखा। लेकिन विडंबना यह है कि जिस कोलकाता को उन्होंने अपना दूसरा 'घर' माना, उसी शहर ने 2007 में उन्हें राजनीतिक दबाव और कट्टरपंथियों के हिंसक विरोध के चलते छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन भाजपा नेतृत्व वाली सरकार के आते ही महज ढाई महीनों में उनकी वापसी ने कई संकेत दिए हैं। सबसे बड़ा संकेत है- 'फ्री स्पीच' का राजनीतिक पुनर्पाठ। मंच से

तसलीमा नसरीन (मध्य में) को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का चित्र भेंट करते शुभेंदु अधिकारी। फाइल

शुभेंदु अधिकारी का यह कहना कि 'सुरक्षित बंगाल में आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की' एक औपचारिक वाक्य भर नहीं था। यह उस संदेश का हिस्सा था, जो यह स्थापित करना चाहता है कि राज्य में 'बंधनमुक्त' वातावरण है, विवादास्पद आवाजों के लिए भी जगह है।

लेकिन इस कहानी का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है- तसलीमा का अपना रुख। उन्होंने स्पष्ट कहा- 'कृतज्ञता का मतलब निष्ठा नहीं होता' और 'स्वतंत्र चिंतन को गिरवी नहीं रखा जा सकता।' यह बयान इस धारणा को तोड़ता है कि उनकी वापसी किसी राजनीतिक धड़े के साथ वैचारिक नजदीकी का परिणाम है। वह आज भी एक स्वतंत्र, आलोचनात्मक और असहमत आवाज के रूप में खुद को स्थापित करती हैं। हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम में एक असहज सच भी सामने आया। कार्यक्रम के दौरान प्रख्यात बांग्ला कवि जय गोस्वामी को दर्शकों के विरोध के कारण मंच पर नहीं आने दिया गया। यह घटना उस विडंबना को उजागर करती है, जिसमें 'फ्री स्पीच' की वकालत करने वाले मंच पर भी असहमति के लिए जगह सीमित हो जाती है। तसलीमा की प्रतिक्रिया- 'द्विमत के लिए विद्वेष जरूरी नहीं होता'- दरअसल पूरे समाज के लिए एक आईना है।

तसलीमा की वापसी का तीसरा आयाम है- बंगाल की सांस्कृतिक पहचान। उनका यह कथन कि 'मानचित्र नहीं, लोगों का प्यार ही मेरा देश है' उस सीमाहीन सांस्कृतिक चेतना की ओर इशारा करता है, जो भाषा, साहित्य और संवेदना पर आधारित होती है। एक समय था जब कोलकाता दक्षिण एशिया के प्रगतिशील विचारों का केंद्र माना जाता था। तसलीमा की वापसी उस खोई हुई पहचान को पुनर्जीवित करने का प्रयास भी लगती है। लेकिन बड़ा सवाल यही है- क्या यह बदलाव स्थायी है या सिर्फ राजनीतिक समय का परिणाम? क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यह दावा सभी विचारों के लिए समान रूप से लागू होगा, या यह भी चयनात्मक रहेगा? इतिहास गवाह है कि सत्ता बदलती है, लेकिन असहज विचारों के प्रति असहिष्णुता अक्सर बनी रहती है- बस उसका चेहरा बदल जाता है।

तसलीमा नसरीन की वापसी इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह केवल एक लेखक की वापसी नहीं, बल्कि उस बहस की वापसी है, जिसे लंबे समय तक दबाया गया था- धर्म, राजनीति, स्वतंत्रता और समाज के बीच संतुलन की बहस। यह घटना हमें एक गहरी सच्चाई की ओर ले जाती है- दरवाजे चाहे सत्ता बंद करे या समाज, वे हमेशा के लिए बंद नहीं रहते। तसलीमा ने कहा- 'अन्याय लंबा चल सकता है, लेकिन स्थायी नहीं होता।' कोलकाता में उनकी वापसी इसी सत्य का जीवंत प्रमाण है। और शायद एक चेतावनी भी- कि इतिहास न केवल याद रखता है कि दरवाजा किसने बंद किया, यह भी कि किसने उसे खोलने का साहस दिखाया।

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या प्रधानमंत्री की पहल पर नशा मुक्त अभियान नशे के विरुद्ध जागरूकता में प्रभावी बनेगा?

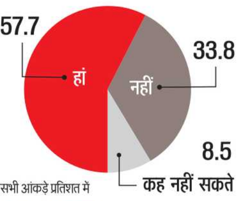

सभी आंकड़े प्रतिशत में

आज का सवाल

क्या बांकीपुर और दतिया उपचुनाव में हार भाजपा के लिए एक बड़ी चेतावनी हैं?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है

जनपथ

मस्ती छंटनी चाहिए छाया बहुत खुमार,
शायद भारी लग रहा इन्हें जीत का भार।
इन्हें जीत का भार हुई चालू कनबतिया,
तभी हार इस बार गए बांकीपुर-दतिया।
लोकतंत्र में 'लोक' बड़ी है सबसे हस्ती,
ये देते हैं छांट सभी पर छाई मस्ती!
-ओम प्रकाश तिवारी

मंथन

पीयूष कुमार दुबे
असिस्टेंट प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय

भाषाई शुचिता का संकट काल

भारतीय संस्कृति में प्रतिरोध की एक प्रखर व समृद्ध परंपरा रही है, जिसकी जड़ें हमारी प्राचीन सभ्यता तक में गहराई तक समाहित हैं। परंतु जंतर-मंतर पर जो कुछ हुआ वह चिंतनीय है

दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन ने एक समाज के रूप में हमारे सामने कई गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। इस प्रदर्शन के दौरान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में जिस प्रकार की भाषाई विकृति का नग्न प्रदर्शन हुआ, वह चिंतित करने वाला है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा सार्वजनिक विमर्श अब तर्कशीलता और बौद्धिक गरिमा की परिधि से बाहर निकलकर भाषाई उच्छृंखलता और फूहड़पन के गहरे गर्त में जा रहा है।

हमारी ऐतिहासिक परंपरा में वैचारिक तीखेपन और मुखर असहमति के बावजूद कभी भी भाषाई शिष्टता का शीलभंग नहीं हुआ। प्राचीन काल में 'शास्त्रार्थ' की परंपरा इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। 'बृहदारण्यक उपनिषद' में जब विदुषी गार्गी भरी सभा में महर्षि याज्ञवल्क्य से तीखे प्रश्न पूछती हैं, तो उस प्रतिरोध में ज्ञान की प्रखरता होती है, किंतु भाषाई मर्यादा का पूर्णतः पालन किया जाता है। यह शालीनता स्वतंत्र भारत की राजनीति में भी निरंतर दिखाई दी है। भारतीय राजनीति के इतिहास में एक प्रसिद्ध प्रसंग है कि जब जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं जनसंघ को कुचल दूंगा, तब इसके प्रत्युत्तर में जनसंघ के संस्थापक डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पूरी गरिमा और बौद्धिक दृढ़ता के साथ उत्तर दिया कि- 'मैं आपकी कुचलने वाली मानसिकता को कुचल दूंगा।'

यदि हम महात्मा गांधी के सत्याग्रहों, जयप्रकाश नारायण (जेपी) की संपूर्ण क्रांति अथवा सबसे हालिया अन्ना आंदोलन को देखें, तो उनमें सत्ता और नीतियों का प्रखर और तीखा विरोध अवश्य था, परंतु प्रधानमंत्री या सत्ता प्रतिष्ठान के प्रति कभी भी ऐसी भाषाई अशिष्टता और अश्लीलता नहीं दिखाई दी, जैसी कि इस विरोध प्रदर्शन में परिलक्षित हुई है। विरोध में भाषा का अशिष्ट से अश्लील हो जाना, कहीं न कहीं प्रदर्शनकारी के विकृत मानस को ही दर्शाता है। जब भाषा अशिष्टता की सीमाएं लांघकर अश्लीलता के दलदल में उतर जाती है, तो उसका अर्थ यही होता है कि विरोध करने वाले के पास तर्कों का पूर्ण अभाव है और वह अपनी वैचारिक दरिद्रता को अपशब्दों के शोर से छिपाने का प्रयास कर रहा है।

युवाओं में विकसित होती यह 'अपशब्द संस्कृति' हमारे लिए सर्वाधिक चिंता का विषय होनी चाहिए। सोचने वाली बात है कि जो युवा सार्वजनिक स्थानों पर, मीडिया के कैमरों के सामने और समाज की खुली आंखों के समक्ष ऐसी अश्लील और जुगुप्साकारी भाषा को बरतते हुए तनिक भी नहीं झिझक रहे हैं, उनका निजी जीवन में अन्यों के प्रति आचरण कैसा होगा? जिस व्यक्ति की वैचारिक चेतना सार्वजनिक पटल पर इतनी दूषित है, क्या उसका आचरण देश, समाज या परिवार के लिए किसी भी प्रकार से हितकारी हो सकता है?

चिंताजनक यह भी है कि समाज का एक वर्ग, जिसमें तथाकथित बौद्धिक लोग भी शामिल हैं, इस पूरी विकृति का विभिन्न कुतर्कों के माध्यम से समर्थन करता दिखाई दे रहा है। कोई इसे विद्यार्थियों के संचित आक्रोश की अभिव्यक्ति बताकर न्यायोचित ठहरा रहा है, कोई इसमें लड़कियों का नया आत्मविश्वास खोज रहा है, तो कुछ लोग इसका बचाव करते हुए कह रहे हैं कि यह जेन-जी के विरोध की एक अभिनव शैली है। यदि इस बात में आंशिक सत्य भी है कि यह नई पीढ़ी के प्रतिरोध का तरीका है, तो यह एक सुसंस्कृत समाज होने की हमारी स्थिति पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है।

अपशब्दों का प्रयोग केवल भाषाई व्याकरण या शब्दावली का विकृत होना भर नहीं होता, यह एक गहरे सांस्कृतिक पतन का संकेत करता है। जब भाषा दूषित होती है, तो उसके साथ संपूर्ण संस्कृति का ताना-बाना भी विकृत होने लगता है। मानव व्यवहार का यह सहज क्रम है कि व्यक्ति पहले अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है और जब वह इस भाषाई उच्छृंखलता के प्रति सहज हो जाता है, तो धीरे-धीरे उसी को अपने आचरण में भी उतारने की ओर उन्मुख होने लगता है। भाषा में अपशब्दों की यह स्वीकार्यता समाज की जीवनशैली में भी उन हिंसक और अमर्यादित व्यवहारों को सहज बना देती है। विकृति ही संस्कृति बन जाती है।

बीते दिनों जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन के दौरान अश्लील शब्द भी सुनाई दिए। फाइल

वर्तमान भारतीय शासन का यह उदार चरित्र ही है कि इस प्रकार के अराजक और अमर्यादित प्रदर्शनों के बीच भी उसने धैर्य का परिचय देते हुए संवाद का मार्ग अपनाया। अन्यथा, सड़क की ऐसी अराजक परिस्थितियां, शासन को भी निरंकुश और अराजक होने का सहज अवसर ही प्रदान करती हैं। अंततः किसी भी आंदोलन की सार्थकता केवल उसके उद्देश्यों में नहीं, अपितु उसे अभिव्यक्त करने वाले साधनों अर्थात भाषा की पवित्रता में निहित होती है। यदि हमें एक सुसंस्कृत राष्ट्र के रूप में सभ्यतागत भविष्य सुरक्षित रखना है, तो असहमति के नाम पर पनप रही इस अश्लील 'अपशब्द संस्कृति' को दृढ़ता से अस्वीकार करते हुए, तार्किक और मर्यादित प्रतिरोध की शालीन परंपरा के पक्ष में खड़ा होना होगा।

एंक्यूब एथिकल्स लाएगी 3,000 करोड़ का आइपीओ

नई दिल्ली : विशेष दवाएं बनाने वाली कंपनी एंक्यूब एथिकल्स ने 3,000 करोड़ रुपये के आइपीओ की मंजूरी के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी के पास दस्तावेज दाखिल किए हैं। यह आइपीओ पूरी तरह से प्रमोटरों की तरफ से बिक्री पेशकश (ओएफएस) पर आधारित होगा। निर्गम से जुटने वाली राशि हिस्सेदारी बेचने वाले शेयरधारकों को जाएगी। कंपनी को टापिकल (त्वचा पर लगाने वाली) और ट्रांसडर्मल (त्वचा के जरिये दवा पहुंचाने वाली) खुराक प्रणालियों में विशेषज्ञता हासिल है। (प्रेट्र)

सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में कंपनियों का बड़ा हिस्सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा सेंटर की बढ़ती लागत पर खर्च हो रहा है, जिससे नई नौकरियां कम पैदा हो रही हैं।
– श्रीधर वेम्बू, संस्थापक, जोहो

सेंसेक्स	78,639.03	▲	544.39
निफ्टी	24,774.30	▲	390.70
सोना प्रति दस ग्राम	₹ 1,47,400	▼	₹ 900
चांदी प्रति किलो ग्राम	₹ 2,26,500	▲	₹ 1,800
डालर	₹ 95.31	▼	₹ 0.12
क्रूड प्रति बैरल	$ 83.88		

एक नजर में

कच्चा तेल सस्ता होने से सेंसेक्स 544 अंक बढ़ा

मुंबई : भू-राजनीतिक तनाव कम होने और कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट से सोमवार को शेयर बाजार में लगातार चौथे कारोबारी सत्र में तेजी जारी रही। बीएसई सेंसेक्स 544.39 अंक चढ़कर 78,639.03 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 800.46 अंक बढ़कर 78,895.10 तक पहुंच गया था। निफ्टी 390.70 अंक की बढ़त के साथ 24,774.30 अंक पर बंद हुआ। चार कारोबारी दिनों में बीएसई बेंचमार्क 1,873.11 अंक और निफ्टी 788.95 अंक चढ़ा। (प्रेट्र)

ट्राई ने 'माईकाल' मोबाइल एप फिर से किया लांच

नई दिल्ली : ट्राई ने सोमवार को 'माईकाल' मोबाइल एप को नए अंदाज में पेश किया। इसकी मदद से उपभोक्ता अपने वायस-कालिंग अनुभव और गुणवत्ता का मूल्यांकन कर सकेंगे तथा जानकारी दे सकेंगे। यह एप 1 से 5 स्टार तक फीडबैक के जरिये वायस काल की रेटिंग करने जैसी सुविधाएं देता है। साथ ही इसकी मदद से उपभोक्ता काल ड्राप, काल के दौरान इको, आडियो में देरी, और आवाज कटने जैसी समस्याओं के बारे में भी बता सकेंगे। यूजर से मिली प्रतिक्रिया सुधारात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित सेवा प्रदाताओं को उपलब्ध कराया जाएगा। (प्रेट्र)

पेट्रोल-डीजल के निर्यात पर विंडफाल टैक्स बढ़ाया

नई दिल्ली : सरकार ने सोमवार से शुरू होने वाले पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर विंडफाल टैक्स बढ़ा दिया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की दर 15.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 25.5 रुपये प्रति लीटर होगी। एटीएफ के निर्यात पर एसएईडी 14.5 रुपये प्रति लीटर के मुकाबले 22 रुपये प्रति लीटर होगा। पेट्रोल निर्यात पर शुल्क 2.5 रुपये प्रति लीटर से 3.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि शुल्क में वृद्धि तीन अगस्त से प्रभावी होगी। (प्रेट्र)

एमपीसी बैठक में जस की तस रह सकती है रेपो रेट

घरेलू अर्थव्यवस्था की मजबूत स्थिति के बावजूद छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति अपनाएगी सतर्क रुख

मुंबई, प्रेट्र : आरबीआइ की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिनी बैठक सोमवार को शुरू हो गई। वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति से जुड़े जोखिमों के बने रहने के बीच अधिकतर विशेषज्ञों का मानना है कि छह सदस्यीय एमपीसी घरेलू अर्थव्यवस्था की मजबूत स्थिति के बावजूद सतर्क रुख अपनाएगी। इसके अलावा समिति द्वारा रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने की उम्मीद की जा रही है। केंद्रीय बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा पांच अगस्त को द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के फैसलों की घोषणा करेंगे।

बैंक आफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने कहा कि क्रेडिट पालिसी ऐसे समय में आ रही है जब ग्लोबल अनिश्चितता बनी हुई है और इस बात को लेकर बहुत कम स्पष्टता है कि युद्ध कब खत्म होगा। इसके अलावा, हम महंगाई को धीरे-धीरे बढ़ते देख रहे हैं और ऐसा लगता है कि यह ऊपर जाएगी, क्योंकि खाने-पीने की चीजों की कीमतें मौसम के असर और मानसून की वजह से बढ़ने लगी हैं।

दूसरी, ओर हाई फ्रीक्वेंस इंडिकेटर्स (जैसे बिजली की खपत, वाहनों की बिक्री, यूपीआइ लेनदेन और पीएमआइ) के आधार पर विकास स्थिर है। इन हालात को देखते हुए एमपीसी के रेपो रेट और अपने रुख में बदलाव नहीं करने की संभावना है।

वहीं क्रिसिल की मुख्य अर्थशास्त्री दीप्ति देशपांडे को भी उम्मीद है कि आरबीआइ अपनी अगस्त की समीक्षा बैंक के दौरान रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करेगा। उन्होंने कहा, 'आरबीआइ विकास और महंगाई के समीकरण पर दो मुख्य झटकों (पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और मानसून की अनिश्चितताओं) के असर के बारे में और स्पष्टता का इंतजार करना पसंद करेगा।' देशपांडे ने कहा, 'दोनों ही बातें विकास और महंगाई के लिए जोखिम पैदा करती हैं, जिससे पालिसी बनाने वालों के सामने एक मुश्किल संतुलन बनाने की चुनौती आ गई है।'

- आरबीआइ गवर्नर पांच अगस्त को द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के फैसलों का करेंगे एलान
- क्रिसिल ने कहा-पालिसी बनाने वालों के सामने एक मुश्किल संतुलन बनाने की चुनौती होगी

पहली तिमाही में विकास दर 7.1 से 7.3 प्रतिशत के दायरे में रहने की उम्मीद है। अप्रैल-जून के दौरान औसत सीपीआइ चार प्रतिशत के औसत लक्ष्य के करीब रही। मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर ही बनाए रखने की संभावना है। आगे चलकर, पालिसी रेट के बारे में आरबीआइ के फैसले आंकड़ों पर निर्भर करेंगे, क्योंकि पश्चिम एशिया की स्थिति से जुड़े कच्चे तेल की कीमतों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। **-डीके श्रीवास्तव,** चीफ पालिसी एडवाइजर, ईवाई इंडिया

केंद्रीय बैंक ने जून में रेपो रेट को 5.25% पर रखा था अपरिवर्तित

आरबीआइ ने जून में रेपो दर को 5.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा था और पश्चिम एशिया में संघर्ष के प्रभाव का आकलन करने के लिए स्थिति के अनुसार कदम उठाने का रुख अपनाया था। केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए खुदरा मुद्रास्फीति का अनुमान 4.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.1 प्रतिशत कर दिया था। इसका मुख्य कारण वैश्विक ऊर्जा कीमतों में वृद्धि का पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर असर पड़ने से लागत बढ़ना बताया गया था। 2026-27 के लिए जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान भी अप्रैल में जताए गए 6.9% के से घटाकर 6.6% कर दिया था।

25.50 करोड़ रुपये हुई भारत में डाटा लीक की औसत लागत

15.9% की वृद्धि हुई है भारत में डाटा लीक की औसत लागत में पिछले वर्ष के मुकाबले

आइबीएम की '2026 कास्ट आफ ए डेटा ब्रीच' रिपोर्ट के अनुसार-भारत में डाटा लीक की औसत लागत अब तक के उच्चतम स्तर 25.50 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है। यह पिछले वर्ष के 22 करोड़ रुपये से 15.9% की वृद्धि है। लीक की घटनाएं भी बढ़ रही हैं और अब प्रत्येक घटना में 39,500 रिकार्ड लीक हो रहे हैं, जो 2025 में 38,200 थे।

26% हमले एआइ से हुए

रिपोर्ट का सबसे अहम निष्कर्ष यह है कि भारतीय साइबर सुरक्षा के लिए एआइ एक दोधारी तलवार बन गया है। भारत में हुए दुर्भावनापूर्ण हमलों में से 26% एआइ द्वारा किए गए थे। हालांकि, यही तकनीक उपलब्ध सबसे मजबूत सुरक्षा उपायों में से एक साबित हो रही है, क्योंकि एआइ और सुरक्षा स्वचालन को व्यापक रूप से लागू करने वाली कंपनियों को लाभ हुआ है।

भारत में एआइ को तेजी से अपनाने से नवाचार के अपार अवसर पैदा हो रहे हैं, लेकिन इससे साइबर खतरे भी तेजी से विकसित हो रहे हैं। निष्कर्ष बताते हैं कि एआइ और मजबूत शासन व्यवस्था का उपयोग करने वाले संगठन साइबर हमलों से बचाव के लिए बेहतर स्थिति में थे।
गौरव अग्रवाल, आइबीएम इंडिया और दक्षिण एशिया के प्रौद्योगिकी उपाध्यक्ष

- 32% कंपनियां ही एआइ और सिक्योरिटी आटोमेशन का उपयोग रही हैं
- 36% कंपनियों ने सीमित उपयोग की जानकारी दी
- 32% कंपनियां एआइ व सिक्योरिटी आटोमेशन का बिल्कुल उपयोग नहीं कर रही हैं

सिक्योरिटी आटोमेशन से डाटा लीक में आई कमी

जिन कंपनियों में एआइ या सिक्योरिटी आटोमेशन का उपयोग नहीं होता है, उन्हें औसतन प्रति लीक 31.6 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ता है। यह एआइ और सिक्योरिटी आटोमेशन का उपयोग करने वाली कंपनियों द्वारा किए जाने वाले भुगतान 21.3 करोड़ रुपये से लगभग 50% अधिक है।

वित्तीय सेवाएं ज्यादा प्रभावित

डाटा लीक में सबसे अधिक नुकसान वित्तीय सेवाओं को उठाना पड़ता है। प्रति लीक 40.9 करोड़ रुपये के नुकसान के साथ वित्तीय सेवा संगठन सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। वहीं प्रौद्योगिकी कंपनियों को 35.7 करोड़ रुपये और संचार सेवाओं को 34.5 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान उठाना पड़ता है।

19% अटैक फिशिंग से

साइबर अटैक के लिए फिशिंग का उपयोग सबसे अधिक होता है। प्रारंभिक अटैक के तरीकों में इसकी हिस्सेदारी 19% है और इससे वायस और एसएमएस फिशिंग की हिस्सेदारी शामिल है। यह ड्राइव-बाय काम्प्रोमाइज (गुप्त साइबर हमला) 16% और सप्लाई चेन काम्प्रोमाइज (थर्ड पार्टी की कमजोरी का फायदा उठाकर किए जाने वाला साइबर हमला) 15% से ज्यादा है।

जुलाई में मैन्युफैक्चरिंग की वृद्धि पांच साल के निचले स्तर पर

नई दिल्ली, प्रेट्र : नए कारोबारी आर्डर की रफ्तार धीमी पड़ने से देश में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों की वृद्धि जुलाई में घटकर पांच साल के निचले स्तर पर आ गई। मौसमी रूप से समायोजित एचएसबीसी इंडिया विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआइ) जुलाई में घटकर 53.5 पर आ गया जो जून में 54.2 था। यह अगस्त, 2021 के बाद का सबसे निचला स्तर है।

पीएमआइ नए आर्डर, उत्पादन, रोजगार, आपूर्तिकर्ताओं की डिलिवरी अवधि और खरीदे गए माल भंडार जैसे संकेतकों के आधार पर स्थिति का आकलन करता है। पीएमआइ में 50 से ऊपर का स्तर गतिविधियों में विस्तार और 50 से नीचे का स्तर गिरावट को दर्शाता है। नए आर्डर में वृद्धि की दर जुलाई में चार वर्षों से अधिक समय में दूसरी सबसे कमजोर रही।

पीएसयू को टीआरईडीएस से देना होगा भुगतान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : एमएसएमई विकास संशोधन बिल (2026) को सोमवार को राज्यसभा से पारित कर दिया गया। बिल के प्रस्ताव के मुताबिक सभी केंद्रीय सार्वजनिक कंपनियों (पीएसयू) को एमएसएमई के बकाये का भुगतान अब ट्रेड रिसिवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) के तहत ही करना होगा। टीआरईडीएस एक आनलाइन प्लेटफार्म है।

सरकारी कंपनियों ने माल लेने के बदले अगर एमएसएमई को भुगतान नहीं किया है तो एमएसएमई बकाये बिल को इस प्लेटफार्म पर डालकर बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान से भुगतान ले सकते हैं। बाद में बैंक सरकारी कंपनियों से यह राशि ब्याज के साथ लेते हैं। अब तक भुगतान की यह प्रक्रिया अनिवार्य नहीं थी। संशोधन बिल के कानून बनने पर भुगतान का यह तरीका अनिवार्य हो जाएगा। बिल में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार भी अपनी कंपनियों के लिए इस माडल को अपना सकती है। सोमवार को बिल पर चर्चा के दौरान एमएसएमई मंत्री जीतनराम मांझी ने बताया कि 2014-15 में एमएसएमई का बकाया 10 लाख करोड़ था जो 38 लाख करोड़ को पार कर गया है।

एमएसएमई विकास संशोधन बिल (2026) राज्यसभा से पारित, बिल के कानून बनने पर भुगतान का यह तरीका होगा अनिवार्य

डिजिटल रूप से करेंगे शिकायत, मामले को निपटाने में आएगी तेजी

संशोधित बिल के पारित होने पर एमएसएमई खरीदार के खिलाफ डिजिटल रूप में शिकायत कर सकेंगे और डिजिटल रूप से ही उनकी सुनवाई होगी। इससे मामले को निपटाने में तेजी आएगी। संशोधित कानून के अमल से डिजिटल पोर्टल स्थापित किए जाएंगे। अगर एमएसएमई के मामले के निपटान में छह माह से अधिक का समय लगता है तो कोर्ट बिना फैसले के एमएसएमई को बकाए राशि के 50 प्रतिशत का भुगतान करने के लिए कह सकती है। भुगतान में देरी का निपटान अब डिजिटल रूप से मध्यस्थता के माध्यम से भी हो सकेगा।

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

सरकार एलआइसी में हिस्सेदारी बेचकर 31 हजार करोड़ जुटाएगी

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार मंगलवार से शुरू होने वाले दो दिन के आफर फार सेल (ओएफएस) के जरिये एलआइसी में 6.5% हिस्सेदारी 382 रुपये प्रति शेयर के फ्लोर प्राइस पर बेचेगी। यह इश्यू गैर खुदरा निवेशकों के लिए मंगलवार को और खुदरा निवेशकों के लिए बुधवार को खुलेगा। अगर यह पूरी तरह सब्सक्राइब हो जाता है तो सरकार को विनिवेश से लगभग 31,000 करोड़ रुपये मिलेंगे।

यह फ्लोर प्राइस बीएसई पर सोमवार को एलआइसी शेयरों की बंद कीमत 424.35 रुपये से 10% कम है। अभी सरकार के पास एलआइसी में 96.5% हिस्सेदारी है। इससे पहले, मई 2022 में आइपीओ के जरिये 902-949 रुपये प्रति शेयर के प्राइस बैंड पर 3.5% हिस्सेदारी बेची थी, जिससे उसे लगभग 21,000 करोड़ रुपये मिले थे।

राष्ट्रीय फलक

ई-20 पेट्रोल के विरोध में गडकरी के घर के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन

नागपुर, प्रेट्र : नागपुर में सोमवार को यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एथनाल मिले पेट्रोल (ई-20 फ्यूल) के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर का घेराव करने के लिए मार्च करने की कोशिश की।

यह मार्च महल इलाके के चिटनवीस पार्क स्क्वायर से शुरू होकर उसी इलाके में मौजूद गडकरी के निजी घर तक निकाला गया, जिसमें यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ई-20 फ्यूल के व्यावहारिक न होने को लेकर नारे लगाए। केंद्रीय मंत्री के घर के पास भारी पुलिस बल तैनात था और रास्ते में बैरिकेड्स लगाए गए थे, हालांकि प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ने के लिए उन पर चढ़ने की कोशिश की।

आज पीएम आवास तक मार्च करेंगे केजरीवाल : वहीं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ई-20 पेट्रोल के विरोध में प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकालने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वह दोपहर 12 बजे पार्टी मुख्यालय से करीब 100 लोगों के साथ पीएम के नाम हस्ताक्षरित आनलाइन याचिका लेकर रवाना होंगे।

नागपुर में सोमवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर के बाहर ई20 पेट्रोल के विरोध में प्रदर्शन करते हुए महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ गए। एएनआइ

एनएसई में क्लोजिंग आक्शन सेशन के दौरान 1,276 करोड़ का टर्नओवर

नई दिल्ली, प्रेट्र : सोमवार को क्लोजिंग आक्शन सेशन (सीएएस) के दौरान एनएसई का टर्नओवर 1,276.2 करोड़ रुपये रहा, जबकि बीएसई पर टर्नओवर 10.8 करोड़ रुपये था। इक्विटी कैश सेगमेंट में क्लोजिंग आक्शन सेशन सोमवार को शुरू हुआ। यह बदलाव कैश सेगमेंट में शुरू किए जा रहे नए सीएएस के रोलआउट के तहत किया गया। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि डेरिवेटिव्स मार्केट के कामकाज को कैश सेगमेंट में शुरू किए गए नए क्लोजिंग आक्शन मैकेनिज्म के साथ संरेखित किया जा सके। एनएसई पर सीएएस टर्नओवर के मामले में आइसीआइसीआइ बैंक सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाला स्टाक रहा। इसके बाद एचडीएफसी, रिलायंस इंडस्ट्री का नंबर रहा। क्लोजिंग आक्शन सेशन के दौरान टर्नओवर के मामले में शीर्ष 10 में बजाज फाइनेंस, इटरनल, टीसीएस, सीजी पावर और एक्सिस बैंक जैसे अन्य स्टॉक भी शामिल थे।

मौद्रिक सीमा बढ़ाने से विवादित टैक्स मांग में 16,690 करोड़ रुपये की कमी आई

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने सोमवार को संसद में बताया कि इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (आइटीएटी), हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में टैक्स विवाद से जुड़ी अपील दायर करने के लिए मौद्रिक सीमा बढ़ाने से विवादित टैक्स मांग में लगभग 16,690 करोड़ रुपये की कमी आई है। लोकसभा में एक लिखित जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मौद्रिक सीमा बढ़ने के बाद आइएटीए से लगभग 443 मामले वापस लिए गए और 11,390 अपीलें दायर नहीं की गईं। आइएटीए में विवादित टैक्स मांग में 3,662.82 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित कमी आई है। इसी तरह, हाईकोर्ट से 4,791 मामले वापस लिए गए और 5,565 अपीलें दायर नहीं की गईं। विवादित डिमांड में कमी का अनुमान 9,218.71 करोड़ रुपये था। सुप्रीम कोर्ट से 744 मामले वापस लिए गए और 534 मामलों में अपील दायर नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप विवादित टैक्स डिमांड में अनुमानित 3,807.15 करोड़ रुपये की कमी आई।

यूपीएस में किसी तरह के बदलाव का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं : वित्त मंत्री सीतारमण ने यह भी बताया कि एनपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित मासिक भुगतान प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) में कोई बदलाव करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सीतारमण ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि 19 जुलाई, 2026 तक यूपीएस का विकल्प चुनने वाले नए कर्मचारियों, मौजूदा कर्मचारियों और पिछले सेवानिवृत्त लोगों सहित कर्मचारियों की कुल संख्या 1,18,195 है। यूपीएस भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पेंशन योजना है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत एक विकल्प के रूप में 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी है। उन्होंने कहा, "एनपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूपीएस को एनपीएस के तहत एक विकल्प के रूप में पेश किया गया है।

- आइएटीए में विवादित टैक्स मांग में 3,662.82 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित कमी आई, हाईकोर्ट से 4,791 मामले वापस लिए गए

नई दिल्ली में संसद के मानसून सत्र के दौरान सोमवार को लोकसभा में बोलतीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। प्रेट्र

सुप्रीम कोर्ट ने फार्मेसी काउंसिल के कामकाज पर चिंता जताई

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया (पीसीआइ) के कामकाज पर सोमवार को गंभीर चिंता जताई और ऐसे कालेजों को हर साल मंजूरी देने के तर्क पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा रेगुलेटरी सिस्टम से छात्रों के लिए अनिश्चितता पैदा हो रही है।

चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जायमाल्य बागची और वी. मोहना की पीठ ने पूछा कि केंद्र के प्रस्तावित सुधारों के बावजूद एक पुराना सिस्टम क्यों चल रहा है। पीठ फार्मेसी कालेजों से जुड़ी पीसीआइ की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

जस्टिस बागची ने इस बात पर सवाल उठाया कि जब संस्थानों के पास जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, तो भी उन्हें हर साल मंजूरी क्यों दी जाती है। उन्होंने कहा, "कभी-कभी मशीनें और उपकरण भी बेहतर क्वालिटी के होते हैं। आप बीफार्मा, एम फार्मा या कालेज द्वारा आफर किए जा रहे किसी भी दूसरे डिप्लोमा के लिए ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि बीफार्मा कोर्स के लिए एक साल का लाइसेंस होगा और फिर दूसरे साल के लिए फिर से लाइसेंस लेना होगा।"

केंद्र सरकार की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने माना कि मौजूदा सिस्टम से छात्रों के लिए अनिश्चितता पैदा हो रही है।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की पीठ से कहा, कालेज के नजरिए से, छात्र के लिए स्थिति बिल्कुल अनिश्चित हो जाती है। अनिश्चितता अच्छी बात नहीं है। लेकिन मुझे उनसे बात करने दीजिए और फिर मैं आपको बताता हूं। मैं बात समझ गया हूं।

- कालेजों को हर साल मंजूरी देने के तर्क पर सवाल उठाए
- कहा, रेगुलेटरी अनिश्चितता से छात्रों को नुकसान होता है

ब्रिक्स देशों के मंत्री और अधिकारी जयपुर एवं उदयपुर में जुटेंगे

जागरण संवाददता, जयपुर : राजस्थान के जयपुर और उदयपुर में भारत की अध्यक्षता में छह और सात अगस्त को ब्रिक्स सम्मेलन एवं बैठक होगी। इसमें ब्रिक्स देशों के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रियों की बैठक होगी। फिर 12 एवं 13 अगस्त को जयपुर में ही ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों, केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों और 21 और 22 अगस्त को पर्यटन मंत्रियों की बैठक होगी। साथ ही आठ, 26 और 27 अगस्त को उदयपुर मे प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण का सम्मेलन होगा।

सम्मेलन में भारत सहित 11 देशों के वरिष्ठ अधिकारी, राजनयिक एवं प्रतिनिधि शामिल होंगे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्रियों की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं पर्यटन मंत्रियों की बैठक में पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल होंगे।

हाईवे पर आमने-सामने भिड़ीं दो कारें, दो विदेशी फुटबाल कोच समेत आठ घायल

घायल फुटबाल कोच चार्ली। जागरण

फुटबाल कोच ब्रायन। जागरण

जागरण संवाददाता, रामपुर

दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर सोमवार सुबह दो कारों में आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में दो विदेशी फुटबाल कोच समेत आठ सवार घायल हो गए। विदेशी नागरिकों में चार्ली पामराय इंग्लैंड और ब्रायन लेगेसी न्यूयार्क सिटी (अमेरिका) के हैं। चार्ली हल्द्वानी में सहायक एफसी फाउंडेशन एनजीओ के जरिये बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं। ब्रायन भी फुटबाल कोच हैं और करीब तीन सप्ताह पहले दोस्त चार्ली से मिलने आए थे। दोनों दिल्ली जा रहे थे, इसी दौरान हादसा हुआ। दुर्घटनाग्रस्त इनोवा गाड़ी में भारत सरकार लिखा था, हालांकि इसमें कोई सेवारत अधिकारी या कर्मचारी नहीं मिला। भारत सरकार क्यों लिखा था, इसका भी पुलिस पता लगा रही है।

सावन के पहले सोमवार को हाईवे का एक तरफ का रास्ता कांवड़ियों के लिए आरक्षित था। जबकि, दूसरे रास्ते पर एक-एक लेन आने-जाने वाले वाहनों के लिए आरक्षित थी। सुबह नौ बजे दोनों विदेशी कोच हल्द्वानी से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकले। गाड़ी में हल्द्वानी के एनजीओ संचालक श्रेष्ठ पांडेय और शौर्य जोशी भी मौजूद थे।

मध्य प्रदेश चावल घोटाले में एफसीआइ कर्मी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट

मध्य प्रदेश में एथनाल उत्पादन के नाम पर हुए करोड़ों के फोर्टिफाइड चावल घोटाले की आंच अब भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) तक पहुंच गई है। एसआइटी ने एफसीआइ बालाघाट में पदस्थ सहायक ग्रेड-एक सुरेंद्र सूर्यवंशी को गिरफ्तार किया है। उन्हें सोमवार को वारासिवनी न्यायालय में पेश किया गया, जहां से पांच अगस्त तक की पुलिस रिमांड मिली है।

सूत्रों के अनुसार, सुरेंद्र सूर्यवंशी राइस मिल संचालकों और छिंदवाड़ा के एवीजे एग्रिको ग्रुप के एथनाल प्लांट के बीच चावल की हेराफेरी में मध्यस्थता कर रहा था। मिल संचालकों और प्लांट के बीच पैसों के लेनदेन का जिम्मा भी सुरेंद्र संभाल रहा था। सुरेंद्र एफसीआइ गोदाम से जारी होने वाले चावल की जानकारी राइस मिल संचालकों को देता था। जांच में सुरेंद्र और गर्रा (वारासिवनी) स्थित विराज राइस मिल के बीच साठगांठ के पक्के सुबूत एसआइटी के हाथ लगे हैं। बता दें कि विराज राइस मिल का संचालक सुरेंद्र राणा है, जिसे एसआइटी ने 18 जुलाई को गिरफ्तार किया था। एसआइटी अब एफसीआइ कर्मचारी सुरेंद्र सूर्यवंशी की अन्य राइस मिल संचालकों से मिलीभगत की जांच कर रही है।

चावल घोटाले में गिरफ्तार विनोद शर्मा, अविनाश कावरे, गोपाल ठाकुर, राजेश संचेती, कुंजबिहारी पटले को सोमवार को पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद वारासिवनी न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने सभी आरोपितों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। बता दें कि इस मामले में अब आरोपितों की संख्या 16 हो गई है।

- मिल संचालकों और प्लांट प्रबंधन के बीच करता था मध्यस्थता, मामले में आरोपितों की संख्या 16 हुई

चिंतन

उपचुनाव में हार भाजपा के लिए आत्ममंथन का समय

उपचुनाव के नतीजे भले ही तीन विधानसभा सीटों तक सीमित हों, लेकिन इनके राजनीतिक संकेत इससे कहीं बड़े हैं। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की तीन सीटों में से भाजपा को दो पर हार का सामना करना पड़ा है। गुजरात के मंजलपुर में पार्टी की जीत जरूर राहत देने वाली है, लेकिन बिहार की बांकीपुर और मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर मिली हार पर भाजपा को आत्ममंथन की जरूरत है। बिहार की बांकीपुर सीट भाजपा के लिए लंबे समय से मजबूत गढ़ रही है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन यहां से लगातार पांच बार विधायक रहे। उनके राज्यसभा जाने के बाद हुए उपचुनाव में पार्टी को पूरी उम्मीद थी कि उसका यह किला सुरक्षित रहेगा। खुद नवीन का यह कहना कि बांकीपुर से किसी को भी खड़ा कर दिया जाए, जीत तय है, पार्टी के आत्मविश्वास को दिखाता था, लेकिन जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इस किले में सेंध लगा दी। इससे भी बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रहीं। यानी मुकाबले ने परंपरागत भाजपा बनाम आरजेडी समीकरण से बाहर निकलकर एक नया राजनीतिक संदेश दिया है। सवाल केवल बांकीपुर हारने का नहीं है। सवाल यह है कि क्या भाजपा अपने पुराने संगठनात्मक प्रभाव और पारंपरिक वोट बैंक के भरोसे जरूरत से ज्यादा आश्वस्त हो गई थी? बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार लंबे समय तक प्रशासनिक अनुभव और राज्य के बारीक समीकरणों को साधने वाले नेता रहे हैं। अब सत्ता के समीकरण बदलने के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने अपनी राजनीतिक पकड़ और प्रशासनिक स्वीकार्यता साबित करने की चुनौती है। बांकीपुर का परिणाम इस चुनौती की ओर संकेत करता है। वहीं, मध्य प्रदेश की दतिया सीट का परिणाम तो भाजपा के लिए और भी असहज करने वाला है। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में थे और टिकट के दावेदार भी थे। इसके बावजूद पार्टी ने उन्हें मैदान में नहीं उतारा और आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया। नतीजा यह रहा कि कांग्रेस ने सीट जीत ली। यहां एक और सवाल मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व से जुड़ता है। शिवराज सिंह चौहान के लंबे कार्यकाल में भाजपा ने जिस तरह संगठन, सरकार और जनता के बीच संवाद का तंत्र विकसित किया था, उसे बनाए रखना अब मोहन यादव सरकार की बड़ी चुनौती है। नेतृत्व बदलने के बाद जनता का मूड और संगठन की जमीन समझना आसान नहीं होता। उपचुनाव अक्सर इसी परीक्षा का पहला परिणाम देते हैं। इन नतीजों के बीच जेन जी आंदोलन के संभावित प्रभाव को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नई पीढ़ी के मतदाताओं के मुद्दे, बेरोजगारी, अवसर, शासन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे सवाल अब चुनावी विमर्श को तेजी से प्रभावित कर रहे हैं। भाजपा को यह समझना होगा कि युवा मतदाता केवल पुराने राजनीतिक समीकरणों के आधार पर वोट नहीं करता। चुनाव में संगठन जितना महत्वपूर्ण है, सही उम्मीदवार उतना ही निर्णायक होता है। दतिया में टिकट चयन पर उठे सवाल भाजपा को यह सोचने पर मजबूर करेंगे कि जमीनी लोकप्रियता और संगठन की पसंद के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। उपचुनाव सत्ता बदलने का जनादेश नहीं होते, लेकिन वे जनता के बदलते मिजाज की घंटी जरूर बजाते हैं। भाजपा के लिए संदेश साफ है गढ़ हमेशा के लिए गढ़ नहीं रहते, संगठन हमेशा चुनाव नहीं जिताता और पुराना समीकरण हमेशा काम नहीं करता।

जेन-जी आंदोलन की दशा और दिशा

विचार
डॉ. संजय शुक्ला

युवा ही किसी देश और समाज के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक बदलाव के ध्वज वाहक होते हैं। इन दिनों देश में जेन- जी यानि वह पीढ़ी जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है वह चर्चा के केंद्र में है। डिजिटल मीडिया के संग पली-बढ़ी इस पीढ़ी की रफ्तार काफी तेज है लेकिन इस दौड़ में उनका काफी कुछ पीछे छूट रहा है। दो मिनट में फटाफट 'मैगी' वाली इस पीढ़ी को किसी जानकारी के लिए किताब के पन्ने उलटने या दिमाग पर जोर लगाने की बजाय 'गूगल' करना सुकून पहुंचाता है। आज की पीढ़ी किसी उलझन से उबरने के लिए तरकीब सोचने की जगह तुरंत 'चैटबॉट' को अपनी समस्या सौंप देता है। इस इंस्टेंट पीढ़ी के लाइफ में रिलेशनशिप और ब्रेकअप भी फटाफट है।यह वह जेनरेशन है जो सड़कों पर लंबा संघर्ष की बजाय सोशल मीडिया पर रील्स और मीम्स के जरिए अपनी आवाज को सत्ता प्रतिष्ठान तक पहुंचाने का माद्दा रखता है। सत्ता से सवाल पूछने का जेन - जी की अपनी भाषा और अपना नजरिया है जिसने आंदोलनों के स्वरूप को बदल कर रख दिया है।

गौरतलब है कि डिजिटल मीडिया पर कुछ दिनों पहले बनी कॉकरोच जनता पार्टी 'सीजेपी' के अगुवाई में दिल्ली में हाल में नीट पेपर लीक मामले को लेकर हुए हालिया प्रोटेस्ट को लेकर राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में बहस- मुबाहिसों का दौर जारी है। जेन- जी के इस आंदोलन में मीम्स और कार्टून की रफ्तार इतनी तेज थी कि इसने तमाम मर्यादाओं को रौंद डाला। प्रोटेस्ट में शामिल अनेक गर्ल्स प्रोटेस्टर्स ने प्रधानमंत्री और शिक्षामंत्री के खिलाफ अत्यंत अश्लील और अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल किया जिसे सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रोटेस्ट में धार्मिक और जातिगत नारे भी लगे जिसके चलते विवाद की स्थितियां बनी। कुछ प्रदर्शनकारियों ने भारत में बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात पैदा करने की चेतावनी दी जो अराजकता का परिचायक था। कुछेक प्रोटेस्टर्स को देश के टुकड़े - टुकड़े करने की दंभोक्ति करते हुए भी देखा गया। बेशक चंद युवाओं के इस बदजुबानी के लिए कुछ लोग जिम्मेदार हैं जो देश के जेन जी को लगातार नेपाल और बांग्लादेश की तरह सड़कों पर उतरने के लिए उकसाते रहे हैं। इधर सोशल मीडिया पर कुछ यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, पत्रकार, लेखक - लेखिका और एक्टिविस्ट इन बदजुबान प्रोटेस्टर्स की भाषा और हरकतों को 'जस्टिफाई' करने में जुटे हैं लेकिन यह हर लिहाज से अस्वीकार्य है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता से असहमति और आंदोलन लोगों का मौलिक अधिकार है लेकिन प्रतिरोध की भाषा कभी भी अभद्र और हिंसात्मक नहीं हो सकती।

बहरहाल 'सीजेपी' का एक महीने से ज्यादा चला यह आंदोलन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खत्म हो चुका है लेकिन इस प्रोटेस्ट ने जहां सत्ता की जड़ता को खत्म किया है वहीं सरकार को नयी पीढ़ी के साथ संवाद के लिए भी मजबूर किया है। दरअसल यह आंदोलन सिर्फ पेपर लीक को ही लेकर नहीं था बल्कि युवाओं के उन सवालों को लेकर भी था जिस पर सरकार और विपक्ष लगातार आंखें मूंदे हुए थी। जंतर-मंतर पर हुए इस प्रोटेस्ट के बाद सोशल मीडिया में यह भी बहस छिड़ी कि जिस आंदोलन को विपक्षी दलों को बहुत पहले करना था उसे सोशल मीडिया पर कुछ हफ्ते पहले पैदा हुई एक व्यंग्यात्मक पार्टी ने कर दिखाया। यह एक ऐसा आंदोलन था जिससे लोग स्व-स्फूर्त जुड़ते गए और सफलता के मुकाम तक पहुंच गया। बेशक यह सदियों पुरानी बनी राजनीतिक पार्टियों के लिए चिंतन का विषय है। हालिया परिदृश्य को देखें तो इसमें दोराय नहीं है कि आम छात्र और युवा दाखिला परीक्षाओं से लेकर नौकरी के लिए ली जाने वाली भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधलियों से बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं। विडंबना है कि बीते सात सालों के दौरान 15 राज्यों में 70 से अधिक परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं फलस्वरूप 41 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा है। पर्चे फूटने की घटनाओं में नौकरी भर्ती परीक्षाओं के साथ ही बोर्ड परीक्षाएं भी शामिल हैं जिसका असर 1.7 करोड़ अभ्यर्थियों पर पड़ा।

अलबत्ता छात्रों और युवाओं के गुस्से का ही नतीजा था कि केंद्र सरकार ने चालू संसद सत्र में लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024 में आवश्यक संशोधन करते हुए जहां लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024 में आवश्यक संशोधन करते हुए पेपर लीक मामलों की त्वरित और समयबद्ध सुनवाई के फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला लिया है वहीं इसमें दोषियों को अधिकतम 10 साल की सजा और 10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने के तीन महीने के भीतर फैसला होना अनिवार्य किया गया है। राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद यह कानून लागू हो गया है। इसके अलावा सरकार ने शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में छह सदस्यीय उच्च स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी का गठन किया है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को फूल प्रूफ बनाने के साथ ही परीक्षाओं को पारदर्शी व तकनीक आधारित बनाने की है।

विचारणीय है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में कोई भी आंदोलन गैर राजनीतिक नहीं हो सकता। बात हालिया 'सीजेपी' के प्रोटेस्ट की करें तो पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने गैर राजनीतिक बताया था लेकिन बाद में आंदोलन की दिशा राजनीतिक हो गई। सत्ता प्रतिष्ठान ने शुरुआत में इस प्रदर्शन को काफी हल्के में लिया लेकिन पर्यावरणविद् और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल और पुलिस द्वारा उन्हें जबरिया अस्पताल में भर्ती करने के बाद यह आंदोलन देश के हर हिस्से में पहुंच गया। 'सीजेपी' के 20 जुलाई को दिल्ली में छात्रों और युवाओं के 'चलो संसद मार्च ' के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिसिया लाठी चार्ज और अश्रुगैस छोड़ने की घटना ने आग में घी का काम किया।

बहरहाल यह आंदोलन इक्कीसवीं सदी में हुए 2011और 2012 में हुए अन्ना आंदोलन और निर्भया आंदोलन के लिहाज से अलग तेवर लिए हुए था। भारत में सोशल मीडिया ने राजनीति और आंदोलन के क्षेत्र में पहली बार दस्तक 2009 के आम चुनाव के आसपास दी लेकिन 2011 और 2012 में हुए अन्ना और निर्भया आंदोलन में इसने अपना असर दिखाना शुरू किया। इन दोनों आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने में मुख्य भूमिका छात्रों और युवाओं की रही तथा उन्होंने सोशल मीडिया का सफल प्रयोग आंदोलनों में किया। युवाओं ने फेसबुक और ट्विटर के जरिए अन्ना के अनशन और निर्भया के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के आक्रोश और पीड़ा को देश और दुनिया तक पहुंचाया। युवाओं के नवाचार का ही प्रभाव था कि लोगों ने पहली बार सरकारी नीतियों और राजनेताओं की सार्वजनिक आलोचना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर की जिसने एक मजबूत राजनीतिक नरेटिव तैयार किया। सोशल मीडिया से बने इस नरेटिव का ही असर था कि साल 2014 के आम चुनाव में यूपीए को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। देश ने इसी तरह का आंदोलन 1974 में सुप्रसिद्ध सर्वोदय नेता जयप्रकाश नारायण 'जेपी' के अगुवाई में हुए छात्रों और युवाओं के आंदोलन के दौर में भी देखा था।

आंकड़ों के मुताबिक अगले आम चुनाव में 18 से 32 वर्ष की पीढ़ी की भागीदारी 25 फीसदी होगी यानी हर चौथा वोटर जेन-जी होगा। राजनीतिक पंडितों की मानें तो अगला चुनाव अब धर्म, जाति और लैंगिक तुष्टिकरण के आधार पर नहीं बल्कि शिक्षा, रोजगार, भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता और सरकार के प्रदर्शन और जवाबदेही पर निर्भर करेगी। नयी पीढ़ी के वोटर्स को अब पारंपरिक रैलियों और लच्छेदार भाषणों से लुभाया नहीं जा सकता बल्कि अब सोशल मीडिया, शार्ट वीडियो, पॉडकास्ट, इन्फ्लुएंसर्स नेटवर्क के जरिए संवाद करना होगा। सियासत में डिजिटल क्रांति के चलते ही अब तमाम राजनीतिक दलों ने सोशल मीडिया में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'इंस्टाग्राम' के जरिए युवाओं से संवाद कर रहे हैं वहीं राजनीतिक दल भी युवाओं के लिए डिजिटल टीम, सोशल मीडिया कंटेंट और पॉडकास्ट इन्फ्लुएंसर्स बनाने में जुट गए हैं। सियासी दलों को इन तरकीबों के अलावा जेन - जी को राजनीति में भी हिस्सेदारी देनी होगी क्योंकि अब उन्हें केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

(ये लेखक के अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

आर्थिकी

ऋषभ मिश्रा

भविष्य की मुद्रा व्यवस्था और भारत का पॉलीमर प्रयोग

भारत की अर्थव्यवस्था आज एक ऐसे संक्रमण काल से गुजर रही है, जहां एक ओर डिजिटल भुगतान क्रांति अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर नकदी का महत्व भी कम नहीं हुआ है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने भुगतान प्रणाली को सरल, त्वरित और सर्वसुलभ बनाया है, लेकिन इसके बावजूद देश में नकदी की मांग लगातार बढ़ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2026 तक प्रचलन में मुद्रा का मूल्य लगभग 41.23 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12 प्रतिशत अधिक है। मुद्रा-से-जीडीपी अनुपात भी बढ़कर 12.1 प्रतिशत हो गया है। यह तथ्य स्पष्ट संकेत देता है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार के बावजूद नकदी भारतीय आर्थिक व्यवस्था की एक मजबूत आवश्यकता बनी हुई है। ऐसे समय में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पॉलीमर अथवा प्लास्टिक नोटों को अपनाने की दिशा में बढ़ाया गया कदम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल) ने ओपेसिफाइड पॉलीमर सब्सट्रेट शीटों की आपूर्ति के लिए वैश्विक निविदाएं आमंत्रित की हैं। यह केवल एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं, बल्कि भारतीय मुद्रा व्यवस्था में संभावित ऐतिहासिक परिवर्तन का संकेत है। यदि यह योजना सफल होती है तो आने वाले वर्षों में भारतीय मुद्रा की संरचना, सुरक्षा और टिकाऊपन में व्यापक बदलाव देखने को मिल सकता है। वस्तुतः भारत में नकदी का उपयोग केवल भुगतान का माध्यम नहीं है, बल्कि आर्थिक विश्वास और सामाजिक व्यवहार का हिस्सा भी है। ग्रामीण क्षेत्रों, छोटे व्यापारियों, कृषि क्षेत्र तथा असंगठित अर्थव्यवस्था में आज भी नकदी प्रमुख भूमिका निभाती है। देश की विशाल आबादी का एक बड़ा वर्ग अभी भी नकद लेन-देन को अधिक सहज और विश्वसनीय मानता है। नकदी की बढ़ती मांग के साथ नोटों की छपाई और रख-रखाव पर होने वाला व्यय भी लगातार बढ़ता रहा है। हर वर्ष बड़ी संख्या में नोट फटने, गंदे होने, नमी से खराब होने तथा अत्यधिक उपयोग के कारण अनुपयोगी हो जाते हैं। इन नोटों को बदलने के लिए नए नोट छापने पड़ते हैं, जिससे सरकार और आरबीआई पर भारी वित्तीय बोझ पड़ता है। भारत जैसे विशाल देश में जहां अरबों नोट प्रचलन में हैं, वहां मुद्रा की टिकाऊपन बढ़ाना आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। इसी संदर्भ में पॉलीमर नोट एक प्रभावी विकल्प के रूप में सामने आए हैं। गौरतलब है कि पॉलीमर नोट विशेष प्रकार के प्लास्टिक आधारित पदार्थ से निर्मित किए जाते हैं। सामान्य कागजी नोट जहां कपास आधारित विशेष कागज से बनाए जाते हैं, वहीं पॉलीमर नोट अत्यधिक मजबूत और लचीले प्लास्टिक सब्सट्रेट पर मुद्रित होते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता इनकी दीर्घायु है। विशेषज्ञों के अनुसार पॉलीमर नोटों की आयु पारंपरिक कागजी नोटों की तुलना में दो से चार गुना अधिक होती है। ये पानी, नमी, धूल, तेल, पसीने तथा बार-बार मोड़े जाने से अपेक्षाकृत कम प्रभावित होते हैं। भारत की जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए यह विशेषता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। देश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी, आर्द्रता, मानसून और धूल जैसी परिस्थितियां सामान्य हैं। ऐसे वातावरण में कागजी नोट अपेक्षाकृत जल्दी खराब हो जाते हैं। पॉलीमर नोट इस समस्या का दीर्घकालिक समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके साथ ही पॉलीमर नोटों का दूसरा महत्वपूर्ण लाभ सुरक्षा से जुड़ा है। नकली मुद्रा भारत की आर्थिक सुरक्षा के लिए लंबे समय से एक चुनौती रही है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025-26 के दौरान बैंकिंग प्रणाली में लगभग 2.3 लाख नकली नोटों की पहचान की गई थी। यद्यपि यह संख्या कुल प्रचलित नोटों की तुलना में बहुत कम है, फिर भी इसका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पॉलीमर नोटों में ऐसे कई उन्नत सुरक्षा फीचर जोड़े जा सकते हैं जिनकी नकल करना अत्यंत कठिन होता है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों के अनुभव बताते हैं कि पॉलीमर नोटों के प्रचलन से नकली मुद्रा के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है। यदि आरबीआई और सरकार चरणबद्ध तरीके से इस योजना को लागू करते हैं, तो भारत भी उन अग्रणी देशों की श्रेणी में शामिल हो सकता है जिन्होंने अपनी मुद्रा प्रणाली को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप सफलतापूर्वक रूपांतरित किया है। निस्संदेह, प्लास्टिक नोट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए केवल एक नया प्रयोग नहीं, बल्कि वित्तीय आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध हो सकते हैं

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को मिला है देवता का दर्जा

संकलित
दर्शन

प्रदूषण की विनाशलीला को देखते हुए भारतीय ऋषियों ने कदम-कदम पर मानव को सजग किया है। चूंकि मनुष्य पंचमहाभूतों का समन्वय रूप है इसलिए सबसे पहले आध्यात्मिक महापुरुषों ने इसे जन्म से लेकर मृत्यु तक के अलग-अलग संस्कारों के साथ जोड़ दिया, ताकि मां के गर्भ में आने से लेकर सौ वर्ष तक वह अदैन्य भाव में जी सके। सबसे पहले भारतीय ऋषियों ने वसुधैव कुटुंबकम की जो परिकल्पना की, उसमें नख से लेकर शिख तक पूरा शरीर एक वसुधा (धरती) के समान है। शरीर के किसी भी हिस्से में तकलीफ है तो यह शरीर रूपी विश्व को प्रभावित करेगी। इसके अलावा मनुष्य के जीने के जितने भी स्नेत हैं, वे सभी कुटुंब के सदस्यों की तरह हैं। जिसे 'क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा' से समझा जा सकता है। शरीर का आंतरिक हिस्सा चूंकि अधम है इसलिए वाह्य प्रकृति से उत्तमोत्तम पदार्थ ग्रहण कर उसके स्वरूप को और अधिक विकृत होने से बचाया जाना नितांत जरूरी है। इसीलिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सबको देवता का दर्जा दिया गया। द्वापर युग के महानायक भगवान श्रीकृष्ण का पूरा जीवन ही प्रदूषण के खिलाफ संघर्ष और जन जागरण का है। उम्र की परवाह न कर वह यमुना के प्रदूषित तत्व कालिया नाग का वध, प्रदूषित अग्नि लगाने वाले प्रलंबासुर का वध, अंतरिक्ष को शुद्ध करने के लिए व्योमासुर का वध, धरती की शुद्धता के लिए गो पालन करते हैं। त्रेता युग में रावण ने भी खर और दूषण नामक पर्यावरण-शत्रु तैनात किया था।

जगत में सबसे सुंदर कौन

संकलित
प्रेरणा

एक कौआ सोचने लगा कि पंछियों में मैं सबसे ज्यादा कुरूप हूं। न तो मेरी आवाज ही अच्छी है, न ही मेरे पंख सुंदर हैं। मैं काला-कलूटा हूँ। ऐसा सोचने से उसके अंदर हीन भावना भरने लगी और वह दुःखी रहने लगा। एक दिन एक बगुले ने उसे उदास देखा तो उसकी उदासी का कारण पूछा। कौवे ने कहाः तुम कितने सुंदर हो, गोरे-चिट्टे हो, मैं तो बिल्कुल स्याह वर्ण का हूँ। मेरा तो जीना ही बेकार है। बगुला बोला- दोस्त मैं कहां सुंदर हूं। मैं जब तोते को देखता हूं, तो यही सोचता हूं कि मेरे पास हरे पंख और लाल चोंच क्यों नहीं है। अब कौए में सुन्दरता को जानने की उत्सुकता बढ़ी। वह तोते के पास गया। बोला- तुम इतने सुन्दर हो, तुम तो बहुत खुश होते होगे? तोता बोला- खुश तो था लेकिन जब मैंने मोर को देखा, तब से बहुत दुःखी हूं, क्योंकि वह बहुत सुन्दर होता है। कौआ मोर को ढूंढने लगा, लेकिन जंगल में कहीं मोर नहीं मिला। जंगल के पक्षियों ने बताया कि सारे मोर चिड़ियाघर वाले पकड़ कर ले गए हैं। कौआ चिड़ियाघर गया, वहां एक पिंजरे में बंद मोर से जब उसकी सुंदरता की बात की, तो मोर रोने लगा। मोर बोला- शुक्र मनाओ कि तुम सुंदर नहीं हो, तभी आजादी से घूम रहे हो वरना मेरी तरह किसी पिंजरे में बंद होते। दूसरों से तुलना करके दुःखी होना बुद्धिमानी नहीं, असली सुन्दरता हमारे अच्छे कार्यों से आती है।

अंतर्मन

आज की पाती

साइबर सुरक्षा के लिए जनचेतना जरूरी

आज हमारे देश में साइबर फ्रॉड के मामले बहुत बढ़ गए हैं। इसके लिए जागरूकता अभियान बहुत जरूरी है। साइबर सुरक्षा के लिए इन बातों पर ध्यान रखना जरूरी है। एसएमएस या व्हाट्सएप पर आए किसी भी अनजान लिंक को न खोलें। किसी को भी ओटीपी या अपने इंटरनेट बैंकिंग की डिटेल न दें। केवाईसी के नाम पर भी साइबर फ्रॉड हो सकता है। इसके लिए बैंक से संपर्क करें। आजकल तो ई-चालान, बिजली बिल भरने के नाम पर धोखाधड़ी के मैसेज आ रहे हैं, इनसे भी सावधान रहें। अपने नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के पासवर्ड और पिन बदलते रहें। हालांकि सरकार ने साइबर धोखाधड़ी से बचने के अनेक उपाय किए हैं, लेकिन समूह समाज को भी सचेत रहना होगा।

- प्रशांत शुक्ला, भिलाई

नशामुक्त यूथ, नशामुक्त विकसित भारत

युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं। यदि युवा स्वस्थ, जागरूक और नशामुक्त होंगे, तभी भारत एक सशक्त, समृद्ध और विकसित राष्ट्र बन सकेगा।' आज भारत विश्व का सबसे युवा देशों में से एक है। करोड़ों युवा अपने सपनों को साकार करने के लिए शिक्षा, रोजगार, खेल, विज्ञान और उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर नशे की बढ़ती प्रवृत्ति समाज और राष्ट्र के सामने एक गंभीर चुनौती बनती जा रही है। नशा केवल एक व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि उसके परिवार, समाज और पूरे देश को प्रभावित करता है। सिगरेट, तंबाकू, शराब, गुटखा, ई-सिगरेट तथा अन्य नशीले पदार्थ धीरे-धीरे शरीर को कमजोर करते हैं, मानसिक क्षमता को कम करते हैं और व्यक्ति के आत्मविश्वास तथा निर्णय लेने की शक्ति को प्रभावित करते हैं। 'हमारे पास संगी मितान नशा मुक्ति केंद्र' में ऐसे गंभीर नशे से पीड़ित बच्चे युवा आतें हैं कि नशे की लत उनकी पढ़ाई छूटने, बेरोजगारी, आर्थिक संकट, अपराध और पारिवारिक विघटन का कारण भी बन जाती है। इस प्रक्रिया में प्रभावित मरीजों के नजरों में जो उसे नशा छोड़ने की बात करते है वहीं उनके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं।

कॉलेज और युवा अवस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इसी समय भविष्य की नींव रखी जाती है। दुर्भाग्य से कुछ युवा फैशन, जिज्ञासा, तनाव या दोस्तों के दबाव में नशे की शुरुआत कर देते हैं। यह एक छोटी-सी गलती जीवनभर का पछतावा बन सकती है। इसलिए हर युवा को यह समझना होगा कि नशा आधुनिकता नहीं, बल्कि आत्मविनाश की शुरुआत है। अपने परिजनों एवं अन्य माननीय जो आपके शुभचिंतक हैं उनकी बातों पर शांति से सोच समझकर अपनी गलतियों पर तत्काल रोक लगायें अन्यथा वर्तमान आपका भविष्य बर्बाद कर देगा। नशामुक्त जीवन का अर्थ केवल नशे से दूर रहना नहीं है, बल्कि सकारात्मक सोच, अनुशासन, स्वस्थ जीवनशैली और जिम्मेदार नागरिक बनना भी है। नियमित व्यायाम, खेल, योग, ध्यान, पुस्तक पढ़ना, सामाजिक सेवा, परिवार के साथ समय बिताना और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना युवाओं को सही दिशा देता है। नशामुक्त भारत का सपना केवल सरकार या किसी एक संस्था का नहीं, बल्कि पूरे समाज का दायित्व है। परिवार, विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षक, सामाजिक संगठन और स्वयं युवा-सभी को मिलकर जागरूक होकर सामाजिक विकास और सुधार की प्रक्रिया में निरंतर शामिल रहकर जीवन का मूलमंत्र बनाए "दूसरों को भी इस जहर की जद से बचाएँ'

-ममता शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता एवं अध्यक्ष संगी मितान सेवा संस्थान नशा मुक्ति केंद्र

करंट अफेयर

आंग सान सू ची से रेड क्रॉस के प्रतिनिधि ने मुलाकात की

म्यांमा की पूर्व नेता आंग सान सू ची से अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति (आईसीआरसी) के प्रतिनिधि ने सोमवार को राजधानी में मुलाकात की। सैन्य समर्थित सरकार ने यह जानकारी दी। वर्ष 2021 में सेना द्वारा सत्ता अपने हाथ में लिये जाने के बाद से सू ची 'नजरबंद' हैं, ऐसे में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता के लिए बाहरी दुनिया से संपर्क का यह एक दुर्लभ अवसर रहा। घोषणा के साथ जारी दो तस्वीरों में सू ची म्यांमा में आईसीआरसी के प्रतिनिधि अरनॉड डी बैक से हाथ मिलाती तथा लकड़ी की आंतरिक सज्जा वाले कक्ष में उनके साथ बातचीत करती दिखाई दे रही हैं। तस्वीरें जारी करने वाले राष्ट्रपति प्रेस एवं सूचना ब्यूरो ने बताया कि यह बैठक सोमवार सुबह हुई। हालांकि, ब्यूरो ने बैठक के स्थान और बातचीत के विषय में कोई जानकारी नहीं दी। जारी की गई दो अन्य तस्वीरों में सू ची केक काटती नजर आ रही हैं। केक पर 'हेपी बर्थ डे आंटी सू, 19-6-2026' लिखा है। इससे संकेत मिलता है कि ये तस्वीरें जून में उनके 81वें जन्मदिन के अवसर पर ली गई होंगी। तस्वीरों में सू ची सहज और मुस्कुराती दिखाई दे रही हैं। वे किसी प्रकार से अस्वस्थ भी नहीं लग रही हैं। हालांकि, केवल तस्वीरों के आधार पर उनकी वास्तविक शारीरिक स्थिति का स्वतंत्र रूप से आकलन नहीं किया जा सकता।

ऑफ बीट

बच्चों को जेब खर्च देने का नफा-नुकसान

जब मैं छोटा था, तब मेरे साथ के कई बच्चे जेब खर्च निकालने के लिए पड़ोसियों के शिशुओं की देखभाल करने, उनके बगीचे में घास काटने, कुत्तों को टहलाने या गाड़ियां धोने जैसे काम किया करते थे। मगर आज बच्चों के लिए भुगतान ऐप, खर्च पर नजर रखने वाले साधनों और ऐसी अन्य सुविधाओं की उपलब्धता के चलते तस्वीर काफी बदल गई है। इसके बावजूद बच्चों को जेब खर्च दिए जाने के मामले में आज भी कुछ ऐसे पुराने सवाल शामिल हैं, जिनमें मुझ जैसे व्यवहारिक अर्थशास्त्रियों को दिलचस्पी है। क्या बच्चों को पैसे कमाने के वास्ते मेहनत करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, जैसे कि पड़ोसियों के घर का कोई काम? या फिर घर के कामों में मदद के बदले भी उन्हें पैसे दिए जाने चाहिए? अगर हम बच्चों को उनके घरेलू कामों के बदले पैसे देते हैं, तो क्या इससे उनमें बिना किसी स्वार्थ के मदद करने के बजाय पैसे को ज्यादा अहमियत देने की आदत विकसित होने का खतरा है। यह धारणा नयी नहीं है कि किसी काम के लिए पैसे देने से व्यक्ति में उस काम को करने की अंदरूनी (स्वतंत्र और स्वाभाविक) प्रेरणा कम या खत्म हो सकती है। इस बात के मिले-जुले प्रमाण हैं कि क्या पैसे देने से व्यक्ति की अंदरूनी प्रेरणा कम हो जाती है।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

उपचुनाव का संदेश

देश में महज तीन विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए, पर इनकी चर्चा देशव्यापी रही है। विशेष रूप से बिहार में बांकीपुर सीट और मध्य प्रदेश में दतिया सीट की चर्चा स्वाभाविक है। गुजरात में स्थित तीसरी सीट मंजलपुर भी महत्वपूर्ण थी। अपनी इन तीन सीटों में से केवल एक मंजलपुर को ही भाजपा बचा पाई है। मंजलपुर सीट से भाजपा नेता और पूर्व मंत्री योगेश पटेल विधायक हुआ करते थे। उनके निधन के बाद यहां उपचुनाव हुए हैं और भाजपा को फिर बड़ी जीत हासिल हुई है। इससे पता चलता है कि गुजरात अभी भी भाजपा का गढ़ है और यहां उसे हराना आसान नहीं है। हालांकि, ताजा मतदान के आंकड़े बताते हैं, मंजलपुर में भाजपा पहले जैसी मजबूत नहीं है। यहां जीत-हार का अंतर बहुत घट गया है। अतः भाजपा के कर्णधारों को गंभीरता से विचार करना होगा। क्या कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बाद भाजपा की आभा घट रही है? दतिया में जहां कांग्रेस विजयी हुई है, वहीं बांकीपुर में जन सुराज के हाथ में जीत आई है। जैसे बांकीपुर भाजपा का गढ़ रहा है, ठीक वैसे ही दतिया में भी भाजपा मजबूत रही थी, लेकिन वक्त बदले, तो समीकरण बदलने में वक्त नहीं लगता है।

भाजपा अपने प्रदर्शन पर अवश्य विचार करेगी। जिन दो सीटों पर भाजपा जीत नहीं पाई है, वहां भाजपा के बीच भी खींचतान की स्थिति देखी गई है। दतिया में भाजपा के नेता एवं पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा चुनावी टिकट के प्रत्याशी थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें निराश कर दिया। क्या भाजपा में जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास का समावेश होने लगा है? क्या वह अब जमीनी तथ्यों और तर्कों को समझ नहीं पा रही है? अपने मुखर बयानों की वजह से नरोत्तम मिश्रा अक्सर समाचारों में नजर आए थे, ये बयान शायद भाजपा के मतदाताओं को अच्छे नहीं लगे थे। नरोत्तम मिश्रा पिछला आम चुनाव क्यों हार गए थे, इसकी भी समीक्षा ढंग से नहीं हुई है। इस बार जब चुनावी टिकट नहीं मिला, तब नरोत्तम मिश्रा अपने रोष को छिपा नहीं सके। शायद इससे भी दतिया में भाजपा को नुकसान हुआ है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के लिए भी ये उपचुनाव खास मायने रखते हैं। बिहार की बांकीपुर सीट से नितिन नवीन ही जीतते रहे हैं और अब अगर यहां उनकी पार्टी को हार हासिल हुई है, तो नए राजनीतिक आरोपों का तेज होना तय है। बिहार की राजनीति और नेतृत्व के लिए भी चुनौतियां बढ़ेंगी।

क्या भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा आत्मविश्वास का समावेश होने लगा है? क्या वह अब जमीनी तथ्यों और तर्कों को पहले की तरह समझ नहीं पा रही है?

विशेष रूप से चुनाव मैदान में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की मजबूत दस्तक सबका ध्यान खींच रही थी और आगे भी उन पर सबकी निगाह रहेगी। देश में जब भी कोई नेता, कुछ अलग तरह से विश्वास जगाता है, तब उससे लोगों की उम्मीदें बंध जाती हैं। बिहार के बांकीपुर से चुनाव लड़ने वाले प्रशांत किशोर का मामला भी ऐसा ही है। बीते आम विधानसभा चुनाव में प्रशांत खुद मैदान में नहीं उतरे थे, यह शायद उनकी एक भूल थी, इससे उनकी पार्टी कमजोर हुई। अब वह बिहार विधानसभा में जन सुराज पार्टी के अकेले विधायक होंगे और यहां से वह चाहें, तो अपनी सकारात्मक राजनीति की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले उन्हें अपने बांकीपुर को चमकाना होगा, ताकि पूरे प्रदेश में एक प्रेरक संदेश जाए। बिहार के शहरों, कस्बों को सुधारने, सुविधा-संपन्न बनाने के लिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। प्रशांत किशोर के लिए अपनी कथनी को करनी में बदलने का समय आ गया है। वह एक ऐसे समर्पित बिहारी नेता हैं, जिनके काम देखने की इच्छा केवल बिहारियों ही नहीं, समस्त देशवासियों में होगी।

हिन्दुस्तान | Hindustan | **75 साल पहले** 04 अगस्त, 2026

पाकिस्तानी वितण्डावाद

जब बहस की खातिर बहस की जाती है तो उसे वितण्डावाद कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच हाल में जो तार-व्यवहार हुआ है और जिसके समाप्त होने के अभी आसार नजर नहीं आते, क्या उससे दोनों देशों के बीच उत्पन्न तनाव कम होने की आशा की जा सकती है? हमें भय है कि उसका कोई ऐसा वांछनीय परिणाम नहीं निकल सकता।

पाकिस्तान के नेता अपने को दुनिया की निगाह में शान्ति के देवदूत और भारत को आक्रमणकारी सिद्ध करना चाहते हैं। उन्होंने इस तार-व्यवहार को भी अपने प्रचार का वाहन बना लिया है। वह अपनी गाये जायेंगे, किन्तु प्रतिपक्षी के दृष्टिकोण को समझने का रत्ती भर भी प्रयत्न नहीं करेंगे। जब स्थिति ऐसी है तो हमारे प्रधानमंत्री को भी लियाकत अली के तारों का प्रत्युत्तर देने में समय और शक्ति क्यों व्यर्थ खर्च करनी चाहिए? उनके ताजा तार का संक्षिप्त उत्तर देकर उन्हें इस व्यर्थ के वितण्डावाद को समाप्त कर देना चाहिए। श्री लियाकत अली नेहरूजी का बिना शर्त दिल्ली आने का निमंत्रण स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। वह चाहते हैं कि नेहरूजी कराची आयें, किन्तु कराची आने से पहले उन भारतीय फौजों को हटा लें, जिन्हें सीमा पर नियुक्त किया गया है। जब तक पाकिस्तान साफ तौर पर यह घोषित नहीं कर देता कि वह किसी भी अवस्था में भारत के साथ अपने मतभेदों को मिटाने के लिए युद्ध का आश्रय नहीं लेगा, तब तक भारत अपनी सीमाओं को अरक्षित दशा में क्योंकर छोड़ सकता है?

भारत ऐसी घोषणा करने को तैयार है कि वह युद्ध के मार्ग का अवलंबन नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान ऐसी घोषणा करने में आनाकानी करता है तो उसका एक ही अर्थ लगाया जा सकता है कि उसकी नीयत साफ नहीं है और यह कोई भी अनुकूल अवसर देखकर भारतीय प्रदेश पर आक्रमण कर सकता है। भारत इस खतरे को उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देख सकता। उसे स्थिति का मुकाबला करने के लिए प्रस्तुत रहना होगा। किसी भी राष्ट्र के लिए अपनी सीमाओं की रक्षा की चिन्ता करना स्वाभाविक है। जब भारत के प्रधानमंत्री असंदिग्ध शब्दों में बार-बार यह घोषित कर रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान पर आक्रमण करने का कतई कोई इरादा नहीं है, तब भी अगर पाकिस्तान को यकीन नहीं है तो इसका कोई इलाज नहीं किया जा सकता।

कावेरी जल के लिए फिर तेज तनातनी

दक्षिण एक्सप्रेस
यहां स्कैन करें

एस श्रीनिवासन | वरिष्ठ पत्रकार

दोनों राज्यों में भरोसे की कमी है। कर्नाटक बेंगलुरु को पेयजल उपलब्ध कराने को लेकर चिंतित है, तो तमिलनाडु अपनी खेती-किसानी के लिए पर्याप्त पानी चाहता है।

इस साल मानसून के कमजोर रहने से तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमाओं पर फिर से तलवारें खिंच गई हैं। दोनों राज्य कावेरी जल बंटवारे को लेकर फिर आमने-सामने हैं। यह पानी खेती, पेयजल और मवेशियों के लिए बहुत जरूरी है। यह विवाद सदियों पुराना है और कावेरी के जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्र (कैचमेंट एरिया) में पानी की कमी होने पर अक्सर उभर आता है। इस बार मेकेदातु बांध के निर्माण ने आग में घी का काम किया है। मौजूदा विवाद की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा संसद में दिए गए सवालों के जवाब से हुई।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने 26 जुलाई को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि कर्नाटक को कावेरी नदी पर मेकेदातु में बांध बनाने के लिए किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। इससे तमिलनाडु में हंगामा मच गया। राज्य सरकार ने केंद्र को बताया कि कर्नाटक कोई भी एकतरफा कदम नहीं उठा सकता। इसके बाद, संसद में दो अन्य सवालों के जवाब में सरकार ने तमिलनाडु और वहां के किसानों को भरोसा दिलाया कि उनसे भी सलाह-मशविरा किया जाएगा। इस बीच, वन मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा कि उसने इस परियोजना को मंजूरी नहीं दी है, क्योंकि बांध बनने से जंगल का एक बड़ा हिस्सा डूब जाएगा।

इसी दौरान, कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्लूआरसी) ने कावेरी समझौते के तहत कर्नाटक को निर्देश दिया कि वह 29 जुलाई से 15 दिनों तक बिलिगुंड्लु में रोजाना 3,500 क्यूसेक पानी छोड़े। बिलिगुंड्लु तमिलनाडु के कृष्णगिरि जिले में दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित अंतरराज्यीय जलमापन केंद्र है। कर्नाटक ने इस फैसले के खिलाफ अपील करते हुए कहा कि कावेरी जलाशयों के कैचमेंट एरिया में केवल 54 प्रतिशत पानी है। इस साल सामान्य से 45 प्रतिशत कम बारिश हुई है। तमिलनाडु में 'कुरुवई' या कम समय में तैयार होने वाली धान की फसल सूख गई, जिससे किसान काफी परेशान हैं। जब विवाद काफी बढ़ गया, तब कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने इस टकराव के असर को कम करने की कोशिश की। दोनों को पद संभाले हुए अभी आठ हफ्ते भी नहीं हुए हैं। इस संकट ने दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान की भी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि पार्टी कर्नाटक और केरल में सत्ता में है और तमिलनाडु में टीवीके के साथ सत्ता में हिस्सेदार है। एक अनोखी पहल के तहत, विजय ने बेंगलुरु में शिवकुमार से बातचीत करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन शिवकुमार ने 'हालात प्रतिकूल' बताकर विजय से यह प्रस्तावित बैठक रद्द करवा दी।

तमिलनाडु में खेती की परंपरा बहुत विकसित रही हैं, इसलिए वहां कर्नाटक की तुलना में खेती का रकबा (इलाका) बहुत बड़ा है। इतिहासकारों के अनुसार, तमिलनाडु के डेल्टा इलाके में चोल काल, यानी दूसरी सदी से ही जमीन की सिंचाई शुरू हो गई थी (2000 साल से पहले से), जबकि कर्नाटक में सिंचाई की शुरुआत सिर्फ 300 साल पहले हुई। 1924 में मैसूर और मद्रास रियासतों के बीच एक समझौता हुआ था। इसमें तय हुआ था कि कर्नाटक (ऊपरी बहाव वाला राज्य) को अपनी जमीन पर बांध बनाने से पहले तमिलनाडु (निचले बहाव वाला राज्य) से मंजूरी लेनी होगी। 1950 के दशक तक इस समझौते का पालन किया गया, लेकिन उसके बाद कर्नाटक के जोशीले मुख्यमंत्री देवराज अर्स के आने से हालात बदल गए। उन्होंने सभी आपत्तियों को दरकिनार कर दिया। केंद्र की सलाह को भी नहीं माना और बांध बनाना शुरू कर दिया। तमिलनाडु ने इसके खिलाफ अपील की और लंबे कानूनी विवाद के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने 16 फरवरी 2018 को अपना फैसला सुनाया। इसमें कर्नाटक को 234.25 टीएमसी फीट, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को 404.25 टीएमसी फीट (प्रत्येक को) और केरल को 30 टीएमसी फीट पानी आवंटित किया गया, जिसे नियामक संस्था लागू करती है। मानसून के विफल रहने पर जल-बंटवारे का भी प्रावधान है।

कावेरीः ए लॉन्ग विंडेड डिस्प्यूट के लेखक टी रामकृष्णन का मानना है कि कर्नाटक अपने तईं मेकेदातु बांध नहीं बना सकता, क्योंकि कावेरी ट्रिब्यूनल की धारा 11 और 13 कहती है कि ऊपरी और निचले बहाव वाले राज्यों के बीच 'आपसी सहमति' होनी चाहिए। एक और व्याख्या यह है कि राज्यों के बीच पानी के बंटवारे की शर्तों को पूरा किए बिना कर्नाटक कोई नई परियोजना शुरू नहीं कर सकता। पूरा विवाद पानी की उपलब्धता को लेकर है। कावेरी बेसिन में जल की जरूरत वहां उपलब्ध जल से कई गुना ज्यादा है। इसलिए, समझौतों का पालन करना बहुत जरूरी है। सामान्य मानसून वाले साल में कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि राज्यों के बीच बांटने के लिए काफी पानी होता है। संकट तभी आता है, जब मानसून कमजोर होता है।

ऊपरी राज्य कर्नाटक को इस बात की शिकायत है कि भले ही पानी उसके इलाके से निकलता है, लेकिन वह इसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाता। जानकारों के मुताबिक, यह शिकायत 1924 के उस समझौते से जुड़ी है, जिसमें मैसूर के राजा ने बांध बनाने के लिए तमिलनाडु से मंजूरी लेने पर सहमति जताई थी। दूसरी ओर, तमिलनाडु की चिंता यह है कि कर्नाटक अपनी जिम्मेदारियों को पूरा न करके पानी के बहाव को रोक सकता है या कम कर सकता है, जिससे बड़े पैमाने पर उसकी खेती प्रभावित होगी। कर्नाटक का कहना है कि मेकेदातु में बांध बनाने का मकसद बेंगलुरु के लिए पीने का पानी सुरक्षित करना है। यह बांध शहर से 100 किलोमीटर दूर है। तमिलनाडु को चिंता है कि यह उसकी खेती के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि यह उसकी सीमा से सिर्फ पांच किलोमीटर दूर है और इसे नदी के निचले हिस्से में बनाने का प्रस्ताव है, जिससे पानी का बहाव और कम हो जाएगा।

दोनों राज्यों के बीच निश्चित रूप से भरोसे की कमी है। कर्नाटक को बेंगलुरु के लिए पेयजल उपलब्ध कराने की चिंता है और वह अपनी सिंचाई वाली जमीन का दायरा बढ़ाने की भी इच्छा रखता है। नीचे की तरफ स्थित होने के कारण तमिलनाडु की अपनी चिंता है। उसे शक है कि कर्नाटक अलग-अलग समझौतों के तहत अपनी जिम्मेदारियों को शायद पूरा न करे। अच्छी खबर यह है कि विवाद के बीच पिछले दो दिनों में कावेरी कैचमेंट एरिया में बारिश हुई, जिसके चलते कर्नाटक ने रविवार को 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ा। अगर अगले आठ से दस दिनों तक इसी तरह बारिश होती रही, तो यह समस्या तब तक के लिए खत्म हो सकती है, जब तक कि अगला मानसून फिर कमजोर न पड़ जाए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

क्या ईरान पर काम करेगी नई अमेरिकी रणनीति

यहां स्कैन करें

हर्ष वी पंत | प्रोफेसर, किंग्स कॉलेज लंदन

ईरान के खिलाफ सैन्य हमलों को रोकने का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फैसला किसी बड़े क्रांतिकारी बदलाव का संकेत नहीं है। अलबत्ता, यह इस संकट के एक ही चक्र में घूमते रहने का संकेत जरूर दे रहा है। संघर्ष खत्म करने के लिए समझौते को जल्द पूरा करने की शर्त रखकर वाशिंगटन ने एक बार फिर 'दबाव डालकर बातचीत' वाली नीति ही अपनाई है।

राष्ट्रपति ट्रंप की मानें, तो समझौते के मुख्य बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है, इसलिए अगर कूटनीति से ही अमेरिकी हित सध सकते हैं, तो सैन्य कार्रवाई की जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि किसी भी समझौते के लिए होर्मुज जलमार्ग को तुरंत खोलना और ईरान को अपनी परमाणु मंशा पूरी तरह से छोड़नी होगी। उन्होंने जोर देकर यह भी कहा है कि अगर बातचीत नाकाम रहती है, तो अमेरिकी सेना पूरी ताकत से मैदान में उतरेगी। यह संकट प्रबंधन के मौजूदा अमेरिकी निजाम के तौर-तरीकों (कूटनीति जारी रखते हुए सैन्य दबाव) को उजागर करता है।

ट्रंप प्रशासन के बयानों से अलग हटकर देखें, तो लगता है कि यह फैसला कई रणनीतिक तथ्यों को ध्यान में रखकर लिया गया है। खबरों के अनुसार, सऊदी अरब जैसे क्षेत्रीय सहयोगी देशों ने संयम बरतने की अपील की है, क्योंकि उन्हें डर है कि तनाव बढ़ने से खाड़ी में ऊर्जा ढांचे को नया खतरा हो सकता है और पूरे क्षेत्र को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। कतर, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्किये जैसे देशों ने भी कूटनीतिक बातचीत को ही उचित रास्ता बताया है। इससे पता चलता है कि यह पूरा खित्ता सैन्य टकराव के बजाय तनाव कम करने को प्राथमिकता दे रहा है। हालांकि, सैन्य कार्रवाइयों की सीमाएं भी उजागर हुई हैं। खबरों के मुताबिक, इस संघर्ष के कारण अमेरिकी मिसाइल भंडार पर काफी दबाव पड़ा है। ईरान के जवाबी हमले से अमेरिकी सेना, सहयोगी देशों और अन्य कारोबारी जहाजों को बचाने की चुनौती ने भी अमेरिकी खजाने को चोट पहुंचाई है।

अमेरिका और ईरान के बीच जब तक बुनियादी सवालों के जवाब नहीं तलाशे जाते, युद्ध विराम का कोई फैसला अंतिम नहीं माना जाएगा।

उधर, ईरान ने वाशिंगटन के इस बयान को खारिज कर दिया है कि सैन्य कार्रवाई रोकने की मांग तेहरान की तरफ से की गई थी, बल्कि उसने अपनी सेना को पूरी तरह तैयार रखा है। उसने यह भी चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमला हुआ, तो वह बराबरी का जवाब देगा और खाड़ी क्षेत्र के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर भी हमले हो सकते हैं। जाहिर है, कूटनीतिक वार्ता के बावजूद दोनों पक्षों ने सैन्य मुकाबले के विकल्प को नहीं छोड़ा है।

देखा जाए, तो संभावित समझौते की रूपरेखा ठीक से तय नहीं है। पुरानी सहमति में होर्मुज जलमार्ग को फिर से खोलने के साथ-साथ युद्ध-विराम, परमाणु मसले पर भरोसा बढ़ाने वाले कदम उठाने, व्यापक अंतरराष्ट्रीय जांच-पड़ताल और चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधों में ढील जैसी शर्तें शामिल की गई थीं। उस पर दोनों पक्ष खरे नहीं उतरे। इस दौर की बातचीत की कोई रूपरेखा सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन यह बताता है कि मौजूदा विराम राजनीतिक रूप से अहम, मगर कूटनीतिक नजरिये से अधूरा है। हालांकि, सच यह भी है कि यदि बातचीत सफल रही, तो क्षेत्रीय तनाव कम होगा, जबकि इसके नाकाम रहने पर भू-राजनीतिक अस्थिरता और वैश्विक उथल-पुथल, दोनों बढ़ जाएंगे। इजरायल और हमास के बीच युद्ध-विराम और बंधकों-कैदियों की अदला-बदली की नई कोशिशों ने भी इलाके की स्थिति को पेचीदा बना दिया है। हालांकि, गाजा का संघर्ष अमेरिका-ईरान टकराव से बिल्कुल अलग मसला है, लेकिन ईरान द्वारा तथाकथित 'प्रतिरोध की धुरी' को समर्थन दिए जाने से ये दोनों मामले एक-दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। अगर हमास और इजरायल में समझौते पर सहमति बनती है, तो इलाके में तुरंत तनाव कम हो सकता है, अन्यथा कई मोर्चों पर हिंसा के फिर से भड़कने का खतरा पैदा हो सकता है।

साफ है, अमेरिका और ईरान के बीच जब तक बुनियादी सवालों के जवाब नहीं तलाशे जाते, तब तक तनाव में समय-समय पर आने वाली कमी सिर्फ रणनीतिक मानी जाएगी, कोई परिवर्तनकारी नतीजा नहीं। इसलिए, अभी जो ठहराव है, उसे रणनीतिक समाधान नहीं समझना चाहिए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

गंभीर बनने की जरूरत

उथले होने का मतलब क्या है? मूलतः इसका तात्पर्य है, दूसरे पर निर्भर होना। किसी उत्तेजना, किसी चुनौती पर अवलंबित होना; मानसिक रूप से किन्हीं मूल्यों, किन्हीं अनुभवों, किन्हीं स्मृतियों पर निर्भर होना। क्या यही सब उथलेपन के पीछे नहीं है? जब उत्साहित होने, सहारा पाने, अपनी ईमानदारी का भाव बरकरार रखने या खोए हुए एहसास को वापस लाने के वास्ते मेरे लिए कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने जरूरी हो जाते हैं, तो क्या ये मुझे उथला नहीं बना देते?

परावलंबन की सारी प्रक्रिया स्वयं से पलायन की एक विधि है; अपने से बड़े तत्व से इस प्रकार का तादात्म्य, जो मैं हूं, उसका निषेध है। जो मैं हूं, उसका निषेध मैं नहीं कर सकता; जो भी मैं हूं, मुझे उसे समझना होगा, यह नहीं कि मैं ब्रह्मांड, ईश्वर, किसी विशेष राजनीतिक दल या अमुक से अपना तादात्म्य करने की कोशिशों में लगा रहूं। इस सबसे एक छिछली विचार-क्रिया ही उपजती है और वह ऐसी गतिविधि का कारण बनती है, जो सदा ही खुराफाती होती है। वह खुराफात वैश्विक स्तर पर हो या व्यक्तिगत स्तर पर। तो, पहली बात यह है कि क्या हमें एहसास है कि हम यह सब कर रहे हैं? नहीं है; हम तो इसे सही ठहराते रहते हैं। हम कहते हैं, 'यदि यह सब न करूं, तो करूं क्या? मेरा मन तो विक्षिप्त हो जाएगा। इस समय कम से कम मैं किसी बेहतर अवस्था के लिए जूझ तो रहा हूं।'

जितना अधिक हम संघर्ष करते हैं, उतने ही अधिक उथले होते जाते हैं। हमें पहले इसी को समझना है। यही सबसे कठिन बातों में से एक है, यह देखना कि मैं क्या हूं; यह स्वीकार करना कि मैं मूर्ख हूं, छिछला हूं, संकुचित विचार वाला हूं, ईर्ष्यालु हूं। यदि मैं देख लूं कि मैं क्या हूं, यदि मुझे इसका एहसास हो जाए, तो वहां से आरंभ कर सकता हूं। निस्संदेह छिछला मन वह मन है, जो 'जो है' से पलायन करता है; और पलायन न करने के लिए गहरी जांच-पड़ताल, जड़ता के निषेध की दरकार होती है।

जिस क्षण मैं यह जान लेता हूं कि मैं उथला हूं, उसी पल गहनता की एक प्रक्रिया आरंभ हो चुकी होती है। जब मन कहता है, 'मैं क्षुद्र हूं, और मैं गहराई से इसकी

परावलंबन की सारी प्रक्रिया स्वयं से पलायन की एक विधि है; अपने से बड़े तत्व से इस प्रकार का तादात्म्य, जो मैं हूं, उसका निषेध है। इस सबसे एक छिछली विचार-क्रिया उपजती है।

छानबीन करने वाला हूं, मैं इस सारी क्षुद्रता, संकुचित बना देने वाले इस प्रभाव को समझने वाला हूं, तब रूपांतरण की संभावना होती है; किंतु एक क्षुद्र मन, जो मानता हो कि वह क्षुद्र है और अध्ययन द्वारा, लोगों से मिलकर, यात्रा करके या किसी बंदर की तरह निरंतर क्रियाशील रहकर अपनी क्षुद्रता को दूर करने की कोशिश करता रहता है, ऐसा मन अब भी क्षुद्र मन ही होता है। वास्तविक क्रांति तभी संभव है, जब हम इस समस्या का समाधान करेंगे।

जे कृष्णमूर्ति

अनुलोम-विलोम

जर्सी विवाद

हॉकी टीम की जर्सी का रंग बदलना गलत

भारतीय हॉकी टीम की जर्सी के रंग में बदलाव को लेकर विवाद गलत नहीं। यह केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि टीम की पहचान और खेल परंपरा से जुड़ी गंभीर चिंताओं का संकेत है। जर्सी के रंग बदलने का विरोध वाजिब है और इसके पीछे कई मजबूत तर्क हैं। सबसे पहला तर्क यह है कि टीमों की जर्सी केवल कपड़ा नहीं होती, बल्कि वह एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक होती है। भारतीय हॉकी का गौरवशाली इतिहास, जिसमें अनेक ओलंपिक स्वर्ण पदक भी शामिल हैं, लंबे समय से एक खास रंग और पहचान से जुड़ा रहा है। ऐसे में, अचानक बदलाव से उस ऐतिहासिक निरंतरता को नुकसान पहुंच सकता है।

दूसरा, राष्ट्रीय टीम की जर्सी में ऐसे रंगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, जो देश की व्यापक पहचान और परंपरा को दर्शाए। यदि नया रंग किसी राजनीतिक, व्यावसायिक या वैचारिक प्रतीक से जुड़ा हुआ दिखाई देता है, तो इससे अनावश्यक विवाद पैदा होते हैं। राष्ट्रीय टीम को किसी भी प्रकार के राजनीतिक संकेतों से दूर रखना होता है, लेकिन हॉकी प्रबंधन ऐसा करने में विफल रहा, जिसका नतीजा हम एक विवाद के रूप में देख रहे हैं। तीसरा, खेल प्रेमियों और पूर्व खिलाड़ियों की भावनाएं भी महत्वपूर्ण हैं। कई बार लोग किसी टीम की पहचान को उसके रंग से जोड़कर देखते हैं। जैसे, ब्राजील की फुटबॉल टीम पीले रंग या न्यूजीलैंड की रग्बी टीम काले रंग के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार भारतीय हॉकी की भी पारंपरिक पहचान रही है।

चौथा कारण यह है कि खेलों में परंपरा का विशेष महत्व होता है। आधुनिकता के नाम पर हर चीज को बदल देना उचित नहीं माना जा सकता। यदि जर्सी के रंग में बदलाव का कोई स्पष्ट कारण नहीं है, तो केवल बाजार या प्रायोजकों की मांग के आधार पर ऐसा निर्णय लेना खेल की मूल भावना के विरुद्ध माना जाएगा।

पांचवां कारण यह है कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में राष्ट्रीय प्रतीकों से जुड़े फैसले अत्यंत सावधानी से लिए जाने चाहिए। यदि जर्सी का नया रंग समाज के किसी वर्ग को यह महसूस कराता है कि राष्ट्रीय टीम की पहचान को एक विशेष रंग या विचारधारा से जोड़ा जा रहा है, तो इससे अनावश्यक सामाजिक और राजनीतिक विवाद खड़े हो सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए, तो भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का रंग बदलने से पहले व्यापक चर्चा जरूरी थी और खेल प्रेमियों की भावनाओं का ख्याल रखना भी आवश्यक था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिस कारण विवाद पैदा हो गया है।

दीपक, टिप्पणीकार

इस बदलाव से आखिर क्यों हो ऐतराज

भारतीय हॉकी टीम की जर्सी के रंग को लेकर अनावश्यक और तर्कहीन विवाद खड़े किए जा रहे हैं। हॉकी इंडिया द्वारा पारंपरिक नीली जर्सी के स्थान पर केसरिया रंग की जर्सी को अपनाने के निर्णय पर खेल जगत, राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के बीच अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं और यह उनका अधिकार है। कुछ पूर्व खिलाड़ियों और राजनेताओं ने भी इस बदलाव पर व्यंग्य कसा है, जबकि हॉकी इंडिया और उसके समर्थकों का कहना है कि यह केवल खेल और प्रस्तुति से जुड़ा व तकनीकी दृष्टिकोण वाला निर्णय है, जिसका किसी राजनीतिक या धार्मिक विचारधारा से कोई संबंध नहीं है। विश्व के अनेक देशों की खेल टीमों ने समय-समय पर अपनी जर्सी के रंग और डिजाइन में परिवर्तन किए हैं। ऐसे में, भारतीय हॉकी टीम की जर्सी में बदलाव को भी उसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। वर्तमान समय में भारतीय हॉकी एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रही है। एशियाई खेल, हॉकी विश्व कप और भविष्य में ओलंपिक जैसे बड़े आयोजन सामने हैं। ऐसे में, खिलाड़ियों का मनोबल बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि जर्सी के रंग को लेकर अनावश्यक विवाद लंबे समय तक चलता है, तो उसका असर खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर दिखाई देगा, इसलिए यह आवश्यक है कि ध्यान खिलाड़ियों के प्रदर्शन, उनकी तैयारियों और भारत की संभावित उपलब्धियों पर केंद्रित रहे। हालांकि, एक तथ्य यह भी है कि भारतीय हॉकी टीम ने अलग-अलग समय में सफेद, पीले और अन्य रंगों की जर्सियों का उपयोग किया है, इसलिए यह कहना कि केवल एक ही रंग भारतीय हॉकी की स्थायी पहचान रहा है, पूरी तरह से सही नहीं होगा।

वीरेंद्र कुमार जाटव, टिप्पणीकार

भारतीय हॉकी टीम की जर्सी के रंग में बदलाव को कुछ लोग खास विचारधारा से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि यह सच नहीं है। यह बदलाव आधुनिक खेल जगत की आवश्यकता और ब्रांडिंग का हिस्सा है। समझना होगा कि अब खेलों में जर्सी केवल पहचान का माध्यम नहीं रह गई है, बल्कि यह टीम की ब्रांडिंग और वैश्विक छवि का भी महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। यही कारण है कि आज अंतरराष्ट्रीय खेल संस्थाएं और प्रायोजक टीमों की जर्सी को आकर्षक व आधुनिक बनाने पर जोर देते हैं। जर्सी के नए रंग से भारतीय हॉकी टीम की पहचान बढ़ेगी। केसरिया हमारी आन, बान और शान का प्रतीक है। इस रंग को टीम का हिस्सा बनाना गलत कैसे हुआ? राष्ट्रीय गौरव की भावना खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाएगी, इसीलिए रंग पर बेवजह का विवाद बंद होना चाहिए।

शोभित वत्स, टिप्पणीकार

सच्चे धर्म से ही मिलेगा संतोष

संसार में अनेक प्रकार के धर्म हैं। प्रत्येक धर्म में इस विविधता के अंदर इसके अपने अलग-अलग रूप हैं। इसमें ऐसे लोग भी हैं, जिनका धर्म के प्रति झुकाव पूर्णतः भावनात्मक है। वे धर्म के सिर्फ बाहरी रूप को ही जानते हैं, जबकि जरूरत धर्म के सही अर्थ को जानने की है, तब ही संतोष मिलेगा।

अध्यात्म
परमहंस योगानंद

अधिकांश लोगों के लिए धर्म एक पारिवारिक परंपरा या सामाजिक लाभ या नैतिक आदतों का विषय है। उनको धर्म के महत्व का कोई बोध नहीं है। जब मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि वह कौन से धर्म का अनुसरण करता है, तो उसने उत्तर दिया, 'विशेष रूप से कोई नहीं। मैं अपनी सुविधा के अनुसार संप्रदाय बदलता रहता हूं।'

जो ईश्वर को जीवन की परम आवश्यकता के रूप में नहीं खोज रहे, वे धर्म के अर्थ को नहीं समझते। सभी लोग धन के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? क्योंकि, वे इस विचार के आश्रित हो गए हैं कि सुखी जीवन की जरूरतों की पूर्ति के लिए धन अति आवश्यक है। उनको यह बताने की आवश्यकता नहीं है। बस, वे इसे जानते हैं। तब फिर अधिकतर लोग ईश्वर को जानने की आवश्यकता को क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि उनमें कल्पना शक्ति और विवेक की कमी होती है।

जीवन के रहस्यों की खोज

जीवन के आरंभ में मैंने देखा कि कुछ प्रश्नों के ईश्वर परक उत्तर और यहां तक कि धर्मशास्त्रों के उत्तर भी आत्मा को पूर्ण रूप से कदापि संतुष्ट नहीं कर पाते थे, जब तक कि उनकी सत्यता का बोध, ईश्वर संपर्क और उनकी अनुभूति द्वारा न हो जाए।

उदाहरण के लिए, जब मेरी मां का स्वर्गवास हुआ और अन्य प्रियजन मुझसे छीने जाने लगे, तो मैंने इसका आंतरिक रूप से विद्रोह किया, परंतु कोई भी इसका वह स्पष्टीकरण नहीं दे पाया, जो मुझे संतुष्ट करता। मैंने निश्चय कर लिया कि मुझे स्वयं अपने प्रयास द्वारा इसका उत्तर प्राप्त करना पड़ेगा। मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं इसे बिना समझे स्वीकार नहीं करूंगा। मैं इसका उत्तर उनसे ही प्राप्त करके रहूंगा, जो इस सृष्टि के रचयिता हैं। मैंने जीवन के उन रहस्यों को सीधे ईश्वर से प्राप्त किया, जिन्हें मैं धार्मिक शिक्षाओं से नहीं पा सका था।

धर्म के अलग-अलग रूप

यदि धर्म मुझे इस बात से संतुष्ट नहीं कर सकता कि क्यों कुछ लोग गरीब और कुछ लोग अमीर, कुछ नेत्रहीन और कुछ स्वस्थ पैदा होते हैं, तो यह किस प्रकार मुझे ईश्वर के न्याय में विश्वास दिलाएगा? हमारे मनीषियों ने ईश्वर से संपर्क प्राप्ति की आंतरिक अनुभूति के द्वारा जीवन के रहस्यों का उत्तर प्राप्त किया और हमें भी इसे प्राप्त करने का तरीका बताया।

संसार में अनेक प्रकार के धर्मोत्साही हैं और प्रत्येक धर्म में इस विविधता के अंदर अपने अलग-अलग रूप हैं। ऐसे लोग हैं, जिनका धर्म के प्रति झुकाव पूर्णतः भावनात्मक है। जब उनकी भावनाओं को ज्यादा छेड़ा जाता है, तो वह सच्चा धर्म आपकी आत्मा की मांगों को संतुष्ट करता है।

वहीं, मताग्रही धर्मावलंबी यह मानते हैं कि यदि आप किसी मार्ग विशेष में विश्वास नहीं करते, तो आप अभागे हैं। विज्ञान आपको अपने पक्ष को सिद्ध करके दिखाता है। यानी सच्चा धर्म आपकी आत्मा की मांगों को संतुष्ट करता है, केवल शब्दों के द्वारा नहीं अपितु प्रमाण से। मैंने इतना मताग्रही बनना कदापि नहीं चाहा कि मैं अपने विवेक और सामान्य बुद्धि का उपयोग करना बंद कर दूं।

बनावटी उदारता से बचें

जब मैं अपने गुरु से मिला तो उन्होंने कहा, 'कई शिक्षक तुम्हें विश्वास करने के लिए कहेंगे। उसके बाद वे तुम्हारे तर्क की आंखों को बंद करके तुमसे केवल अपने तर्क का अनुसरण करने के लिए कहेंगे, किंतु मैं चाहता हूं कि तुम अपने तर्क की आंखों को खुला रखो। इसके अतिरिक्त मैं तुम्हारी एक और आंख को खोल दूंगा, ज्ञान की आंख को।' मेरे गुरु ने मुझे ऐसी शिक्षा दी, जिसकी सत्यता का मैं स्वयं बोध कर सका।

मताग्रहियों की दूसरी पराकाष्ठा है- उदारतावाद। वह सभी का अनुसरण करता है। अपने आप को उदार मानते हुए वह कहता है, 'सभी आध्यात्मिक मार्ग अच्छे हैं, इसलिए मैं किसी एक मार्ग के साथ स्वयं को बांध कर नहीं रखूंगा।' सभी का आदर करते हुए, इधर से उधर उड़ती हुई धार्मिक तितली बनने की अपेक्षा एक ही मार्ग से जुड़े रहना उत्तम है। झूठी उदारता और अविवेकी मतग्राहिता दोनों से बचना चाहिए। केवल विवेक के साथ जुड़े रहें और आप ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे।

विश्वास करें, अंधविश्वास नहीं

ईश्वर के लिए किया गया प्रत्येक प्रयास उनकी जानकारी में रहता है। फिर भी, यदि कोई ईश्वर को पाने के लिए किसी प्रमाणित वैज्ञानिक मार्ग का अनुसरण नहीं करता, तो उसकी उन्नति की तुलना एक पुरानी बैलगाड़ी पर सवारी करने से की जा सकती है। सच्चे जिज्ञासु कुछ अनुभूति प्राप्त करेंगे, चाहे वे किसी भी मार्ग का अनुसरण करें, परंतु केवल अंधविश्वास और यंत्रवत प्रार्थना से ईश्वर तक पहुंचने में अनेक जन्म लग सकते हैं। जब तक आपको अपने मन एवं हृदय की अभिरुचि के अनुसार आध्यात्मिक पथ नहीं मिल जाता, उसे खोजें और उसके बाद उस पर दृढ़ हो जाएं।

ईश्वर संपर्क के बिना धर्म की प्राणशक्ति लुप्त रहती है। धार्मिक स्थल नृत्यों, चलचित्रों एवं प्रायः सामाजिक सभाओं के आयोजन करने की जगह नहीं है। ये सब लोगों को ईश्वर से विमुख कर देते हैं। व्यक्ति की सांसारिक मनोरंजन की वस्तुएं शहर में पर्याप्त मिल जाती हैं। धार्मिक स्थल में केवल एक ही उद्देश्य के लिए जाएं, ईश्वर के साथ मिलन के लिए। ईश्वर संपर्क धर्म की कसौटी है।

जब मैं अपने गुरु से मिला तो उन्होंने कहा, 'कई शिक्षक तुम्हें विश्वास करने के लिए कहेंगे। उसके बाद वे तुम्हारे तर्क की आंखों को बंद करके तुमसे केवल अपने तर्क का अनुसरण करने के लिए कहेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम अपने तर्क की आंखों को खुला रखो।

विचार

दुख से करें दो-दो हाथ

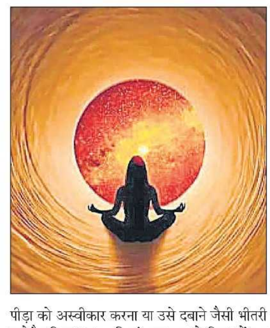

पीड़ा और दुख सार्वभौमिक मानवीय घटनाएं हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम इन्हें आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। मनुष्य ने पीड़ा से बचने के लिए अनेक तरीके खोज निकाले हैं। कभी-कभी हम बाहरी तरीके इस्तेमाल करते हैं, तो कभी भीतरी तरीके। इनमें मनोवैज्ञानिक सुरक्षा पद्धतियां भी हैं, जो अत्यधिक समस्याओं के कारण होने वाले भावनात्मक दुख और दर्द से हमें दूर रखते हैं।

कभी-कभी यह सुरक्षा पद्धतियां बहुत आदिम किस्म की होती हैं, जैसे कि यही न मानना कि हमें कोई समस्या है। अन्य मौकों पर, हम मोटे तौर पर मान लेते हैं कि हमें कुछ समस्या है, लेकिन उसके बारे में सोचने से बचने के लिए हम स्वयं को आकर्षण या मनोरंजन के असंख्य साधनों में डुबा लेते हैं, ताकि हमें समस्या का विचार ही न आए। या फिर हम यह स्वीकार ही नहीं करते कि हमें कोई समस्या है और हम अचेतन रूप से अपनी पीड़ा के लिए दूसरों को दोषी मान लेते हैं। 'हां, मैं दुखी हूं, परंतु मुझे समस्या नहीं है; समस्या किसी और को है। मेरा साथी मेरी उपेक्षा न करता, तो मैं ठीक रहता!'

कष्ट से सिर्फ अस्थायी तौर पर बचा जा सकता है, परंतु किसी ऐसी बीमारी की तरह जिसका इलाज न करवाया जाए (या ऊपरी तौर पर दवाओं से इलाज हो, जिससे उसके लक्षण तो दब जाएं, किंतु असली रोग का निवारण न हो पाए), तो वह बीमारी बढ़ती जाती है। दवाओं आदि से कुछ देर के लिए आराम मिल सकता है, लेकिन उनके लगातार प्रयोग से शरीर को होने वाले शारीरिक नुकसान तथा हमारे जीवन को होने वाले सामाजिक नुकसान के कारण उस असंतोष या भावनात्मक दर्द से कहीं अधिक पीड़ा हो सकती है, जिसके लिए हमने इन चीजों का शुरू में प्रयोग किया था। पीड़ा को अस्वीकार करना या उसे दबाने जैसी भीतरी मनोवैज्ञानिक रक्षा प्रणालियां कुछ समय के लिए हमें उस दर्द को सहन करने से बचा सकती हैं, किंतु इससे हमारा कष्ट दूर नहीं होता।

हमारे रोजमर्रा के जीवन में समस्याओं का पैदा होना स्वाभाविक है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं वे हैं, जिनका हमें सामना करना पड़ता है, जैसेः बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु। इन समस्याओं से बचने या उनके विषय में न सोचने से अस्थायी आराम तो मिल सकता है, लेकिन मेरे विचार से इसका एक और बेहतर तरीका है। अगर आप अपने कष्ट का खुलकर सामना करते हैं, तो आप अपनी समस्या को ज्यादा अच्छे ढंग से समझ सकते हैं।

-दलाई लामा

बोध कथा

आत्मज्ञान सारे सुखों का मूल

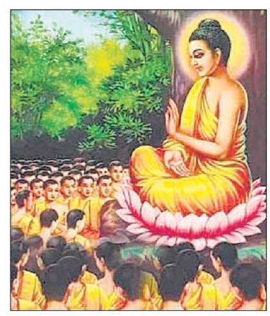

भगवान बुद्ध से एक भिक्षु ने पूछा कि मैं सुखी होना चाहता हूं, क्या करूं? बुद्ध ने कहा कि तुम अपने मन से भोगों को निकाल दो। भोगों का लगाव तुम्हें सुखी होने नहीं देगा। भोगों से मित्रता मत करो। उनकी मित्रता तुमको नरक की ओर ले जाएगी। संसार के भोग, चोर के समान हैं। ये चोर तुम्हारी आयु को धीरे-धीरे नष्ट करते रहेंगे।

अपने मन से स्वार्थ की भावना को बिल्कुल निकाल दो। ऐसा करने से तुम्हारे मन में सम्यक-ज्ञान उत्पन्न होगा। उस ज्ञान के सहारे तुम धीरे-धीरे वैराग्य को प्राप्त कर लोगे। वैराग्य सर्व सुखों का खजाना है।

एक भिक्षु ने पूछा कि मैं लोभ को मिटा नहीं पा रहा, भगवन! मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा कि तुम लोभ को एक सीमा में बांध दो। इस अंकुश से उसकी शक्ति कम हो जाएगी। अगर लोभ से सावधान नहीं होंगे, तो जीवन दुखों से भर जाएगा। लोभ एक प्रकार का फटा हुआ थैला है। उसको जितना भी भरोगे, वह भर नहीं पाएगा। लोभ एक प्रकार का नशा है। तुम कितना भी संग्रह करो, फिर भी तुम्हारा मन तृप्त नहीं हो सकता। लोभी मन की भूख कभी भी मिट नहीं सकती।

संग्रह करना छोड़ दो, क्योंकि साथ में कुछ भी नहीं जाता है। बांटना प्रारंभ कर दो। जितना-जितना बांटते जाओगे, उतनी-उतनी शांति तुम्हारे पास आती जाएगी।

एक भिक्षु ने पूछा कि आत्मा कैसी है? बुद्ध ने कहा कि आत्मा आनंद है। आत्मा प्रेम है। आत्मा शांति है। आत्मा पूर्ण है। आत्मा निराकार है। आत्मा सर्व व्यापक है। आत्मा तीनों कालों में नित्य है। आत्मा अजर-अमर है। आत्मा अद्वितीय है। आत्मा पुरातन है, अर्थात पुराने से भी पुराना होते हुए, नए से भी नया है। आत्मा स्त्री-पुरुष और पशु-पक्षी आदि सब जीवों में समायी हुई है। वह सबकी चेतन और सबकी साक्षी है।

आत्मा सबकी द्रष्टा है। आत्मा सब जीवों में विद्यमान है। वह सब जीवों का जन्म और मृत्यु भी देखती है। शरीर का बचपन, यौवन और बुढ़ापा भी देखती है। आत्मा स्वयं प्रकाश है, उसको किसी अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं है। आत्मा निरंजन है, जिसमें नाम मात्र का भी मैल नहीं है। आत्मा विकारों से रहित है। आत्मा अविनाशी है और वह जन्म-मरण से रहित है। वह शाश्वत है अर्थात सदा है। आत्मा न तो किसी को मारती है और न ही किसी के द्वारा मारी जाती है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते। इसको आग नहीं जला सकती। इसको पानी नहीं डुबो सकता और वायु नहीं सुखा सकती। आत्मा सनातन है अर्थात वह सदा रहनेवाली अनादि है।

आत्मा तटस्थ है, आत्मा पूर्ण है और तृप्त है। आत्मा परम पवित्र है। आत्मा को इंद्रियां, मन और बुद्धि नहीं जान सकते, इसलिए वह अव्यक्त है। आत्मा तो इन सबसे दूर है, इसलिए वह अचिंत्य है। आत्मा आश्चर्यमय है, क्योंकि उसको कोई विरला ही जान पाता है। आत्मा का अनुभव करना सबसे बड़ा कार्य है। आत्मा अवध्य है, क्योंकि उसका कभी भी किसी भी साधन से कोई भी नाश नहीं कर सकता। आत्मा सदा भरपूर और पूर्ण है। उसका जो अनुभव कर लेता है, वह आनंद को प्राप्त कर लेता है।

-भरतलाल शर्मा

(साभार: 'महात्मा बुद्ध की कहानियां', प्रभात प्रकाशन, दिल्ली)

भेजें अपने सवाल

स्वर्ग-नरक की कल्पना का आधार क्या है?

पाप क्या है, पुण्य क्या है? धर्म क्या है, अधर्म क्या है? ईश्वर की आराधना कैसे करें? ऐसे सवाल अक्सर हमारे मन में उठते हैं, पर इनका जवाब हमारे पास नहीं होता। मन-मस्तिष्क में आने वाले ऐसे ही सवालों के जवाब हमारे पैनल में शामिल धर्माचार्य आपको देंगे।

अपने सवाल हमें इस पते पर भेजें:
धर्मक्षेत्र, हिन्दुस्तान, 11वां तल, द आइकॉन टॉवर, एफ सी-24 सी, फिल्म सिटी, सेक्टर-16ए, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर-201301 (उत्तर प्रदेश)

तालमेल से बनेंगे मुश्किल काम

शुक्र-शनि दृष्टि संबंध का उसकी बारह राशियों पर क्या प्रभाव होगा?

-प्रीतम सिंह, रांची

आस्था-अनास्था

समीर उपाध्याय ज्योतिर्विद्

शुक्र ग्रह शनिवार 01 अगस्त, 2026 को सुबह 09.33 पर अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश कर चुके हैं। कन्या राशि में शुक्र 02 सितंबर, 2026 बुधवार दोपहर 01.51 तक रहेंगे। शनि ग्रह शुक्र से सप्तम मीन राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, जिससे शनि-शुक्र का दृष्टि संबंध भी बन रहा है। गोचर में नीच राशि कन्या का शुक्र और मीन राशि में स्थित वक्री शनि का दृष्टि संबंध लगभग 33 दिनों तक रहेगा। आइए जानते हैं गोचर में इनके दृष्टि संबंध का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा:

मेष : स्वास्थ्य, मरम्मत पर खर्च। साझेदारी एवं वैवाहिक जीवन में विवाद। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।

वृष : स्वास्थ्य एवं संबंधों में अस्थिरता। कार्यक्षेत्र एवं आर्थिक मामलों में लाभप्रद। नए संबंध-संपर्क बनेंगे।

मिथुन : महत्वपूर्ण कार्य में बाधा। कार्य स्थल में अवांछित परिवर्तन के योग। प्रेम-प्रसंग में संघर्ष।

कर्क : पारिवारिक जीवन में अशांति। कार्यभार में वृद्धि। भौतिक सुख-सामग्री की खरीदारी एवं मरम्मत पर खर्च।

सिंह : कार्यस्थल पर संघर्ष। पराक्रम में कमी। अतिरिक्त प्रयास तथा सहयोगियों के साथ तालमेल से कुछ काम बनेंगे।

कन्या : व्यस्तता की वजह से परिवार में असंतोष। गलतफहमी से बचें तथा पारदर्शी बने रहिए।

तुला : मान-अपमान दोनों मिलेंगे। संघर्ष के बाद महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण होंगे। निर्माण कार्य एवं खरीदारी पर खर्च।

वृश्चिक : नई साझेदारी, नए कार्य में पूंजी निवेश। कार्य की प्रकृति एवं कार्य स्थल में परिवर्तन की संभावना।

धनु : पराक्रम एवं अतिरिक्त श्रम से महत्वपूर्ण सफलता। घरेलू मामलों में सामंजस्य की आवश्यकता।

मकर : स्वरोजगार में विस्तार। तरक्की। पहले किए गए कार्यों का सुखद परिणाम। संबंधी के सहयोग से बड़ा आर्थिक लाभ।

कुंभ : नए कार्य में संलग्नता। नए संबंध-संपर्क। मित्रों के सहयोग से काम बनेंगे। नई खरीदारी। निर्माण कार्य पर खर्च।

मीन : स्वास्थ्य संबंधी अस्थिरता। कुछ पुरानी समस्या का समाधान। नई खरीदारी, नया निवेश करेंगे। नए अनुभव का समय। गुप्त लाभ की संभावना।

सप्ताह के व्रत-त्योहार

04 अगस्त से 10 अगस्त 2026 तक

04 अगस्त (मंगलवार) : श्रावण कृष्ण षष्ठी तिथि रात्रि 10.04 मिनट तक पश्चात सप्तमी तिथि। भद्रा रात्रि 10.04 मिनट से। पंचक समाप्त रात्रि 09.54 मिनट से। गंडमूल विचार। भौम व्रत। गौरी दुर्गा पूजा।

05 अगस्त (बुधवार) : श्रावण कृष्ण सप्तमी तिथि रात्रि 08.43 मिनट तक पश्चात अष्टमी तिथि। भद्रा प्रात: 09.24 मिनट तक। शीतला सप्तमी। गंडमूल रात्रि 09.18 मिनट तक।

06 अगस्त (गुरुवार) : श्रावण कृष्ण अष्टमी तिथि सायं 06.53 मिनट तक पश्चात नवमी तिथि।

07 अगस्त (शुक्रवार) : श्रावण कृष्ण नवमी तिथि सायं 04.38 मिनट तक पश्चात दशमी तिथि।

08 अगस्त (शनिवार) : श्रावण कृष्ण दशमी तिथि दोपहर 02 बजे तक पश्चात एकादशी तिथि।

09 अगस्त (रविवार) : श्रावण कृष्ण एकादशी तिथि प्रात: 11.06 मिनट तक पश्चात द्वादशी तिथि। कामिका एकादशी व्रत।

10 अगस्त (सोमवार) : श्रावण कृष्ण द्वादशी तिथि प्रात: 08.01 मिनट तक पश्चात त्रयोदशी रात्रि 04.55 मिनट तक तदनंतर चतुर्दशी तिथि। भद्रा रात्रि 04.55 मिनट से। सोम प्रदोष व्रत। श्रावण सोमवार व्रत। त्रयोदशी तिथि का क्षय।

-पं. ऋभुकांत गोस्वामी

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

मेष : मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। तरक्की के साथ किसी दूसरे स्थान पर भी जा सकते हैं। परिवार से दूर रहना पड़ सकता है।

वृष : आत्मसंयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखने के प्रयास करें। लेखनादि कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी। आय में वृद्धि भी होगी। नौकरी में कार्यभार बढ़ सकता है।

मिथुन : आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे। नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं। अफसरों का सहयोग भी मिलेगा। वाहन सुख में वृद्धि हो सकती है। आय भी बढ़ेगी।

कर्क : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। नौकरी में परिवर्तन के साथ तरक्की हो सकती है, परंतु परिवार के साथ किसी दूसरे स्थान पर भी जा सकते हैं। परिश्रम अधिक रहेगा।

सिंह : आत्मविश्वास में कमी रहेगी। संयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखें। परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। भवन की साज-सज्जा व वस्त्रों आदि पर खर्च बढ़ सकते हैं।

कन्या : आत्मविश्वास तो बहुत रहेगा, परंतु मन में उतार-चढ़ाव भी हो सकते हैं। लंबे समय बाद किसी पुराने मित्र से भेंट हो सकती है। खर्च बढ़ सकते हैं।

तुला : मन परेशान रहेगा। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। नौकरी के लिए परीक्षा व साक्षात्कारादि कार्यों में सफल रहेंगे। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। आय में वृद्धि होगी।

वृश्चिक : आत्मविश्वास में कमी रहेगी, परंतु मन प्रसन्न रहेगा। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में परिवर्तन होगा।

धनु : आत्मसंयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखें। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में वृद्धि हो सकती है। लाभ में वृद्धि भी होगी। भागदौड़ अधिक रहेगी। सेहत पर ध्यान दें।

मकर : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु मन में नकारात्मक विचारों से बचें। धैर्यशीलता भी बनाए रखें। किसी रुके हुए धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं।

कुंभ : मन परेशान रहेगा। धैर्यशीलता बनाए रखें। कारोबार में वृद्धि होगी। परिश्रम भी अधिक रहेगा। कारोबार के लिए परिवार से दूर किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं।

मीन : मन प्रसन्न रहेगा। पढ़ाई में सफलता मिलेगी। मान-सम्मान की प्राप्ति भी होगी। लेखनादि कार्यों से आय में वृद्धि हो सकती है। कारोबार में यात्रा खर्च बढ़ेंगे।

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

04 अगस्त, मंगलवार, **शक संवत्** : 13 श्रावण (सौर) 1948, **पंजाब पंचांग** : 20 श्रावण मास प्रविष्टे 2083, **इस्लाम** : 20 सफर, 1448, **विक्रमी संवत्** : श्रावण कृष्ण षष्ठी तिथि रात्रि 10.04 मिनट तक। अश्विनी नक्षत्र, धृति योग सायं 07.34 मिनट तक पश्चात शूल योग, गर करण। चंद्रमा मीन राशि में रात्रि 09.54 मिनट तक उपरांत मेष राशि में।

सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तर गोल। अपराह्न 03 बजे से सायं 04.30 मिनट तक राहुकालम्। पंचक समाप्त रात्रि 09.54 मिनट से। गंडमूल विचार। भौम व्रत। गौरी दुर्गा पूजा।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

घर में वास्तु के अनुसार रखें मेटल के शो पीस :

- चांदी, पीतल एवं एल्यूमीनियम के शो पीस उत्तर दिशा में रख सकते हैं।
- पीतल एवं कॉपर के शो पीस घर की पूर्व दिशा में रखें। तांबे के शो पीस घर के दक्षिण पूर्व दिशा यानी अग्नि कोण में रख सकते हैं। तांबे के शो पीस आप घर की दक्षिण दिशा में भी रख सकते हैं। घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में पीतल एवं लीड के शो पीस रखना अच्छा होता है। पश्चिम दिशा में लोहे के शो पीस रखे जा सकते हैं।
- उत्तर पश्चिम दिशा में चांदी, एल्यूमीनियम के शो पीस रखना अच्छा होता है। उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में चांदी एवं पीतल के शो पीस रखना शुभ फल देता है।

वर्ग पहेली : 8410

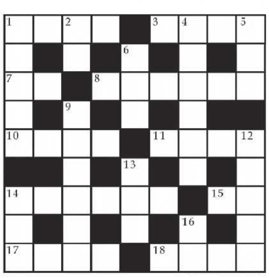

बाएं से दाएं

1. सूख कर पत्थर जैसा कड़ा हो जाना; चेतनाशून्य हो जाना; जड़ हो जाना (4)
3. तत्क्षण; तुरत; फौरन; शीघ्रतापूर्वक (4)
7. एक अंक; दो का दुगना (2)
8. गुप्त रखना; प्रकट न करना; स्मरण रखना (2,1,3)
10. अट्टहास; जोर की हंसी; ठहाका (4)
11. करीब-करीब; प्रायः; बहुत कुछ (4)
14. छौंकना; बघार देना (3,3)
15. सांप का फैला हुआ सिर (2)
17. घिनौना; लज्जाजनक; शर्मिंदा करने वाला (4)
18. मौका; समय (4)

ऊपर से नीचे

1. खिदमतगार; तीमारदार; परिचर्या करने वाला; अनुचर; चाकर; सेवक (5)
2. खाक; भस्म; जलने के बाद बचा अंश (2)
4. भिड़ंत होना; ठोकर लगना; टकराना (3,3)
5. एड़ी की बाहर निकली हड्डी; पैर का गट्टा (3)
6. मुंह; मुख (3)
9. भ्रमित हो जाना; हिचकना; चकित हो जाना; विस्मित होकर इधर-उधर देखना (4,2)
12. नभचर; पक्षी; आकाशचारी; ग्रह; नक्षत्र (5)
13. रिश्ता जोड़ने के लिए भेजा गया संदेश; कही गई बात (3)
14. खोज; चाह; आवश्यकता (3)
16. किश्ती; तरणि; नौका (2)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8409

1 आ	म	2 ज	न	■	3 घे	■	4 क	■
ग	■	ला	■	5 ता	र	न	हा	र
6 ब	चा	व	क	र	ना	■	र	■
र	■	त	■	क	■	7 सं	■	8 स
9 स	दा	र	त	■	10 मु	हा	व	रा
ना	■	ण	■	11 जं	■	र	■	ह
■	12 र	■	13 वि	ल	य	क	र	ना
14 अं	क	भ	र	ना	■	र	■	हो
■	म	■	ल	■	15 आ	ना	जा	ना

सुडोकू : 8364

*कठिन

					7			6
				6		7	8	
5					9		3	
	5				8		4	9
6								3
4	2		6				1	
	4		7					5
	1	9		4				
2			9					

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8363

3	5	8	2	7	4	9	1	6
7	9	1	6	8	5	3	2	4
6	2	4	1	3	9	7	8	5
2	4	7	3	9	1	5	6	8
1	3	6	8	5	7	2	4	9
5	8	9	4	2	6	1	7	3
4	7	5	9	6	2	8	3	1
8	1	2	5	4	3	6	9	7
9	6	3	7	1	8	4	5	2

कल्पमेधा

अपना नाम सदा कायम रखने के लिए मनुष्य बड़े से बड़ा जोखिम उठाने, धन खर्च करने और हर तरह के कष्ट सहने, यहां तक कि मरने के लिए भी तैयार हो जाता है।

– सुकरात

बहस के बिना

संसद देश का सर्वोच्च विधायी निकाय है, जहां जनकल्याण से जुड़े मसलों पर मंथन किया जाता है और उसके निष्कर्षों के आधार पर नीति निर्माण का खाका तैयार किया जाता है। जनता की आकांक्षाओं को आकार देने और देश को लोकतांत्रिक दिशा प्रदान करने में संसद की भूमिका सर्वोपरि है। आमजन की यह उम्मीद होती है कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि उनकी समस्याओं, चिंताओं एवं जरूरतों को संसद में रखेंगे और उन पर विचार-विमर्श के बाद एक सक्षम कानून या योजना बनाई जाएगी। मगर, जब संसद में व्यापक चर्चा के बिना ही किसी विधेयक को पारित कर कानून की शक्ल दे दी जाए, तो उसकी समग्र व्यावहारिकता और सार्थकता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। संसद के मानसून सत्र में अब तक ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है। हाल ही में विद्यार्थियों के आंदोलन से निकले लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 को व्यापक चर्चा और सुझावों के बिना ही पारित कर दिया गया और सोमवार को दो अन्य विधेयकों को भी इसी तरह से मंजूरी दे दी गई।

अहम सवाल यह है कि संविधान में संसद सत्र आयोजित किए जाने की जो व्यवस्था की गई है, क्या उसका मूल उद्देश्य पूर्ण हो पा रहा है? अगर किसी कानून या योजना को सक्षम एवं कारगर बनाने में विपक्ष की कोई भूमिका न हो, तो संसद की प्रासंगिकता क्या रह जाएगी? इसमें दोराय नहीं कि सदन को सुचारु रूप से चलाने की जिम्मेदारी सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों की है। मगर जब विपक्ष कोई सवाल या समस्या उठाता है, तो उसका निराकरण करना सत्तापक्ष का दायित्व होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्तापक्ष अपनी जवाबदेही से पल्ला नहीं झाड़ सकता। संसद के मानसून सत्र की अब तक की अवधि पर नजर डालें, तो हंगामा और कार्यवाही का स्थगन, इन्हीं दो बातों पर जोर दिया गया है। ऐसा लगता है कि स्थगन, कार्यवाही का पर्याय बन गया है। विपक्ष नीट प्रश्नपत्र लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई तथा राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दों को लगातार संसद में उठा रहा है और हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बार-बार स्थगित हो जाती है। इस बीच महत्त्वपूर्ण विधेयक भी व्यापक चर्चा के बिना ही पारित हो जाते हैं।

संसद में बने इस गतिरोध को दूर करने के बजाय आरोप-प्रत्यारोप के जरिए एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार उनकी मांग को नजरअंदाज कर लोकतंत्र पर प्रहार कर रही है, तो सत्तापक्ष का दावा है कि विपक्ष जानबूझकर सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। इसी का नतीजा रहा कि लोकसभा में उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 और राज्यसभा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक भी विस्तृत चर्चा के बगैर ही पारित कर दिए गए। ऐसे में यह सवाल महत्त्वपूर्ण है कि संसद में अपेक्षित कामकाज न होने से उसके कीमती समय और धन की जो बर्बादी हो रही है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या यह दोनों पक्षों का दायित्व नहीं है कि गतिरोध को खत्म करने के लिए व्यावहारिक तौर पर गंभीरता से प्रयास किए जाएं, ताकि जन सरोकार से जुड़े मसलों पर सार्थक चर्चा और मूल्यवान सुझावों के आधार पर नीतियों का निर्माण किया जा सके। किसी भी समस्या का हल सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए, फिर चाहे संसद में गतिरोध हो या सड़क के रास्ते सत्ता के गलियारों में पहुंचने वाली मांग हो।

कामयाबी का मैदान

इस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों की अंतिम पदक तालिका में भारत भले ही चौथे स्थान पर रहा, लेकिन देश के खिलाड़ियों ने जैसा प्रदर्शन किया, वह एक बेहतर भविष्य का संकेत है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले हर अगले आयोजन में खेलों में जीत हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है, क्षमताओं की कसौटियां ज्यादा बेहतर प्रदर्शन की मांग कर रही हैं, लेकिन अब भारतीय खिलाड़ियों ने भी मैदान में अपनी धमक छोड़नी शुरू कर दी है। गौरतलब है कि ग्लासगो में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने तेरह स्वर्ण, सत्रह रजत और नौ कांस्य पदक सहित कुल उनतालीस पदक जीते। यों तो ज्यादातर खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी खासी चुनौती पेश की, लेकिन भारोत्तोलन, जूडो और पैरा खेलों में भारत ने इतिहास रचते हुए अपनी कामयाबी का झंडा बुलंद किया। खासतौर पर मुक्केबाजी में भारतीय खिलाड़ियों ने सात स्वर्ण और तीन रजत के साथ कुल दस पदक जीते। बल्कि इस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने मुक्केबाजी के मैदान में अपनी सबसे कामयाब छाप छोड़ी और महिला खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा, एक ही राष्ट्रमंडल खेल में एथलेटिक्स में एक से ज्यादा पदक जीतने वाले पहले भारतीय गुलवीर सिंह भी इस आयोजन में देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि रहे।

जाहिर है, अलग-अलग खेलों में भारत के खिलाड़ियों ने शीर्ष स्तर पर रहने वाले देशों को ठोस चुनौती दी और एक तरह से यह दर्शाया कि किसी अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में उनकी उपस्थिति को अब महज औपचारिकता नहीं माना जा सकता। यों पदकों की संख्या के संदर्भ में देखा जाएगा, तो इसे 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों की उपलब्धि से कम माना जाएगा, लेकिन यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि इस वर्ष के आयोजन में कुश्ती, हाकी, टेबल टेनिस और बैडमिंटन जैसे कुछ खेल नहीं थे, जिसमें पारंपरिक रूप से भारत का मोर्चा मजबूत रहा है। हालांकि मौजूदा उपलब्धियों और अन्य देशों के प्रदर्शन के आलोक में देखें, तो भारत को अभी काफी प्रयास करना होगा, लेकिन इस आयोजन में हासिल उपलब्धियां और प्रदर्शन का स्तर भविष्य की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए उम्मीद के वाहक हैं।

वातानुकूलन से गहराता पर्यावरण संकट

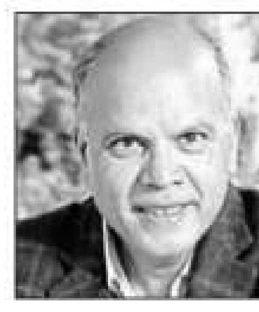

बढ़ते वैश्विक ताप के असर के बीच वातानुकूलन उपकरणों का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल समस्या को जटिल बना रहा है। ऐसे में मनुष्य और पर्यावरण के बीच संतुलन कायम करना बेहद जरूरी है।

पूर्णेंदु रंजन

वैश्विक ताप लगातार बढ़ रहा है और अब इसका असर दुनिया भर में साफ देखा जा रहा है। पृथ्वी के ठंडे क्षेत्र माने जाने वाले यूरोप और उत्तरी अमेरिका भी इससे अछूते नहीं हैं। यानी जलवायु संकट एक खतरनाक दौर में प्रवेश कर गया है। भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देश के लिए जहां अगले दो दशकों में शीतलन (कूलिंग) की मांग आठ गुना बढ़ने का अनुमान है, वहां गर्मी से निपटने का तात्कालिक उपाय घरों में एअर-कंडीशनर (एसी) लगा देने को ही माना जा रहा है। मगर, इसके दूसरे पहलू पर गंभीरता से गौर करना जरूरी नहीं समझा जा रहा है। दरअसल, एसी कमरे को ठंडा करने के लिए उसकी गर्मी को बाहर फेंकता है और इससे निकलने वाली हानिकारक गैसों से पर्यावरण को और ज्यादा नुकसान होता है। ऐसे में हमें फ्रांस जैसी विकसित अर्थव्यवस्था के नीतिगत संयम पर गौर करना चाहिए, जहां भयंकर गर्मी के बावजूद बड़े पैमाने पर निजी एअरकंडीशनिंग को हतोत्साहित करने की नीति है।

देश के कई हिस्सों में मानसून आने से पहले उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर देती है। दोपहर के वक्त तकनीकी उपकरणों पर तापमान 39 या 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज होता है, जो देखने में ज्यादा कष्टकारी नहीं लगता। मगर हमारा शरीर इस आंकड़े को सिरे से खारिज करते हुए हकीकत का एक तकलीफदेह पन्ना खोलता है। शरीर को महसूस होने वाला वास्तविक तापमान (फील्स-लाइक) असल में 49 से 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। यह कोई मानसिक भ्रम नहीं है, बल्कि 'हीट इंडेक्स' (ऊष्मा सूचकांक) का वह सच है, जो साबित करता है कि हमारे पारंपरिक मौसम विज्ञान के पैमाने मानव शरीर के वास्तविक संकट को मापने में नाकाम साबित हो रहे हैं।

जब मानसून में देरी होती है, तो अरब सागर से आने वाली नमी से भरपूर दक्षिण-पश्चिमी हवाएं जैसे ही मैदानी इलाकों में प्रवेश करती हैं, तो सापेक्ष आर्द्रता का स्तर 60 से 70 फीसद तक पहुंच जाता है। मानव शरीर खुद को ठंडा रखने के लिए पसीने का सहारा लेता है, जो त्वचा से वाष्पीकृत होकर आंतरिक गर्मी को बाहर निकालता है। मगर जब आसपास की हवा में पहले से नमी की मात्रा ज्यादा होती है, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। पसीना त्वचा पर ही जमा रहता है, जिससे शरीर को ज्यादा गर्मी का एहसास होता है। यह स्थिति कई बार हमें 'वेट-बल्ब टेंपरेचर' की उस अंतिम सीमा के करीब ले आती है, जिसके पार गर्मी असहनीय हो जाती है। पहले इसे केवल वैश्विक दक्षिण देशों की समस्या माना जाता था, लेकिन हाल के वर्षों में महसूस की गई गर्मी ने यह साबित कर दिया है कि यूरोप और अमेरिका के ठंडे इलाके भी उच्च-आर्द्रता वाले ताप संकट से अब अछूते नहीं हैं।

हालांकि, इस स्थिति के बावजूद फ्रांस ने अपने यहां घरेलू एसी के इस्तेमाल को महज पच्चीस फीसद तक सीमित रखा है, जबकि अमेरिका में यह आंकड़ा नब्बे फीसद से अधिक है। निजी तौर पर 'एअरकंडीशनिंग' को एक बुनियादी मानव अधिकार न मानने का फ्रांस का यह फैसला कोई जिद नहीं, बल्कि एक कड़वे पारिस्थितिक सच की स्वीकारोक्ति है। फ्रांस केवल सांस्कृतिक रूप से एसी को हतोत्साहित नहीं करता, बल्कि इसके लिए वहां कड़े वैधानिक कानून

हैं। फ्रांस के राष्ट्रीय 'एनर्जी कोड' (ऊर्जा संहिता) के तहत व्यावसायिक और सार्वजनिक भवनों में तब तक एसी चलाने की कानूनी मनाही है, जब तक कि अंदर का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस को पार न कर जाए। इसके अलावा, यदि कोई दुकानदार एसी चालू रखकर दुकान का मुख्य दरवाजा खुला छोड़ता है,

> **भारत में भी फ्रांस की तर्ज पर वाणिज्यिक परिसरों, सरकारी दफ्तरों और हवाईअड्डों के लिए एसी के तापमान की न्यूनतम सीमा अनिवार्य रूप से 24 डिग्री सेल्सियस तय की जानी चाहिए, ताकि बिजली ग्रिड पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जा सके। फ्रांस अपनी चूना पत्थर की दीवारों पर भरोसा करता है, जो गर्मी को अंदर आने से रोकती हैं। भारत को अपने 'ऊर्जा संरक्षण भवन कोड' को स्थानीय स्तर पर कड़ाई से लागू करना होगा। इमारतों की दिशा को धूप के हिसाब से तय करना, छतों पर हल्के रंग के कूल-रूफ पेंट लगाना और खोखली ईंटों का उपयोग करना जैसी तकनीकों से घरों के अंदरूनी तापमान को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित किया जा सकता है।**

तो स्थानीय निकाय उस पर भारी जुर्माना लगा सकता है।

इसके विपरीत भारत का मौजूदा प्रशासनिक माडल आज भी परंपरागत सिद्धांत पर चल रहा है। जब मैदानी इलाकों में 'हीट इंडेक्स' 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, तब भी मौसम विभाग अपने पुराने पैमानों के आधार पर आधिकारिक तौर पर 'लू' घोषित नहीं कर पाता, क्योंकि थर्मामीटर का सूखा तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही अटका होता है। नतीजा यह होता है कि बाहर काम करने वाले लोग मौसम उपकरणों के इस छलावे के बीच असल में 50 डिग्री महसूस किए जाने वाले तापमान के बीच रहने को मजबूर होते हैं। दूसरी ओर, समाज का संपन्न वर्ग अपने घरों में बहुत ज्यादा जरूरत न होने पर भी एसी चला देता है। निजी तौर पर घरों में शीतलन का यह बेलगाम उपभोग पर्यावरण संकट को और गंभीर बना रहा है। शहरों में लाखों की संख्या में एसी सीधे तौर पर तंग और घनी गलियों में गर्म हवा फेंकते हैं। देश के सघन शहरी केंद्रों में यह स्थिति 'अर्बन हीट आइलैंड' के प्रभाव को इतना बढ़ा देती है कि फुटपाथ पर चलने वाले राहगीरों, रेहड़ी-पटरी वालों और बिना एसी वाले गरीब परिवारों के लिए सार्वजनिक रास्ते 'थर्मल डेथ ट्रैप' यानी खतरनाक ताप क्षेत्र में तब्दील हो जाते हैं।

फ्रांस से भारत जो सबसे बड़ा सबक सीख सकता है, वह है हर घर में अलग से एसी लगाने के विकेंद्रीकृत माडल को सिरे से खारिज करना। पेरिस की ऐतिहासिक वास्तुकला को बचाने और उसकी सड़कों को 'अर्बन हीट आइलैंड' के प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए वहां की सरकार ने एक वैकल्पिक तकनीक पर निवेश किया, जिसे 'क्लाइमस्पेस' कहा जाता है। पेरिस की जमीन के नीचे पाइपलाइन के जरिए एक विशाल शीतलन तंत्र बिछाया गया है, जो सीन नदी से पानी लेकर उसे भूमिगत संयंत्रों में ठंडा करता है। फिर इस ठंडे पानी को पाइप के जरिए बड़े होटलों और सरकारी दफ्तरों तक पहुंचाया जाता है, जो उन्हें ठंडा रखता है। यह पारंपरिक एसी के मुकाबले पैंतीस फीसद कम बिजली की खपत करता है और कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम स्तर पर रखता है। अगर भारत में स्मार्ट शहरों और शहरी पुनर्विकास योजनाओं के मास्टर प्लान में इस तकनीक को शामिल किया जाए, तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना बढ़ते ताप की समस्या से निपटा जा सकता है। हमें शीतलन को एक निजी उपभोक्ता उत्पाद मानने के बजाय इसे बिजली, पानी की तरह एक साझा 'सार्वजनिक बुनियादी ढांचा' मानना होगा।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग को केवल थर्मामीटर के सूखे तापमान के बजाय 'संयुक्त ऊष्मा जोखिम सूचकांक' को प्रशासनिक कार्रवाई का वैधानिक आधार बनाना चाहिए। इसके साथ ही फ्रांसीसी माडल की तर्ज पर वाणिज्यिक परिसरों, सरकारी दफ्तरों और हवाईअड्डों के लिए एसी के तापमान की न्यूनतम सीमा अनिवार्य रूप से 24 डिग्री सेल्सियस तय की जानी चाहिए, ताकि बिजली ग्रिड पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जा सके। फ्रांस अपनी चूना पत्थर की दीवारों पर भरोसा करता है, जो गर्मी को अंदर आने से रोकती हैं। भारत को अपने 'ऊर्जा संरक्षण भवन कोड' को स्थानीय स्तर पर कड़ाई से लागू करना होगा। इमारतों की दिशा को धूप के हिसाब से तय करना, छतों पर हल्के रंग के कूल-रूफ पेंट लगाना और खोखली ईंटों का उपयोग करना जैसी तकनीकों से घरों के अंदरूनी तापमान को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित किया जा सकता है।

वक्त आ गया है कि भारत पारंपरिक थर्मामीटर की सीमित सोच से आगे बढ़े, निजी एसी के बेलगाम उपभोग पर लगाम लगाए और एक ऐसा सामूहिक ढांचा तैयार करे, जो मनुष्य और पर्यावरण के बीच संतुलन कायम कर सके।

अकेलेपन का कोना

गिरीश पंकज

कभी कहीं पढ़ा था कि एकांत वह स्थान है, जहां आत्मा खुद से मिलती है और अकेलापन वह कला है जहां इंसान खुद को पाना सीखता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, शोर-शराबे और सोशल मीडिया की अति-सक्रियता के बीच 'अकेलापन' एक ऐसा शब्द बन गया है, जिसे अक्सर नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाता है। समाज में आमतौर पर माना जाता है कि जो व्यक्ति अकेला है, वह उदास है, निराश है या किसी मानसिक तनाव से गुजर रहा है। मगर क्या वास्तव में ऐसा है? दर्शनशास्त्र, साहित्य और अध्यात्म की दृष्टि से देखें, तो अकेलापन केवल एक स्थिति नहीं, बल्कि एक गहरा अनुभव है। जब हम 'अकेलेपन के डर' से बाहर निकलकर इसे स्वीकार करना सीख जाते हैं, तब इसका असली सौंदर्य प्रकट होता है। अकेलापन यदि मजबूरी हो, तो अभिशाप लग सकता है, लेकिन अगर इसे स्वेच्छा से अपनाया जाए, तो यह जीवन का सबसे सुंदर उपहार बन जाता है।

अकेलेपन के सौंदर्य को समझने से पहले 'अकेलेपन' और 'एकांत' के बारीक अंतर को समझना आवश्यक है। अकेलापन एक भावना है, जिसमें व्यक्ति दूसरों की कमी महसूस करता है। यह भीड़ में भी महसूस हो सकता है। यह अलगाव और खालीपन की भावना पैदा करता है। एकांत स्वयं के साथ होने की एक सुखद अवस्था है। यहां व्यक्ति किसी की कमी महसूस नहीं करता, बल्कि अपनी उपस्थिति का आनंद लेता है। जब हम अकेलेपन को नकारात्मकता के चश्मे से देखना बंद करते हैं, तो वही अकेलापन 'एकांत' के सौंदर्य में रूपांतरित हो जाता है। भीड़ में हम अक्सर दूसरों की आवाजें सुनते हैं, दूसरों की राय पर चलते हैं और समाज के तय किए गए मापदंडों के अनुसार जीने लगते हैं। अकेलेपन के क्षणों में, बाहर का शोर शांत हो जाता है और अंदर की आवाज सुनाई देने लगती है।

अकेलापन हमें खुद से परिचित कराता है। यह हमें अपनी ताकत, कमजोरियों, हमारे सपनों और हमारी इच्छाओं का अहसास कराता है। जब कोई दूसरा हमें प्रभावित करने वाला नहीं होता, तब हम वही होते हैं, जो वास्तव में हैं, बिना किसी नकाब के, बिना किसी दिखावे के। जब दिमाग बाहरी विकर्षणों से मुक्त होता है, तो कल्पना की सीमाएं टूट जाती हैं। अकेलापन मन को गहराई में उतरने का अवसर देता है, जहां से नए विचार और रचनात्मकता के मोती निकलकर बाहर आते हैं। हमारी इंद्रियां दिन भर सूचनाओं, ध्वनियों और दृश्य विकर्षणों से घिरी रहती हैं। जैसे मोबाइल फोन को चार्ज करने की आवश्यकता होती है, वैसे ही इंसान के मन और मस्तिष्क को भी 'रिचार्ज' होने के लिए शांति की आवश्यकता होती है।

अकेलेपन का सौंदर्य इस बात में निहित है कि यह हमारे मन को विश्राम देता है। किसी शांत कमरे में बैठकर चाय की चुस्की लेना, खिड़की से बाहर गिरती बारिश की बूंदों को देखना या सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना- ये छोटे-छोटे क्षण मन के तनाव को मिटा देते हैं और एक असीम शांति का अहसास कराते हैं। जब हम लोगों के साथ होते हैं, तो हमारा ध्यान संवादों और सामाजिक शिष्टाचारों पर होता है, लेकिन जब हम अकेले प्रकृति के बीच होते हैं, तब हम वास्तव में प्रकृति का हिस्सा बन जाते हैं।

अकेले में किसी जंगल की पगडंडी पर चलना, बहती नदी की कल-कल सुनना, या रात के अंधेरे में तारों से भरे आसमान को देखना एक अलौकिक अनुभव होता है। प्रकृति का सौंदर्य तब और निखर कर सामने आता है, जब उसे महसूस करने के लिए हमारे और उसके बीच कोई तीसरा न हो। यह अकेलापन इंसान को ब्रह्मांड की विशालता और अपनी सूक्ष्मता का अहसास कराता है। अकेलापन व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है। जब हम अकेले रहना सीख जाते हैं, तो हमारी खुशी किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहती। आप क्या खाना चाहते हैं या कहां जाना चाहते हैं, इसके लिए आपको किसी की अनुमति या सहमति की आवश्यकता नहीं होती। जो व्यक्ति अपने अकेलेपन से प्यार करता है, उसे कोई भावनात्मक रूप से कमजोर नहीं कर सकता। वह अपनी खुशी का मालिक खुद होता है। अध्यात्म में अकेलेपन को मोक्ष या परम सत्य की प्राप्ति का पहला कदम माना गया है।

दुनिया मेरे आगे

> **अकेलेपन का सौंदर्य इस बात में नहीं है कि हम दुनिया से कट जाएं या समाज से दूरी बना लें। इसका सौंदर्य इस बात में है कि हम दुनिया के बीच रहते हुए भी अपने भीतर एक शांत कोना बनाकर रखें। अकेलापन कोई सजा नहीं है, अगर हम सही संगति में हैं, और हमारी सबसे अच्छी संगति हम खुद हैं।**

भारतीय दर्शन में कहा गया है कि मनुष्य अकेला ही इस संसार में आता है और अकेला ही जाता है। यह जीवन का अंतिम सत्य है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तो अकेलेपन का डर समाप्त हो जाता है और उसकी जगह एक शाश्वत आनंद ले लेता है। ऐसे समय में, स्वेच्छा से अकेलेपन को चुनना एक क्रांति की तरह है। अपने फोन को बंद करके, कुछ घंटे अपने साथ बिताना, किताबें पढ़ना, अपनी भावनाओं को डायरी में लिखना या बस चुपचाप बैठना- यह सब हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए संजीवनी की तरह है। अकेलेपन का सौंदर्य इस बात में नहीं है कि हम दुनिया से कट जाएं या समाज से दूरी बना लें। इसका सौंदर्य इस बात में है कि हम दुनिया के बीच रहते हुए भी अपने भीतर एक शांत कोना बनाकर रखें। अकेलापन कोई सजा नहीं है, अगर हम सही संगति में हैं, और हमारी सबसे अच्छी संगति हम खुद हैं। जब हम खुद से दोस्ती कर लेते हैं, तो अकेलापन कभी भयावह नहीं लगता, बल्कि वह एक ऐसा संगीत बन जाता है, जिसे केवल हमारा हृदय सुन सकता है। इसलिए अकेलेपन से भागने के बजाय कभी-कभी इसका स्वागत करना चाहिए। शांत होकर बैठना चाहिए, खुद की बात सुननी चाहिए और इस खूबसूरत अहसास को महसूस करना चाहिए, क्योंकि एकांत के इसी सौंदर्य में जीवन का सबसे गहरा रहस्य छिपा है।

धरोहर की फिक्र

जंतर मंतर पर पिछले दिनों धरना-प्रदर्शन और अनशन के बाद अब इस पर चिंता व्यक्त की जा रही है कि अगर राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा प्राप्त इस ऐतिहासिक स्थल को आंदोलन के दौरान क्षति पहुंचती, तो कौन जिम्मेदार होता? लगभग तीन सौ साल पहले जिस जंतर मंतर को खगोल विज्ञान के रहस्य जानने के लिए तथा मौसम की सटीक जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया था, वह आज राजनीति का अड्डा बन गया है। आज यहां पर धरना-प्रदर्शन होते रहते हैं। जिसकी कोई सुनवाई नहीं करता, वह यहां अनुमति लेकर विरोध कर सकता है। यहां पर पहले जितने भी आंदोलन हुए हैं उनमें नीट प्रश्नपत्र लीक होने के विरोध में यह आंदोलन अब तक का सबसे बड़ा था। देश के पांचों जंतर मंतर में से सिर्फ दिल्ली में ही यह आंदोलन का केंद्र है। 'जेन-जी' के आंदोलन में वहां से कई संदेश निकले। पहला यह कि युवा हमेशा से सत्ता के उस निर्णय का विरोध करता रहा है जो उसके भविष्य में आड़े आता है। पुरातत्त्व प्रेमी पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ यूनेस्को को ही सरकार महत्त्व देती है और उसकी नजर में जंतर मंतर की सुरक्षा महत्त्वपूर्ण क्यों नहीं है?

– मनोज वार्ष्णेय, मानसरोवर, जयपुर

नारे की हकीकत

देश में बड़े उत्साह के साथ सरकारी विज्ञापनों में बेटियों की सफलता की कहानियां दिखाई जाती हैं और शिक्षा को महिला सशक्तीकरण का सबसे बड़ा माध्यम बताया जाता है। मगर शिक्षा मंत्रालय के हालिया आंकड़े अलग ही तस्वीर पेश करते हैं। नौवीं और दसवीं के स्तर पर लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर अब भी सबसे अधिक है। यह केवल एक शैक्षणिक समस्या नहीं, बल्कि हमारी नीतियों और दावों की वास्तविक परीक्षा है। विडंबना यह है कि एक ओर सरकारें बेटियों की शिक्षा के नाम पर अपनी उपलब्धियां गिनाने में व्यस्त हैं, वहीं दूसरी ओर कई राज्यों में सरकारी विद्यालयों को छात्रों की कम संख्या या अन्य कारणों का हवाला देकर बंद या विलय किया जा रहा है। जब निकटतम विद्यालय ही समाप्त हो जाएगा, तो उसकी कीमत बेटियों को ही चुकानी पड़ेगी। लंबी दूरी, सुरक्षित परिवहन का अभाव, आर्थिक कठिनाइयां मिल कर लड़कियों की पढ़ाई बीच में ही रोक देते हैं।

– मो अजहर आलम अंसारी, पूर्णिया

लोकतंत्र में संवाद

लोकतांत्रिक राजनीति में केवल बड़े और ऐतिहासिक विधायी निर्णय ही पर्याप्त नहीं होते, बल्कि जनता की भावनाओं को समझने तथा समय पर संवाद स्थापित करने की क्षमता भी उतनी ही अहम होती है। केंद्र सरकार के पिछले बारह वर्षों में अनेक बड़े निर्णय हुए हैं। अब महिला आरक्षण का क्रियान्वयन तथा परिसीमन जैसे विषय राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में हैं। ये दोनों विषय भारतीय लोकतंत्र की दिशा और दशा को प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं। मगर किसी भी सरकार के लिए यह आवश्यक होता है कि वह केवल अपनी उपलब्धियों पर ही केंद्रित न रहे, बल्कि समांतर रूप से उभर रही जन-चिंताओं को भी उतनी ही गंभीरता से संबोधित करे। लोकतंत्र में संवाद का स्थान किसी भी राजनीतिक उपलब्धि से कम नहीं होता। समय पर किया गया संवाद कई बार संभावित विवादों को समाप्त कर देता है, जबकि संवादहीनता अनावश्यक अविश्वास को जन्म देती है।

– खुमानसिंह चुंडावत, मंदसौर

मुद्रा की सूरत

भारत में मुद्रा जिन कागजों पर छप रही है, वह कोई बहुत अच्छा नहीं है। नतीजा यह कि बैंक से निकलते ही नए नोट कुछ महीनों में फीके और कमजोर दिखने लगते हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या मुद्रा में बदलाव की जरूरत है। गौरतलब है कि विश्व में सबसे पहले प्लास्टिक के नोटों का प्रचलन आस्ट्रेलिया में 1988 में शुरू हुआ। 1996 में पूरे आस्ट्रेलिया में प्लास्टिक के नोट चलन में आ गए। वर्ष 1999 में न्यूजीलैंड में नोटों में बदलाव किया गया। रोमानिया यूरोप का पहला देश था जिसने 1999 में प्लास्टिक नोटों का इस्तेमाल शुरू किया। ब्रिटेन ने 2016 में पालीमर नोटों की शुरुआत की। इस तरह लगभग 60 से अधिक देशों में प्लास्टिक के नोटों का प्रचलन शुरू हो चुका है। ऐसे में भारत में भी इस पर विचार होना चाहिए। इस तरह के नोट पानी, पसीने और धूल से गंदे नहीं होते। ये लंबे समय तक चलते हैं।

– मीना धानिया, सिरसपुर

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

पहला सोमवार

जम्मू : सावन के पहले सोमवार को रणवीरेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करती एक श्रद्धालु।

बोल

दुनिया के पास पैट्रियट मिसाइलें हैं। अब जरूरी बात यह है कि हमारे सहयोगी जरूरी सामग्री देने पर राजनीतिक फैसला लें। अमेरिका जानता है कि हमें किस चीज की जरूरत है। यूरोप भी यह जानता है।
– व्लोदोमीर जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति

बोल

दुनियाभर में संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में सुरक्षा परिषद की अक्षमता को लेकर सदस्य देशों और वैश्विक नागरिकों में साफ तौर पर निराशा है। व्यापक सुधार की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक स्पष्ट है।
– पी हरीश, संरा में भारत के राजदूत

सम-सामयिक

नेपाल : जेन जी अब बालेन की सरकार के खिलाफ सड़कों पर

जनसत्ता संवाद

नेपाल में युवा वर्ग अब प्रधानमंत्री बालेन शाह के खिलाफ सड़कों पर उतरने लगा है। जेन-जी के समर्थन के जरिए सरकार बनाने वाले शाह को कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जिस बालेन शाह को अंतरराष्ट्रीय पत्रिका 'टाइम' ने वर्ष 2023 के शीर्ष सौ उभरते नेताओं में शामिल किया था, उनकी तुलना अब जर्मनी के तानाशाह हिटलर से की जा रही है। नेपाल में 10 जुलाई को आत्मदाह करने वाले 25 वर्षीय युवक गणेश नेपाली का चेहरा सरकार के खिलाफ विरोध व असंतोष का प्रतीक बन गया है।

शाह की सरकार पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करने, विवादित अध्यादेश लाने और कूटनीतिक मोर्चों पर अनुभवहीनता से देश की किरकिरी कराने के आरोप लग रहे हैं। ताजा विरोध 25 वर्षीय गणेश नेपाली नामक एक युवक द्वारा आत्मदाह करने के बाद शुरू हुआ है। गणेश एक मोटरसाइकिल-टैक्सी चला कर अपना परिवार चलाते थे। 10 जुलाई को काठमांडू में पासपोर्ट आफिस के बाहर कथित तौर पर रास्ता अवरुद्ध करने के आरोप में पुलिस ने उसके वाहन के पहियों पर 'व्हील लाक' लगा दिया। गणेश ने इसका विरोध किया और इसे लेकर पुलिस से उसकी तीखी झड़प भी हुई। पुलिस के रवैये से हताश होकर गणेश ने अपनी मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकाल खुद पर छिड़क कर आग लगा ली। साठ फीसद तक जल चुके गणेश की एक दिन बाद अस्पताल में मौत हो गई। इस घटना के विरोध में लोग काठमांडू की सड़कों पर उतर गए और तोड़फोड़ की।

हालात बेकाबू होता देख सरकार ने आपदा प्रबंधन की कोशिश शुरू की। गणेश की मौत मामले की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में जांच समिति का गठन करने, उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी, बेटी की शिक्षा का खर्च उठाने तथा दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की घोषणा की।

दरअसल, सरकार के खिलाफ विरोध की आग कई और मुद्दों को लेकर पहले से सुलग रही थी। बालेन सरकार के कई फैसलों – मजदूर संगठनों और छात्र संघों को भंग करना, संसद को दरकिनार कर अध्यादेश लाना, अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर लोगों को बेदखल करना, पुलिस की बर्बरता, सरकार का विरोध करने वालों की गिरफ्तारी और संसद में सरकार के विरोधाभासी बयान से लोग पहले से ही नाराज चल रहे थे।

ठेके पर नियुक्त लगभग 50 हजार कर्मचारी भी हड़ताल पर उतर आए। शाह सरकार पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से मुंह चुराने का आरोप तब लगा, जब 30 अप्रैल से शुरू होने वाला संसद का सत्र टाल कर 11 मई कर दिया गया और इस दौरान आठ अध्यादेश लागू कर दिए गए। न्यायिक नियुक्तियों में वरिष्ठता के क्रम को नजरअंदाज किए जाने की भी खूब आलोचना हुई। वहीं, सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए करीब 1,600 लोगों की नौकरियां खत्म कर दीं। चीन, भारत और अमेरिका के साथ विदेश नीति को लेकर भी विपक्ष बालेन सरकार पर अनुभवहीनता के आरोप लगा रहा है।

एक रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल में सरकार ने काठमांडू सहित देश के विभिन्न हिस्सों में अतिक्रमण के नाम पर भूमिहीन लोगों के अस्थायी निर्माण को हटाकर करीब 2,600 परिवारों को बेदखल कर दिया। इनमें से करीब तीन सौ से अधिक परिवार काठमांडू के विभिन्न हिस्सों में बनाए गए अस्थायी आवास केंद्रों में रहने लगे, लेकिन सरकार ने दो जुलाई को इन केंद्रों को भी खाली करने का आदेश दिया। मधेश प्रदेश के रौतहट निवासी सोरंग थापा कहते हैं, नदी किनारे बसी अवैध बस्तियों को बालेन उसी समय से हटाना चाहते थे, जब वे काठमांडू के मेयर हुआ करते थे। इन्हें पुलिस व सेना का सहारा लेकर हटा दिया गया।

नाराजगी

बालेन शाह सरकार ने भारत से खरीदी गई नेपाली सौ रुपए (भारतीय मुद्रा में 62 रुपए) से ज्यादा कीमत की वस्तुओं को नेपाल ले जाने पर उन पर पांच से 80 फीसद तक कस्टम ड्यूटी लागू करने का फैसला किया है। इससे भारत से सटे नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों में भारी नाराजगी पैदा हो गई है।

शोध

खतरे में प्रवासी पक्षियों की तीन सौ प्रजातियां

जनसत्ता संवाद

प्रवासी पक्षियों की 3,380 से अधिक प्रजातियों में से 51 फीसद प्रवासी पक्षियों की आबादी लगातार घट रही है, जबकि करीब तीन सौ प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी हैं। यह अध्ययन 'जार्जटाउन यूनिवर्सिटी', 'स्मिथसोनियन नेशनल जू एंड कंजर्वेशन बायोलाजी इंस्टीट्यूट' के साथ दुनिया भर के पक्षी वैज्ञानिकों के सहयोग से किया गया है।

प्रवासी पक्षी केवल मौसम बदलने का संकेत नहीं देते, बल्कि वे महाद्वीपों, महासागरों और पारिस्थितिकी तंत्रों को जोड़ने वाली प्रकृति की सबसे मजबूत जीवंत कड़ी हैं। नए एक वैश्विक अध्ययन ने चेतावनी दी है कि दुनिया के 51 फीसद प्रवासी पक्षियों की आबादी लगातार घट रही है, जबकि करीब तीन सौ प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी हैं।

आर्द्रभूमि और जंगलों का विनाश, जलवायु परिवर्तन, कीटनाशकों का बढ़ता उपयोग, ऊंची इमारतों से टकराव, बिजली की हाई-टेंशन तारें, अवैध शिकार और पालतू जीवों का व्यापार इनके अस्तित्व पर गंभीर खतरा बन चुके हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रवासी पक्षियों को बचाने के लिए केवल अभयारण्यों की नहीं, बल्कि उनकी पूरी जीवन यात्रा-प्रजनन स्थल, प्रवास मार्ग, विश्राम स्थल और शीतकालीन आवास-को सुरक्षित करना होगा।

हर साल अरबों प्रवासी पक्षी महाद्वीपों, विशाल महासागरों और जटिल पारिस्थितिकी तंत्रों को जोड़ते हुए हजारों किलोमीटर की महायात्रा पर निकलते हैं। ये पक्षी केवल प्रकृति की अद्भुत विरासत ही नहीं, बल्कि पृथ्वी के विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों को जोड़ने वाली जीवंत कड़ी भी हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि समय रहते इन्हें बचाने के प्रभावी उपाय न किए गए, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां इन पक्षियों के इस अद्भुत प्रवास को महज किताबों, तस्वीरों में ही देख पाएंगी। यह अध्ययन 'जार्जटाउन यूनिवर्सिटी', 'स्मिथसोनियन नेशनल जू एंड कंजर्वेशन बायोलाजी इंस्टीट्यूट' के साथ-साथ दुनिया भर के पक्षी वैज्ञानिकों के सहयोग से किया गया है, जिसके नतीजे प्रतिष्ठित जर्नल 'नेचर रिव्यूज बायोडायवर्सिटी' में छपे हैं।

इस अध्ययन में प्रवासी पक्षियों की 3,380 से अधिक प्रजातियों की स्थिति, उनके सामने मौजूद खतरों और संरक्षण प्रयासों का अब तक का सबसे व्यापक आकलन किया गया। इनमें उत्तर अमेरिका के हरे-भरे घास के मैदानों से उड़कर दक्षिण अमेरिका के पंपास तक पहुंचने वाला नन्हा बाबोलिंक, प्रशांत महासागर के क्षितिज को नापकर हवाई द्वीपों में अपने घोंसले की तरफ लौटने वाला 'न्यूवेल्स शियरवाटर' या फिर रूसी आर्कटिक की बर्फ से उड़कर भारत सहित एशिया के घटते तटीय मैदानों तक का जोखिम भरा सफर तय करने वाला दुर्लभ 'स्पून-बिल सैंडपाइपर' जैसी हजारों प्रजातियां शामिल हैं। उनका अस्तित्व हजारों किलोमीटर में फैले उन नाजुक पड़ावों के नेटवर्क पर निर्भर है, जहां वे प्रजनन करते हैं और सर्दियां बिताते हैं।

उनके आवास कई देशों और महाद्वीपों में फैले होते हैं। ऐसे में यदि इस श्रृंखला की एक भी कड़ी टूट जाए या कोई एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव नष्ट हो जाए, तो पूरी प्रजाति की आबादी पर संकट मंडराने लगता है। अध्ययन के अनुसार, बढ़ती मानवीय गतिविधियों ने इस जीवनरेखा को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया है। तटीय आर्द्रभूमियों (वेटलैंड्स) और जंगलों का तेजी से विनाश उनके प्राकृतिक आवास छीन रहा है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन, समुद्र के बदलते स्वरूप और जंगली बिल्लियों जैसी बाहरी हमलावर प्रजातियां भी इन प्रवासी पक्षियों के भविष्य को लगातार और अधिक असुरक्षित बना रही हैं।

(फाइल फोटो)

विश्व परिक्रमा

ब्रिटेन : डाउनिंग स्ट्रीट के अलावा मैनचेस्टर भी बना सत्ता का केंद्र

जनसत्ता संवाद

लंदन के 10 डाउनिंग स्ट्रीट स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय और आवास से लगभग 260 किलोमीटर दूर साधारण सा दिखने वाला आधुनिक कार्यालय खंड ब्रिटेन में सत्ता का एक और नया केंद्र बन गया है। मैनचेस्टर स्थित यह साधारण इमारत 'नंबर 10 नार्थ' है। यह नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम की उस पहल का प्रमुख केंद्र है, जिसके जरिए वह ब्रिटेन को एक अलग और नए अंदाज का नेतृत्व देने का वादा कर रहे हैं।

राष्ट्रीय राजनीति में लौटने से पहले बर्नहैम ग्रेटर मैनचेस्टर के महापौर थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके आरंभिक कार्यों में से एक, इस शहर में कार्यालय खोलना रहा। यह स्थानीय नेताओं को ज्यादा अधिकार देने और आर्थिक विकास को फैलाने के वादे का प्रतीक और इंजन, दोनों है। बर्नहैम इसे लंदन की वेस्टमिंस्टर राजनीति के दक्षिणी ध्रुव को संतुलित करने वाला उत्तरी ध्रुव कहते हैं।

पहले के ब्रिटिश नेता सप्ताहांत अपने स्थानीय चुनाव क्षेत्रों में या प्रधानमंत्री के आधिकारिक 'चेकर्स कंट्री रिट्रीट' में बिताते रहे हैं, लेकिन हाल के समय में किसी ने भी लंदन के बाहर इतने बड़े स्तर का कार्यालय नहीं बनाया है। बर्नहैम की योजना है कि वह वहां हफ्ते में कम से कम एक दिन काम करें। उनके साथ वहां सहायकों, विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों की पूर्णकालिक टीम भी होगी। बर्नहैम ने शुक्रवार को कहा, 'यह कोई दूसरा कार्यालय नहीं है। यह देश में विकास और निवेश के बारे में सोचने के नजरिए में एक बुनियादी बदलाव है।' उनका मानना है कि अपने पूर्ववर्ती केअर स्टार्मर जैसी हालत से बचने का रास्ता मैनचेस्टर से होकर ही गुजरता है।

जानें-समझें

किस मोड़ पर भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम

अचानक क्यों बढ़ रही हैं इसरो की चुनौतियां

जनसत्ता संवाद

भारत के अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रमों को लेकर इन दिनों अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। देश की प्रमुख अंतरिक्ष एजंसी- इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गनाइजेशन (इसरो) कई अप्रिय कारणों से चर्चा में है। यह संस्थान पिछले छह दशकों में कड़ी मेहनत और सूझ-बूझ से खड़ा किया गया है। हाल में कई असफल प्रक्षेपण, अहम परियोजनाओं की धीमी गति, वैज्ञानिकों के नौकरी छोड़ने और धरेलू नवउद्यम की चुनौती का सामना इसरो को करना पड़ रहा है। ये घटनाएं भले ही अलग-अलग लगें, लेकिन इनका व्यापक असर पड़ा है। हाल में जिन बड़े वैज्ञानिकों ने नौकरी छोड़ी है, उनमें एक वर्ष 2023 में चंद्रयान-3 मिशन से जुड़े थे। वर्ष 2018 के बाद से देश में निजी कंपनियों के कई संस्थापक और कर्मचारी इसरो के पूर्व युवा वैज्ञानिक ही हैं।

हाल की असफलताएं

इसरो के भरोसेमंद पीएसएलवी राकेट के दो नए संस्करण पीएसएलवी सी61 और सी 62 के प्रक्षेपण क्रमशः 18 मई, 2025 और 12 जनवरी, 2026 को किए गए और दोनों ही बार असफलता हाथ लगी। 'गगनयान' के लिए पहली बिना-इंसान वाली परीक्षण उड़ान 'जी1' को तैयार करने में देरी हुई। 14 जुलाई को भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग का एक आंतरिक प्रपत्र मीडिया में चर्चा में आया, जिसमें 'गगनयान' जैसी परियोजनाओं से जुड़े कुछ वैज्ञानिकों को नौकरी छोड़ने से रोकने की जरूरत बताई गई। इसरो के कुछ पूर्व वैज्ञानिक मानते हैं कि भरोसेमंद पीएसएलवी राकेट की लगातार दो नाकामियों की वजह से मनोबल काफी गिर गया है। पीएसएलवी सी62 मिशन की नाकामी के बाद से इसरो का कोई प्रक्षेपण नहीं हुआ है, जबकि इस साल सात से आठ मिशन की योजना थी।

प्रतिभा पलायन

अंतरिक्ष विभाग के प्रपत्र में इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिकों और तकनीकी कर्मचारियों की ओर से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पत्र और इस्तीफे का जिक्र किया गया है। इनमें वे कर्मचारी भी शामिल थे जो प्रतिष्ठित गगनयान और दूसरे अहम मिशन/परियोजनाओं से जुड़े थे, और जिनके इस्तीफे या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं पर बुरा असर पड़ने की आशंका है। प्रपत्र में कहा गया है कि इस्तीफे मंजूर न किए जाएं। इसरो से पिछले एक साल में एक सौ से ज्यादा कर्मचारी निकल गए हैं।

चुनौतियों का दौर

इसरो के एक पूर्व वैज्ञानिक तपन मिश्रा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने अपने 37 साल के करिअर में लोगों के संस्थान छोड़ने की तीन लहरें देखी हैं। पहली लहर 1980 के दशक के आखिर में आई थी, जब इंजीनियर तेल के कुओं (आयल रिग्स) में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियों के लिए खाड़ी देशों में चले गए थे। दूसरी लहर 1990 के दशक की शुरुआत में आई, जब लोग दूरसंचार उद्योग में शामिल होने के लिए चले गए। सबसे बड़ी लहर 1990 के दशक के आखिर और 2000 के दशक की शुरुआत में आई, जब लोग सूचना तकनीक उद्योग में चले गए। अब नव उद्यम की ओर पलायन शुरू हुआ है।

मंजूर पद ज्यादा, कर्मचारी कम

तीन दशकों की सालाना रिपोर्ट से पता चलता है कि अभी मंजूर पदों के मुकाबले मौजूद कर्मचारियों की संख्या 72 फीसद है, जो हाल के समय में सबसे कम है (इससे पहले 2013-14 में यह आंकड़ा 76% था)। वर्ष 2017-18 में 16,902 पदों में से 95% पद भरे हुए थे, जो अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा था। एक पूर्व वैज्ञानिक के मुताबिक, अगर किसी परियोजना में अनिश्चितता होती है, तो जुड़े लोग नौकरी छोड़ सकते हैं। ज्यादातर वे युवा नौकरी छोड़ रहे हैं, जिन्हें लगभग 10-12 साल का अनुभव है।

– प्रस्तुति : दीपक रस्तोगी

(फाइल फोटो)

किसी बड़ी परियोजना में देरी की स्थिति में आप लंबे समय तक कार्यबल को रोक नहीं सकते। गगनयान मिशन पर काम करने वाले लोग इसे छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता कि वे अपनी जिंदगी में इसे पूरा होते शायद ही देख पाएंगे। – *एम अन्नादुरई, चंद्रयान-1 व मंगलयान के निदेशक*

निजी क्षेत्र को छोटे काम सौंपने से इसरो सिर्फ बड़े शोध पर ध्यान देगा। यह एक सोची-समझी योजना है। मुझे कुछ भी गलत नहीं लगता। अगर हमें छोटे उपग्रह और पृथ्वी की निचली कक्षा के बाजार में फायदा उठाना है, तो निजी कंपनियां जरूरी हैं। – *पीवी वेंकटकृष्णन, इसरो के पूर्व निदेशक*

निजी कंपनियों की दस्तक

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 23 जुलाई को संसद में बताया कि भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने वाले नवउद्यम की संख्या 2014 में एक थी। वर्ष 2026 तक ऐसी कंपनियों की संख्या बढ़कर चार सौ हो गई है। निजी वित्तपोषण भी 2021-22 में 100.5 मिलियन डालर से बढ़कर 618.5 मिलियन डालर हो गया है। सरकार ने 2023 में नई अंतरिक्ष नीति बनाई, जिससे निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिला। निजी कंपनियों में स्काईरूट एअरोस्पेस, अग्निकुल कासमास, एस्ट्रोबेस, पिक्सेल, बेलाट्रिक्स एअरोस्पेस, ध्रुव स्पेस और दिगंतारा आदि हैं, जो छोटे उपग्रह बनाने या प्रक्षेपण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। स्काईरूट और अग्निकुल मांग के अनुरूप सिर्फ दो दिनों में छोटे उपग्रह प्रक्षेपित करने की सेवा दे सकते हैं। सरकार का उद्देश्य है कि भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था आठ अरब डालर से बढ़ाकर 2033 तक 44 अरब डालर तक पहुंच जाए।

व्यक्तित्व

सविता : 19,400 फीट की ऊंचाई पर 265 किलोमीटर की दौड़

जनसत्ता संवाद

धाविका और पेशेवर पर्वतारोही सविता महतो ने 265 किलोमीटर लंबी 'लेह-मिग ला अल्ट्रा रन' सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इसके साथ ही वे इस बेहद कठिन उच्च हिमालयी 'अल्ट्रा एंड्योरेंस' दौड़ को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। सविता ने 20 जुलाई को इस चुनौतीपूर्ण अभियान की शुरुआत की थी और छह दिनों की कठिन यात्रा के बाद 26 जुलाई को इसे पूरा किया। यह दौड़ करीब 19,400 फीट ऊंचे मिग ला दर्रे से होकर गुजरती है, जहां धावकों को बेहद कम आक्सीजन, शून्य से नीचे तापमान, तेज हवाओं और कठिन पहाड़ी रास्तों जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। सविता ने कहा 3,500 से 6,000 मीटर की ऊंचाई पर हर कदम चुनौतीपूर्ण होता है। जब शरीर जवाब देने लगता है, तब मन की ताकत ही आगे बढ़ने का हौसला देती है।

यह उपलब्धि केवल एक खेल सफलता नहीं, बल्कि साहस, धैर्य और अदम्य इच्छाशक्ति की अनुपम मिसाल है। इतनी ऊंचाई पर आक्सीजन की भारी कमी, बर्फीली हवाएं, शून्य के करीब तापमान, लगातार बदलता मौसम और दुर्गम रास्ते किसी भी एथलीट के लिए सबसे बड़ी चुनौती होते हैं। इन विपरीत परिस्थितियों में लगातार छह दिनों तक दौड़ते हुए लक्ष्य तक पहुंचना असाधारण माना जाता है।

बिहार के सारण जिले के पानापुर गांव में दियारा क्षेत्र की निवासी 30 वर्षीय सविता ने बताया कि इस सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत, कड़ा प्रशिक्षण और मानसिक मजबूती है। उन्होंने इस दौड़ की तैयारी के लिए लगभग दो महीने तक द्रास में अभ्यास किया। इस दौरान उन्होंने लंबी दूरी की दौड़, हाइकिंग और पर्वतारोहण के जरिए खुद को कठिन हिमालयी परिस्थितियों के लिए तैयार किया।

इस 'अल्ट्रा रन' के दौरान उन्होंने रोजाना करीब 40 से 50 किलोमीटर की दूरी तय की। उनका सफर लेह से शुरू होकर उपशी, त्सो कार क्षेत्र, चुमाथांग, न्योमा और रोंग होते हुए मिग ला तक पहुंचा। उन्होंने यह पूरी दौड़ अकेले पूरी की हालांकि अभियान के दौरान मेडिकल टीम, फिल्म निर्माताओं और लाजिस्टिक सहयोगियों की टीम उनके साथ रही।

सविता इससे पहले भी कई कठिन अभियानों में अपनी क्षमता साबित कर चुकी हैं। उन्होंने 570 किलोमीटर लंबी मनाली-उमलिंग ला अल्ट्रा रन 17 दिनों में पूरी की थी। इसके अलावा उन्होंने 1,200 किलोमीटर लंबी दिल्ली-उमलिंग ला साइकिल दौड़ अभियान को भी सफलतापूर्वक पूरा किया है। वर्ष 2014 से पेशेवर पर्वतारोहण से जुड़ी सबिता ने 'हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट', दार्जिलिंग से प्रशिक्षण लिया है। वह लद्दाख, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश की सात हजार मीटर से अधिक ऊंची कई चोटियों पर चढ़ चुकी हैं।